खण्ड-331, अंक-4
मंगलवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1900
(11 अप्रैल, 1978 ई0)

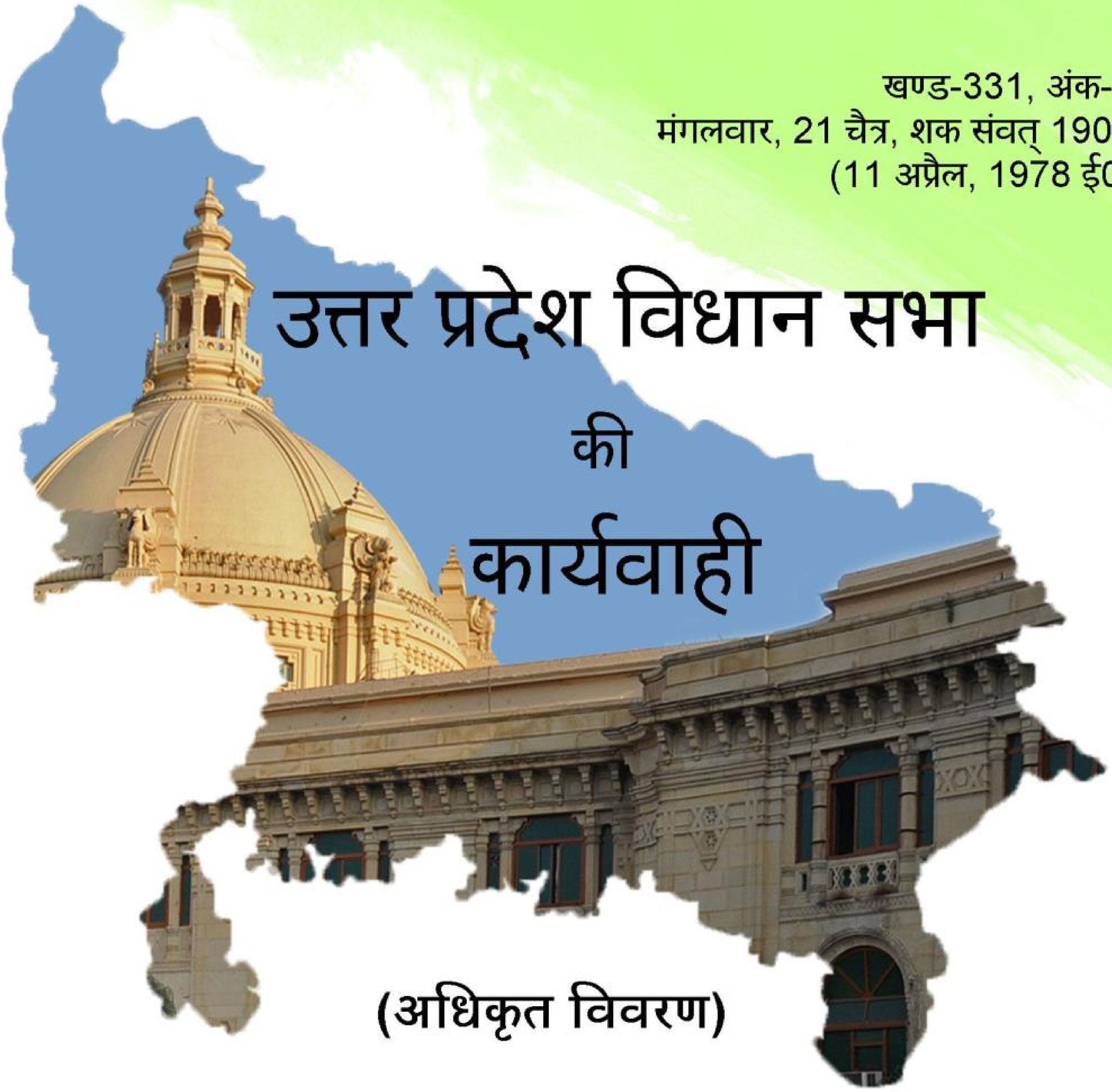

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम ३०१ की सूचनाओं में एक से अधिक घटनाओं का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण मंत्री का व्यवस्था का प्रश्न ..	५३१–५३२
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५३२
श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा ६ अप्रैल, १९७८ को उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी ..	५३३
राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के चलने से राजकीय कोष को भारी क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य	५३३–५३४
उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया)	५३५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	५३५
१९७८–७९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	५३५–५७६
आय-व्ययक की चर्चा के मध्य मंत्रियों तथा सचिवों के सदन से अनुपस्थित रहने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था ..	५७६–५७९
१९७८–७९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	५७९–५८६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	५८६–५८७
सरकारी नियंत्रण में चल रही चीनी मिलों में हानि के विषय में दिनांक २० मार्च, १९७८ को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में नियम ४९ से अन्तर्गत चर्चा ..	५८७–५९२
नस्थियां	५९३–५९९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उदयराज एकेडमी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य

३०९

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला श्री सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री

जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय शंकर पान्डेय, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगत सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री

मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमाशंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी श्री,
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
रामचरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री

वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्रपाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

विधान सभा सचिवालय

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मेरठ जेल में बन्दी कांग्रेसजनों पर लाठी चार्ज की जांच

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) तथा श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) —

क्या शासन ने मेरठ जेल में तारीख १२ अक्तूबर, १९७७ को दोपहर बाद लगभग चार बजे गिरफ्तार शुदा सैकड़ों कांग्रेसजनों पर हुए लाठी चार्ज की कोई जांच करायी ? जिसमें कि अन्यों के साथ-साथ श्री मंजूर अहमद, एम० एल० ए०, भी गम्भीर रूप से घायल हुए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

न्याय एवं कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां । श्री मंजूर अहमद, विधायक भी अन्य व्यक्तियों के साथ घायल व्यक्तियों में सम्मिलित थे ।

जी नहीं ।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं जेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ११ तारीख को मेरठ गये थे । दूसरा सवाल है कि कुल कितने घायल व्यक्ति हैं और डाक्टरी मुआयाने में उनको कितनी चोटें हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पहले प्रश्न का उत्तर, जी हां । मान्यवर, घायल व्यक्तियों की सूची लम्बी है, आज्ञा दें, तो मैं उसे पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—

संख्या घायलों की बतला दीजिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, २४ जेल कर्मचारी और १६ कांग्रेस आन्दोलनकारी थे, जिनको चोटें आईं ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, जो १६ कांग्रेसजनों को चोटें आईं उसमें डाक्टरी मुआयने में क्या-क्या चोटें हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं एक-एक को पढ़ देता हूं श्री दामोदर शर्मा एल० डब्लू १.५ × सेन्टीमीटर × स्कीन आन दि लैफ्ट साइड आफ दि फोर हेड...

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हिन्दी में पढ़ें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, यह अंग्रेजी में डाक्टरी रिपोर्ट है अगर मंजूर अहमद साहब सब की चाहते हैं, तो सब की पढ़ देता हूं और अपनी रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप सब के बारे में जानना चाहेंगे या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या अपने बारे में जानना चाहेंगे ?

श्री मंजूर अहमद--

मेरे बारे में बता दीजिये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, इनकी कई एक्सरे हुए उनमें फ्रैक्चर नहीं देखा गया । पहली रिपोर्ट जेल द्वारा भेजी गयी । दूसरी इंजरी, इनकी १२-१०-७७ को जांच हुई थी, उनमें पहली इंजरी है ३ × ३ सेन्टीमीटर सर के बाईं तरफ स्वेलिंग ।

श्री अध्यक्ष--

'इंटू' न कहिए । हिन्दी में बतला दीजिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

रिपोर्ट इंग्लिश में है ।

श्री अध्यक्ष--

कहिए ३ गुणा, इंटू की जगह ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठिए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय सदस्य की जो पहली बात लिखी है, सर के बाईं तरफ ३ × ३ सेंटीमीटर सूजन है । दूसरी है ७ × ७ सेन्टीमीटर की दाहिने हाथ की सूजन है । इसके बाद एक्सरे भी हुआ है, इसका । उसके बाद इसी तरह से इनके पीछे दाहिने भाग पर भी सूजन की बात लिखी है । इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी है । स्वेलिंग भी है । एक्सरे भी लिया गया है फ्रैक्चर का एक्सरे रिपोर्ट अलग है ।

श्री मन्जूर अहमद--

यह मेरे हाथ में डाक्टर का एक्सरे है, इसमें मेरी नवीं और दसवीं पसली टूटी है । इसका जिक्र आप इसमें नहीं कर रहे हैं । २१-१० को प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में एक्सरे हुआ, जिसमें नवीं और दसवीं पसली टूटी है । ५-१२ को लखनऊ में सरकारी अस्पताल का जो एक्सरे की रिपोर्ट है, वह मौजूद है जिसको

डिनाई कर रहे हैं। १४ लाठियां जेल में लगीं। यह एक्सरे और एक्सरे रिपोर्ट मेरे पास है। माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ बतलाएंगे कि सही है या गलत है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपका प्रश्न यह है कि एक्सरे रिपोर्ट अस्पताल की क्या है ? उसमें क्या जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, यह चोट दिखलायी गयी है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जैसा कि आपको भी उत्तर भेजा है, क्योंकि विशेषाधिकार का प्रश्न इसी मसले पर पहले उठा था। उसमें हमने जांच करायी थी। उसमें एक्सरे की रिपोर्ट आयी थी। जेल से एक्सरे रिपोर्ट आयी थी, उसमें फ्रैक्चर नहीं था। जिसमें माननीय सदस्य ने अपने फ्रैक्चर की बात कही, उसमें लिखा गया है कि फ्रैक्चर की सम्भावना है। फिर २१ तारीख और २४ तारीख को फिर एक्सरे हुआ। उन दोनों रिपोर्टों को हमने सिविल हास्पिटल के रेडियोलोजिस्ट और बलरामपुर के रेडियालोजिस्ट से जांच करायी, जिसकी रिपोर्ट हमने विशेषाधिकार के प्रश्न के स्पष्टीकरण के संदर्भ में भेजी है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह फ्रैक्चर नहीं है। मैं पढ़ दे रहा हूं। अंग्रेजी में है, हिन्दी में तर्जुमा कर दूंगा। डाक्टर एम० एल० अग्रवाल और बलरामपुर हास्पिटल के चीफ रेडियालोजिस्ट की रिपोर्ट है—

Examined the following X-ray plates of Shri Manzoor Ahmed, M.L.A.

1. Two X-ray plates of chest dated 14.1.77
2. One X-ray plate of chest 2674 dated 20.10.77
3. One X-ray plate of chest no.2680 dated 21. 10. 77

One X-.ray plate of chest no.577 dated 21.10.77 and one X-ray plate of chest no. 5731 dated 24.10-77. X-ray plate serially marked 3 (No. 5680 dated 21.10.77) shows of a suspicions line in the 10th rib. As it is not visible in other X-ray plates it appears to be an artifact. As such I am of the opinion that here is no bony injury.

श्री अध्यक्ष--

इसका आप हिन्दी रूपान्तर कर दीजिए ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उन्होंने लिखा है कि २ एक्सरे प्लेट चेस्ट की (सीने की) दिनांक १४ अक्तूबर, १९७७, एक एक्सरे प्लेट सीने की दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ की, एक सीने की एक्सरे प्लेट दिनांक २१ अक्तूबर, १९७७ की और एक एक्सरे प्लेट संख्या ५७३०, दिनांक २४ अक्तूबर, १९७७ की और एक सीने की एक्सरे प्लेट संख्या ५७३१, दिनांक २१ अक्तूबर, १९७७ की प्लेट का उन्होंने निरीक्षण किया और पाया कि वह १०वें रिब में संदिग्ध लाइन दिखाती है। लेकिन उन्होंने किसी तरह से हड्डी की चोट मानने से इन्कार कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जेल जीवन में, कांग्रेस के लोग जो गिरफ्तार हुए थे वे अपनी अनुचित मांगों के लिए जेल प्रशासन पर दबाव डाला करते थे। क्या इस सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट में कोई उल्लेख है, यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष—

कोई दबाव डाला, इसकी कोई सरकारी रिपोर्ट है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैजिस्ट्रेट ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह बात लिखी है कि "समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने से, यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक बन्दी अत्यधिक और असीमित संख्या में हो जाने के कारण, जेल अधिकारियों से अनुचित मांगें करते रहते थे और उनकी पूर्ति न होने पर अत्यधिक रुष्ट थे। यहां तक कि जेल के दैनिक कार्यक्रम में समय, असमय पर बाधा उत्पन्न करने में प्रतिबद्ध थे। परिणाम-स्वरूप दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को जो परिस्थिति उन लोगों द्वारा उत्पन्न कर दी गयी, मेरे विचार से उसको नियंत्रण में लाने के लिए जितना बल प्रयोग किया गया, वह न्यूनतम तथा अत्यन्त आवश्यक था।"

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १४-१० व २१-१० को एक्सरे करने वाले डाक्टर की क्या स्पष्ट रिपोर्ट है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो जांच रिपोर्ट प्यारे मोहन अस्पताल में लिखी गयी, उसमें एक्सरे पर संदेह व्यक्त किया गया था लेकिन उसी प्लेट को...

श्री रियासत हुसैन—

मैं यह पूछ रहा हूं कि जिस डाक्टर ने १४ व २१ तारीख को एक्सरे किया, उसने अपनी फाईंडिंग लिखी होगी, वे क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उसमें उन्होंने संदेह व्यक्त किया है, लेकिन उसके पहले मेडिकल कालेज में जो हुआ था, उसमें फ्रैक्चर की बात स्वीकार नहीं की थी। जब इन दोनों प्लेटों पर संदेह हुआ, तो इन दोनों को बलरामपुर अस्पताल में दिखाया गया, उन्होंने भी इन्कार किया।

श्री अध्यक्ष—

२१ तारीख की एक्सरे रिपोर्ट में क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

२१-१०-७७ को मान्यवर, पी० एस० शर्मा हास्पिटल में उन्होंने कहा है कि फ्रैक्चर की संभावना है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि २१ अक्तूबर, १९७७ को संदेह है। आपने कहा कि संभावना है। एक माननीय सदस्य आपके सामने एक्सरे प्रस्तुत कर रहे हैं कि फ्रैक्चर है। तो न्यायिक जांच से आप क्यों कतरा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

शासन ऐसी घटनाओं को न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं समझता है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

गिरफ्तार कांग्रेसजनों को चोटें आयीं, तो क्या उनके पुलिस रिकार्ड के नक्शा नं० ८ में, उनके नाम हैं। जेल में जो कर्मचारी हैं, क्या उनको भी चोटें आयी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, पुलिस के नं० ८ रजिस्टर में है या नहीं इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। जेल कर्मचारियों को भी चोटें आयी हैं। अगर आप अनुमति दें, तो पढ़कर सुना दूं।

(प्रश्न संख्या २ पुकारे जाने पर)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

यह मेरठ का दृश्य है। इस पर मुझे एक प्रश्न का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप लोग बैठ जाइये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि एक सवाल-पर १५ मिनट का समय हुआ है। मैं सदन को स्थगित कर दूंगा, अगर आप लोग ऐसी बातें करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

क्या आपका मतलब है कि एक घन्टे तक यह प्रश्न चले। अब आप बैठ जाइये।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मुझे सवाल क्यों नहीं करने देते ?

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर जी आप क्या चाहते हैं ? एक सवाल पर एक घन्टा बीते। अजीत सिंह, मैं आपको सदन छोड़ने के लिए कहूंगा।

(श्री अजीत सिंह सेठी सदन से बाहर चले गये)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

कोई जवाब नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तरीका सदन की कार्यवाही को रोकना है, जिस तरह से सरदार अजीत सिंह व्यवहार करते हैं। अब १५ मिनट हो गये हैं अब बतलाइये क्या चाहते है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं आपकी नाराजगी और प्रेम दोनों की कद्र करता हूं। यह प्रश्न ऐसे महत्व का है और माननीय सदस्य उत्तेजित हैं तो आप अपने विवेक से समय दें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

एक मिनट मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । यह तरीका गलत है । जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । मैं इजाजत नही दूंग, ।

विधायकों को पेंशन दिये जाने सम्बन्धी अधिनियम

**२—श्री रियासत हुसैन, श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल) तथा श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या संसदीय कार्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने जो भूतपूर्व विधायकों की पेन्शन का बिल पारित किया उसे अभी तक क्यों नहीं लागू किया है, जबकि इस सम्बन्ध में रूल्स इत्यादि बन चुके हैं ? इसे लागू करने में क्या कठिनाइयां है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

भूतपूर्व विधायकों की पेंशन दिये जाने हेतु नवम्बर, १९७६ में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४९, १९७६ अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम को दिनांक १ जनवरी, १९७७ से प्रवर्तन में लाये जाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी । अधिनियम की धारा ८ में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गयी है । परन्तु अभी नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । इस कारण भूतपूर्व विधायकों को पेंशन नहीं दी जा रही है । पेंशन दिए जाने के प्रश्न पर सरकार पुनर्विचार कर रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह जैसा कि उत्तर में कहा गया है, कि नवम्बर, १९७६ में अधिनियम पास हुआ और १ जनवरी, १९७७ से प्रवर्तन में लाये जाने के लिए विज्ञप्ति वगैरह भी जारी हो गई, परन्तु उसमें क्या कठिनाई है, माननीय मंत्री जी के सामने जो अभी तक यह पेंशन विधायकों को नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य प्रदेशों और लोक सभा में दी जा रही है।

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य की यह जानकारी सही नहीं है कि लोक सभा के सदस्यों को पेंशन दी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यह तो आप उत्तर सही नहीं दे रहे हैं ।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के खड़े होने पर)

यह क्या आप बार-बार खड़ी होती हैं । आप बैठें । लोक सभा के सदस्यों को पेंशन मिलती है । जो सत्यता के विरुद्ध है, जो माननीय मंत्री जी आप कह रहे हैं कि लोक सभा के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जा रही है ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह मान्यवर, अधिनियम की धारा ८ के अनुसार राज्य सरकार को पेंशन की मांग करने का प्रपत्र तथा पेंशन के भुगतान की रीति निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, किन्तु नियमावली के प्रख्यापित न होने के कारण, पेंशन का वास्तविक भुगतान अभी नहीं किया जा रहा है ।

पेंशन दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, १९७६ में संशोधन किए जाने के उद्देश्य से एक संशोधन नियमावली का आलेख्य तत्कालीन मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और मंत्रि परिषद् ने अपनी दिनांक २० अप्रैल, १९७७ की बैठक में नियमों के आलेख्य पर अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी । परन्तु नियमों को गजट में प्रकाशित करने से पूर्व प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया । इस बीच केन्द्र की सरकार भी बदल गयी । राष्ट्रपति शासन काल के दौरान यह निर्णय लिया गया कि परिवर्तित वर्तमान परिस्थितियों में इस विषय में भारत सरकार से भी परामर्श कर लिया जाय ।

भारत सरकार के संसद कार्य विभाग ने सूचित किया था कि भारत सरकार सारे प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है । भारत सरकार से प्राप्त उत्तर के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इस राज्य में भी भूतपूर्व विधायकों को पेंशन दिये जाने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखा जाय क्योंकि नीति विषयक इस प्रश्न पर केन्द्र व राज्य में एकरूपता रहनी चाहिए ।

भूतपूर्व विधायकों को पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति की और जानकारी हेतु भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) को ८ सितम्बर, १९७७ को एक पत्र पुनः संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से भेजा गया था । इस प्रदेश में नियम नहीं बने हैं । लोक सभा में पेंशन मिल रही है । ठीक है, इस प्रदेश में सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार हो रहा । शासन इस पर शीघ्र निर्णय लेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण से बात बिल्कुल साफ हो गयी । भारत सरकार के निर्णय के अनुसार हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे । भारत सरकार के निर्णय के अनुसार लोक सभा के लोगों को पेंशन मिल रही है । तो उनका तो निर्णय हो गया, तो फिर तत्काल जल्द से जल्द इस बात को नोटीफाई करने में क्या इनको कठिनाई हो रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

परेशानी श्रीमन्, कुछ नहीं हो रही है । मैंने निवेदन किया कि इस पर विचार किया जा रहा है और यह विचार किया जा रहा है कि क्या रूपरेखा उसकी रहे यानि समान रूप से पेंशन दी जाय या आमदनी के हिसाब से जीविका को मद्दे नजर रख कर दी जाये ।

श्री रामदत्त जोशी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मार्च, १९७७ में जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सादगी और मितव्ययिता की जो शपथ ली गयी थी, उसको पूरा करने के लिए यह पेंशन विधायकों को है, इसको समाप्त करने पर यह सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आप इसमें से पहले निकाल दीजिए। महात्मा गांधी की समाधि है। महात्मा गांधी को आराम से रहने दीजिए। (हंसी) आप शांति रखिये। आप सिर्फ यह पूछिए कि आप इस पेंशन बिल को रिपील करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, मंत्रि परिषद् इस पर विचार कर रहा है। जहां तक माननीय सदस्यों की भावनाओं का सवाल है, व्यक्तिगत रूप से शासन की नीति की बाबत नहीं, लेकिन मैं भी उनकी राय से सहमत हूं कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदन ने प्रस्ताव पास किया, उसके विपरीत सरकार को उसको रद्द करने का अधिकार है ? और यह विचाराधीन कब से है और कब तक इस पर विचार करके निर्णय लेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

शीघ्र निर्णय लेने वाले हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैंने पूछा कि सदन ने प्रस्ताव पारित किया था, उसको क्या मंत्रिमंडल को रद्द करने का अधिकार है ? दूसरा यह था कि कब से सरकार के, किस तारीख से, विचाराधीन है और यह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर दीजिए कि यह कबसे विचाराधीन है और जहां तक इस प्रस्ताव को रद्द करने का सवाल है यह विधान सभा सक्षम है और मंत्रि परिषद् कभी भी प्रस्ताव ला सकता है। यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह तभी से लगातार विचाराधीन है।

श्री श्यामधर मिश्र--

यहां की विधान सभा ने एक विधेयक पास किया। जबकि यहां के मंत्रि-मंडल ने उसको अप्रैल, ७७ में स्वीकृति भी दे दी तो यह किस विधान से आवश्यक था कि केन्द्रीय शासन से पूछा जाय ? साथ ही वहां की सरकार और यहां की सरकार की एक शक्ल है, जनता पार्टी की सरकार वहां भी है और यहां भी है। वहां उसी मुद्दे पर पेंशन मिल रही है तो क्या वजह है, सरकार का कोई उत्तर नहीं आया कि जब वहां से रोक नहीं है तो यहां सरकार क्यों विलम्ब कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इसी सदन में माननीय सदस्य, श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने एक संकल्प पेश किया था, वह पारित नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

उस संकल्प का नोटिस दिया है। अभी उस पर विचार नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने यही कहा कि पारित नहीं हुआ और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि किस नियम के तहत केन्द्र सरकार से परामर्श किया जा रहा है, तो हर चीज में केन्द्र सरकार से विचार करने के लिए कोई अलग नियमों की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐसा मसला था, जो केन्द्र ने पास किया था पहले और फिर विधान सभा ने पास किया। तो फिर उनसे जो कि देश की सबसे बड़ी धारा सभा है, उनसे विचार किया जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। संसद ने इस कानून को को बनाया, वे पेंशन दे रहे हैं और आपने भी कानून पास कर दिया, तो जैसे कि वे पेंशन दे रहे हैं, उसी प्रकार आप भी चालू कर देंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह सभी बातें विचाराधीन हैं।

श्री लक्खी सिंह—

भारत सरकार जब भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेन्शन दे रही है, तो माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें, या तो हां करें या ना करें ? स्पष्ट बतायें कि देंगे या नहीं देंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य जैसा उत्तर चाहते हैं वैसा उत्तर इस समय में देने में असमर्थ हूं। अभी सभी चीजों पर विचार हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मंत्रिमंडल की किन-किन तारीखों में इस विषय पर विचार हुआ ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

२० अप्रैल, १९७७ की बैठक में नियमों के प्रारूप पर विचार हुआ। ३१ जनवरी, १९७८ को फिर उसके सामने रखा गया, जिसमें यह विचार हुआ कि पेन्शन किनको मिले ? क्या ऐसे भूतपूर्व विधायकों को मिले जिनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है या किस-किस को दी जाये, इस पर विचार हुआ और विचार के बाद उस प्रश्न को अभी अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

पेन्शन देने का जो प्राविधान किया गया, वह कानून पास होने के बाद संसदीय अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५२६/स/१७-७६/२१७-७-७६, लखनऊ दिनांक ३० दिसम्बर, १९७६ के अनुसार १ जनवरी, १९७७ से इसका प्राविधान किया गया है

राज्यपाल महोदय की सूचना एवं आदेशों अनुसार। तो जब कानून लागू हो गया, तो जो लोग पेन्शन पाने के पात्र हो गये, उनको जनवरी, १९७७ से पेन्शन मिलना चाहिये उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने निवेदन किया कि अभी इसके नियम नहीं बन पाये हैं और सभी बातों पर अभी विचार हो रहा है। पूरा निर्णय हो जाने के बाद ही इस बात पर विचार किया जायेगा कि कैसे उन लोगों को पेन्शन दी जाये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

जब विधेयक पास हो गया तो नियम तो पास हो ही गये, विधेयक पास होने के बाद नियम पास होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए विधेयक के अनुसार सरकार कब से कार्यवाही शुरू करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

पहला सवाल ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार को नियम बनाने का अधिकार है और अधिनियम में ही नियम बनाने का अधिकार है। दूसरे हिस्से का आप उत्तर दे दें।

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह तो मैं कह ही चुका हूं कि बहुत शीघ्र करेंगे।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोक सभा पेन्शन दे रही है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि मध्य प्रदेश में भी पेंशन दी जा रही है। तो जब प्रदेशीय सरकार और केन्द्र सरकार दे रही है और वहां पर एक ही पार्टी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश और केन्द्र की तरह, उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिये। तो जब केन्द्र सरकार इसको बदले, तब विचार करें। लेकिन जब तक वहां दी जा रही है, तो आप भी पेंशन देने की बात स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

बार-बार यही प्रश्न दोहराया गया है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

जब केन्द्र सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करें, तब आप भी कर लीजियेगा, लेकिन अभी तो पेंशन देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधायक, जो मौजूदा सदन के मेम्बर हैं, उनको पेंशन न देने का निर्णय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि बिहार में पेंशन मिल रही है ? अभी उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भी मिल रही है । तो क्या इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि क्या आपको जानकारी है कि बिहार और मध्य प्रदेश में भी पेंशन मिल रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मुझे जानकारी नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या ३ पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पण्डेय--

मान्यवर, केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं।

श्री सुखपाल पान्डेय--

आप तो मंत्री जी को बहुत बचाते हैं । इतना न संरक्षण दीजिय । कम से कम जवाब आ जाया करे ।

इनको अंधकार में रखा गया है । इनको जानकारी नहीं है ।

लोक सेवा अधिकरण के सदस्यों में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की मांग

**३श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित), श्री नन्हे लाल कुरील (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित) तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज ट्राबुनल में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं है, तो क्या सरकार प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, १९७६ के प्राविधानों के अनुसार अधिकरणों के सदस्यों के पदों पर आई० ए० एस० तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है । उक्त अधिनियम में सदस्यों के पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां किये जाने का प्राविधान नहीं है । इसलिए इन पदों पर हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व देने तथा इस प्रकरण पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-फैजाबाद पैसेन्जर गाड़ी में श्री सुभाष चन्द्र शर्मा की हत्या

**४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि २६ मार्च, १९७८ को लखनऊ-फैजाबाद पैसेन्जर ट्रेन में एक व्यक्ति दरियाबाद स्टेशन पर सवार हुआ ? उसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा रोकने पर उसने एक यात्री के छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी ? यदि हां, तो इस बारे में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है क्योंकि घटना से रेल यात्रियों में भीषण आतंक उत्पन्न है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां,

दिनांक २६ मार्च, १९७८ को रात्रि में लखनऊ-फैजाबाद पैसेन्जर गाड़ी में श्री सुभाष चन्द्र शर्मा एवं उनकी पत्नी श्रीमती मोहनी शर्मा यात्रा कर रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने शर्मा दम्पत्ति को धमकाया तथा बाद में करौली से आक्रमण कर दिया जिससे श्री शर्मा की मृत्यु हो गयी और श्रीमती शर्मा अपने पति को बचाने में घायल हो गयीं।

इस प्रसंग में जी० आर० पी० थाना बाराबंकी में एक मुकदमा भा० दि० वि० की धारा ३०२/३९४/३२४ के अन्तर्गत दर्ज हुआ है जो विवेचनाधीन है।

अभी तक कोई अभियुक्त बन्दी नहीं बनाया जा सका है। मामले की छानबीन गहराई से की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट, हत्या और इसी प्रकार की घटनायें नित्य हो रही हैं, जिससे यात्रियों के लिए बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि स्थायी रूप से इसको रोक-थाम के लिए क्या किसी व्यवस्था पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि नित्य, प्रतिदिन, रात दिन ऐसी घटनायें होती रही है। जो घटना है यह भी खाली लूट-पाट की घटना नहीं है। पुलिस की विवेचना से तथ्य सामने आया है कि पुरानी रंजिश के कारण यह वारदात हुयी है। सामान्य रूप से तो एहतियात बरती जा रही, है जो जोकसी बरतनी चाहिये वह बरती जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इसकी रोकथाम करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो मैंने बताया कि यह घटनायें आये दिन हुआ करती हैं, यह असत्य नहीं है। कम से कम २० घटनायें मैं स्वयं सदन में प्रस्तुत कर चुका हूं। कल भी एक घटना इसी प्रकार हुई है। माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट बात नहीं बतायी है इसलिए मैं फिर से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनायें न हों, रेलों में, उसके लिये मंत्री जी क्या कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जी० आर० पी० और गश्ती पुलिस रेलवे में गश्त करती है। यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा सुझाव दे दें, जिससे एक साल दो साल या ५ साल में रेलवे में कोई वारदात न हो, तो उसको लागू करेंगे। लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि घटनायें बढ़ रही हैं, तो उसके आंकड़ आपके पास कोई नहीं है किन्तु यदि आप कहेंगे, तो मैं आंकड़े दे कर बताऊंगा। मैं निवेदन किया था कि वह कोई लूट पाट का केस नहीं है। तफतीश में यदि आप जानना चाहेंगे, तो मैं बताऊं कि शर्मा ने दूसरी शादी किया था, जिससे संपत्ति के बारे में मुकदमेबाजी थी। ऐसी जानकारी आ रही है कि रंजिश और संपत्ति के कारण अपराधी ने रेल में हत्या कर दी। इसीलिए रंजिश और संपत्ति की घटनाओं का रोका जाना संभव नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, अपराधी का नाम क्या है और पुलिस ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही किया है?

श्री लक्ष्मण सिंह--

अपराधी का नाम अभी मालूम नहीं हो सका है।

श्री राज बृज राज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनमें अपराध बराबर हुआ करते हैं। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें घटनायें हुआ करती हैं। तो क्या उन लाइनों में गश्ती पुलिस की व्यवस्था करेंगे?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मेरी जानकारी में कोई ऐसी ट्रेन नहीं है। माननीय सदस्य लिखकर दें कि फलां ट्रेन में वारदात हो रही है, तो उसमें व्यवस्था की जायेगी।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

जब मंत्री जी को मालूम नहीं था कि अपराधी कौन था तो रंजिश का पता कैसे चला?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, श्रीमती मोहिनी शर्मा के भाई ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई है। मृतक का अपने भाई से अचल संपत्ति पर मुकदमेबाजी और पहली बीवी माया जो स्टेनो थी से जी० पी० फन्ड आदि के बारे में माया के पहले पति भगवान प्रसाद से खींचातानी तथा तीसरा कारण सुभाष चन्द्र शर्मा कोई स्कूल चला रहे थे और उसमें नई-नई लड़कियों को लाकर रखते थे, इन तीन संभावनाओं की तफतीश करने की कोशिश की जा रही है कि इनमें कोई कारण थे कि नहीं जिससे कत्ल कर दिया गया हो। इसलिए मान्यवर, मैंने कहा कि रंजिश के कारण केस हो सकता है।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि रेलवे में कोई विशेष घटना नहीं हो रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि १९७५ से रेल में इस प्रकार की जितनी दुर्घटनायें हुई हैं, उनकी क्या जांच कराकर मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री लक्ष्मण सिंह—

१९७५ से कितनी दुर्घटनायें हुई हैं, उसके आंकड़े तो मैं लाया नहीं हूं। अलग से यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूंछेंगे तो उसकी जानकारी दूंगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी, मंत्री लोग तथ्य के विपरीत बोलते हैं जैसे कि अभी आपने डांटा। पहले तो यह मिथ्या बात कही गयी कि लोक सभा के लोगों को पेंशन नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह सवाल खत्म हो गया।

श्री गुलाब सेहरा—

इन्होंने लिखा है कि मामले की छानबीन गहराई से की जा रही है। यह एक उत्तर है। दूसरा उत्तर यह है कि रंजिश के कारण कत्ल हुआ है। मुझे केवल यह जानकारी दे दें कि गहराई से छानबीन चल रही है अथवा नहीं? यह जो बतलाया कि रंजिश के कारण हत्या हुई, तो क्या यह उस छानबीन का निर्णय है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने निर्णय नहीं बतलाया। मैंने यह बतलाया कि विवेचना करने वाले अधिकारियों की जानकारी में ऐसे तथ्य आये कि यह रंजिश के कारण भी हो सकता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बंगाल के राज्यपाल श्री टी० एन० सिंह के लखनऊ आगमन पर स्वागत

*१—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ दिसम्बर, १९७७ को बंगाल के गवर्नर श्री टी० एन० सिंह जी हवाई जहाज से लखनऊ पधारे थे? यदि हां, तो बंगाल के राज्यपाल का स्वागत करने के लिए किस परम्परा व प्रोटोकोल का पालन किया गया और सरकार की ओर से हवाई अड्डे पर उनका स्वागत कौन करने गया था?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

साधारणतया बंगाल के राज्यपाल के आगमन पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को आगमन तथा प्रस्थान के समय उपस्थित रहना था। लेकिन दोनों के लिए वैसा करना सम्भव न हो सका क्योंकि वे लखनऊ में निर्वाचन के सम्बन्ध में शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में व्यस्त थे। अतः सिटी मैजिस्ट्रेट तथा उपाधीक्षक पुलिस ही आगमन तथा विदाई के समय उपस्थित हुए।

बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठी चार्ज एवं अश्रु गैस का प्रयोग एवं छात्रों को गिरफ्तारी

*२--श्री गुन्जेश्वर (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ३ मार्च, १९७८ को जनपद वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय (बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी) में पुलिस, पी०ए०सी० ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश कर छात्रों पर आंसू गैस का प्रयोग कर लाठी चार्ज किया एवं छात्रों को गिरफ्तार भी किया ? अगर हां, तो क्यों और कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

दिनांक ३ मार्च, १९७८ को बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में छात्रों ने हिंसात्मक उपद्रव किया । एक ट्रक तथा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में आग लगा दी । शान्ति-व्यवस्था के लिए पुलिस एवं पी० ए० सी० के साथ मैजिस्ट्रेट के पहुंचने पर उन पर पथराव किया, गालियां दी तथा हमलावर हुये । उपद्रवी छात्रों के तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस का प्रयोग किया गया तथा स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए १३ छात्रों को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार किये गये सभी १३ छात्रों को उसी रात वार्डेन के अनुरोध पर व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया ।

श्री गुन्जेश्वर--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छात्रों का हिंसात्मक उपद्रव करने के कौन से कारण थे ? क्या उन कारणों की जानकारी छात्रों ने कुलपति महोदय को दी थी और यदि हां, तो उन्होंने शांति-व्यवस्था कायम रखने की कौन सी कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मेडिकल में दाखिले के कारण विद्यार्थियों में कुछ असंतोष हुआ । जो बी० एस० सी० पहले वर्ष के थे, उनको १० परसेन्ट का वेटेज दिया गया । जो और छात्र थे, उन्होंने कहा कि हमको भी यह वेटेज मिलना चाहिए । फिर एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ निर्णय नहीं लिया जा सका । कुछ विद्यार्थियों का १० परसेन्ट वेटेज के हक में और कुछ का इसको समाप्त करने के पक्ष में प्रदर्शन हुआ और तब यह स्थिति उत्पन्न हुई ।

श्री गुंजेश्वर--

मैं जानना चाहता हूं कि शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए कुलपति महोदय ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कुलपति महोदय ने पुलिस को बुलाया ।

श्री देवेन्द्रदत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

प्रान्त में इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं और समाचार पत्रों में भी आ रही हैं । इसके पीछे नई कांग्रेस और युवा कांग्रेस का हाथ है या मंत्री जी इसकी जांच कराकर सदन में रिपोर्ट रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता। यह केवल हिन्दू विश्वविद्यालय तक सीमित है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे की अब वहां क्या स्थिति है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, स्थिति नियंत्रण में है।

प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि स्पष्ट शासनादेश और मुख्य मंत्री जी के निर्देश के बावजूद समस्त विभागों में ३१ अगस्त, १९७७ के बाद भी व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी इस बारे में विस्तृत जांच करा कर पूर्ण तथ्यों को सामने रखने और दोषी लोगों को दंडित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

३१-८-७७ के बाद भी प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध मे विवरण एकत्र किये जा रहे हैं। तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, १९-३-७८ का प्रश्न अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं किया था, सरकार ने। अब २३ दिन बाद जब यह प्रश्न आया है, तो उत्तर कुल मिलाकर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना एकत्र करने में जो इतना अधिक विलम्ब हो रहा है, तो उसका क्या कारण है ? सभी विभागों में व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण होने हैं या माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों की विभागीय अधिकारी परवाह ही नहीं कर रहे हैं और इस कारण सूचना नहीं दे रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं लिखा है, अपने सवाल में, ३१-८-७७ को व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण किये गये। तो यह ५६ जिलों में कितने-कितने लोगों को किस विभाग से कब-कब तबादला किया गया, इतने आंकड़े इकत्र करने में समय लगना स्वाभाविक है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सारी सूचना इकत्र करने में कितना समय लगेगा और किस तारीख तक उसको माननीय सदन के सामने रखने में समर्थ होंगे ? अब तक जो सूचना मिली है, उसके आधार पर क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बता सकेंगे कि क्या एक भी विभाग है, जिसमें उनके निर्देशों का पालन हुआ है, और ३१-८-७७ के बाद ट्रान्सफर नहीं हुये और

कम से कम जो विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के अधीन हैं, उनकी क्या स्थिति है ? क्या इस पर प्रकाश माननीय मुख्य मंत्री जी डाल सकेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मान लिया है कि उक्त तिथि के बाद स्थानान्तरण किसी भी हालत में नहीं होंगे, यह सही नहीं है । उसमें यह सही है कि आमतौर पर इस तिथि के बाद स्थानान्तरण न किये जायं । अगर अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य कारणों में स्थानान्तरण किये जा सकते हैं । अब उसमें यह भी जांच की जा रही है कि क्या वे अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य कारण थे । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत क्यों नहीं हैं । ये भी आंकड़े इतने हैं कि इसमें समय लगना आवश्यक है । अगर माननीय सदस्य निश्चित् समय चाहते हैं, तो इसमें दो महीने समय जरूर लगेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी एक भी विभाग से उन्होंने इस सम्बन्ध में क्वैरी की होगी, तो उसने क्या कोई उत्तर इस सम्बन्ध में दिया है ? यदि दिया है, तो उन विभागों में कितने स्थानान्तरण हुये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, सभी विभाग उत्तर दे रहे हैं । उनमें सूचना इकत्र की जा रही है । ऐसा नहीं है कि कोई विभाग उत्तर नहीं दे रहा है या मना कर रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

प्रश्न का दूसरा भाग--यदि उनके पास आंकड़े आ गये हैं तो जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं, उनके अनुसार कितनों का स्थानान्तरण हुआ है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

अभी आंकड़े अधूरे हैं, मान्यवर ।

श्री श्यामधर मिश्र--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो शासनादेश या मुख्य मंत्री जी का निर्देश है, इसम कोई स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मापदण्ड भी रखा गया है कि इस मापदण्ड के आधार पर स्थानान्तरण किये जायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ट्रान्सफर के सम्बन्ध में स्पष्ट मापदण्ड हैं और मोटा तरीका है कि जो क्लास (१) और क्लास (२) के गजेटेड आफिसर हैं, उनका पूरे सूबे में तबादला किया जायेगा, जो छोटे कर्मचारी दूसरी श्रेणी के हैं, उनका अपने मण्डल में तबादला किया जायेगा । उनसे भी जो छोटे कर्मचारी हैं, उनका अपने जिले के आसपास किया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, आप मुझे एक भी प्रश्न नहीं करने दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायं ।

*४--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री सन्त बक्श रावत, श्री हरि केवल प्रसाद, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्री चन्द्रपाल--

[४-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५८ द्वारा उत्तरित ।]

*५--श्री रवीन्द्र सिंह--

[४थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[४-४-७८ को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त ।]

कारागार विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की खाकी वर्दी

*७--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़), श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला गोरखपुर)--तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या न्याय व कारागार मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के कर्मचारी व अधिकारी खादी की वर्दी नहीं पहन सकते हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत जेल कर्मचारियों के लिये खाकी ड्रिल का कपड़ा एवं अधिकारियों के लिये खाकी गबरडीन किस्म का कपड़ा वर्दी के लिये निर्धारित है, अन्य किसी किस्म के कपड़े का नहीं ।

आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन करके खादी पहनना अनिवार्य कर देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह

मान्यवर, पुलिस विभाग या अन्य ऐसे विभागों में वर्दी का प्राविधान है उसी के पैटर्न पर जेल अधिकारियों के वर्दी का भी प्राविधान किया गया है । वर्दी की

आवश्यकता, उपयोगिता, स्मार्टनेस, कपड़े ड्यूरेबल हों, उनमें लस्टर हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं समझता हूं यह निर्णय लिया है । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो इस पर पुनर्विचार कर लिया जायगा ।

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)--

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जेल विभाग के पुराने कर्मचारी आदतन खादी पहनने के आदी हैं क्या उनकी प्रार्थना पर उनको खादी वर्दी देने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जैसी हर विभाग की वर्दी अब तक रही है, वह एक किस्म की रहती है । उस में अब तक छूट की कोई बात नहीं आई । आवश्यकता महसूस हुई तो इसके बारे में विचार कर लिया जायगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

उद्योग निदेशालय के अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर एवं मोहर का प्रयोग करने वाला गिरोह

*१--श्री पुरुषोतम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश गुप्तचर विभाग ने १९७६ में ऐसे गिरोह का पता लगाया है जिसने उद्योग निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर तथा मोहर का प्रयोग कर करोड़ों का घोटाला किया है ? क्या उक्त गिरोह ने हशीश की भी अन्तर्राष्ट्रीय स्मगलिंग की है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(उद्योग मंत्री) श्री राम प्रकाश--

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा ऐसे ६ व्यक्तियों के एक गिरोह का पता लगाकर उसे पकड़ा जा चुका है । इस गिरोह में एक बाहरी व्यक्ति तथा उद्योग निदेशालय के २ भूतपूर्व कर्मचारी और ३ वर्तमान कर्मचारी हैं । जांच रिपोर्ट के आधार पर यह मामला अभी कानपुर न्यायालय में विचाराधीन है ।

इस गिरोह द्वारा हशीश की अन्तर्राष्ट्रीय स्मगलिंग किये जाने की जानकारी नहीं मिली है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मान्यवर, अमूमन मंत्री लोग जी हां या जी नहीं से उत्तर दिया करते हैं । मेरे प्रश्न के उत्तर में न 'जी हां' है न 'जी नहीं' । ऐसा न करके सिर्फ इन्होंने किया है कि अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा ऐसे ६ व्यक्तियों के एक गिरोह का पता लगा कर उसे पकड़ा जा चुका है । मैं पूछना चाहता हूं कि उद्योग निदेशालय के जिन वरिष्ठ अधिकारियों ने मोहर का इस्तेमाल किया है वे वरिष्ठ अधिकारी कौन हैं और मोहर का प्रयोग करने का क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, इस केस मे ६ व्यक्ति पकड़े गये हैं उनमें से तीन उद्योग निदेशालय में काम कर रहे थे। जो भी जाली हस्ताक्षर और मोहर लगाने का काम हुआ है वे निदेशालय के कर्मचारी होने के कारण वह इस तरह की मोहर प्राप्त कर सके थे तथा इसलिए इस तरह की धांधली कर सके।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मेरा जवाब तो आया नहीं। किन अधिकारियों के जाली हस्ताक्षरों का उन्होंने प्रयोग किया, जाली मोहर किन अधिकारियों ने प्रयोग की, वे कार्यरत थे या कार्यरत हैं, कितने का घोटाला है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, जाली हस्ताक्षर, जो किये वह उस समय के उद्योग निदेशक और उस समय के एक भारत सरकार के अधिकारी स्वराज प्रकाश थे उनके हस्ताक्षर किये गये थे।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)

जिन्होंने जाली हस्ताक्षर किय थे और जांच के बाद प्रकाश में आये तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश--

यह बड़ा गम्भीर मसला था। जब यह शासन की जानकारी में आया, १९७३-७४ का यह मामला था, तो मालूम हुआ कि इसमें बहुत बड़ी राशि का सामान गायब किया गया है, तो यह मामला सी० आई० डी० को सौंप दिया गया। उन्होंने इसकी पूरी जांच-पड़ताल की। जब यह सारी छानबीन हो गयी और लोग दोषी पाये गये, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। सरकारी निदेशालय में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको निलम्बित कर दिया गया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रकार के जाली हस्ताक्षर के द्वारा कितने रुपये की सम्पत्ति इन लोगों ने हस्तगत की है ?

श्री राम प्रकाश--

इसमें ५९ लाख १० हजार रुपये का कच्चा माल इंवाल्व था। इसमें मोम, स्टेनलेस स्टील तथा जिंक आदि था। यह रा मेटीरियल भारत सरकार से प्रदेशीय सरकार को एलाट किया गया था। उस एलाटमेंट के कागज गायब कर दिये गये और उन कागजात पर जाली हस्ताक्षर बना कर वह माल प्राप्त कर लिया गया और काले बाजार में उसे बेच दिया गया।

नोट--नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

एग्रो कारपोरेशन, लार, जिला देवरिया के गोदाम की जांच एवं श्री कैलाश प्रसाद, स्टोर इन्चार्ज के गायब होने सम्बन्धी पत्र

*२—श्री श्रीनारायण (जला देवरिया)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश एग्रो-कारपोरेशन, लार, जिला देवरिया के नवयुवक सहायक बिक्रेता एवं स्टोर इन्चार्ज खाद्य गोदाम (श्री कैलाश प्रसाद) को १२ अप्रैल, १९७७ को कारपोरेशन से गायब कर दिय गया है अथवा जान से मार दिया गया ? क्या यह नहीं है कि थाने पर रिपोर्ट दर्ज होने पर कैलाश प्रसाद के पिता (श्री विक्रम प्रसाद) ग्राम पकड़ी बुजुर्ग, थानाध्यक्ष पडरौना को मई, १९७७ में दिये गए रजिस्टर्ड पत्र तथा श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री कैलाश प्रसाद द्वारा जून, १९७७ में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिए गए रजिस्टर्ड पत्र पर इस की सूचना दी ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार पूरे मामले को गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १२ अप्रैल, १९७७ को एग्रो विभाग के अधिकारी द्वारा खाद्य गोदाम की चेकिंग करने पर गोदाम के प्रभारी श्री कैलाश प्रसाद को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पा कर उनके द्वारा गोलमाल किये जाने के संदेहवश गोदाम सील करवा दिया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी के आदेश से गवाहों की उपस्थिति में दिनांक ६/७ मई, १९७७ को गोदाम को खुलवाने तथा वास्तविक तौल किये जाने पर उर्वरक के स्टाक में कमी पाई गई। अतः दिनांक ११ मई, १९७७ को इस सम्बन्ध में एग्रो विभाग द्वारा दी गई लिखित सूचना के आधार पर श्री कैलाश प्रसाद के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा ४०९/४२० के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया गया जो विवेचनाधीन है। श्री कैलाश प्रसाद की तलाश की जा रही है।

श्री विक्रम प्रसाद का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक २१ मई, १९७७ को डी० आई० जी० व पुलिस अधीक्षक को संबोधित था, थानाध्यक्ष पडरौना को प्राप्त हुआ था। श्रीमती सावित्री देवी द्वारा जून, १९७७ में राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को किसी रजिस्टर्ड पत्र का भेजा जाना प्रतीत नहीं होता है। हां, उनका दिनांक ६ जून, १९७७ का एक प्रार्थना-पत्र उनके ससुर श्री विक्रम प्रसाद के दिनांक २१ मई, १९७७ के पत्र की प्रतिलिपि सहित जिलाधिकारी को अवश्य प्राप्त हुआ था। श्री विक्रम प्रसाद के तथा श्रीमती सावित्री देवी के उपरोक्त पत्रों की जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त पत्र श्री कैलाश प्रसाद के बचाव के लिये पेशबन्दी में दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में मामले गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[मंगलवार, ११ अप्रैल, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बोदरवार तथा कप्तानगंज रेलवे स्टेशनों के बीच डकैती एवं लूट और लुटेरों के गिरोह को कथित पुलिस संरक्षण

*१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वोत्तर रेलवे के बोदरवार तथा कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन लुटेरों का गिरोह पिछले ४ महीनों से पूर्णरूपेण सक्रिय हो गया है और लूट की अनेक घटनायें घटित हुई हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं, सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है। पिछले चार माह में उपरोक्त क्षेत्र में कोई भी डकैती अथवा लूट की घटना नहीं हुई।

*२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या शासन को जानकारी मिली है कि ट्रेन यात्रियों को लूटने वाले गिरोह को रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं, शासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून, थाना कोतवाली में लिखायी गयी, श्री विजय रतूड़ी की हत्या की रिपोर्ट और शहर में व्याप्त कथित आतंक

*३--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १० नवम्बर, १९७७ की रात्रि में देहरादून कोतवाली में केस नम्बर १२४३ दफा ३०२ आई० पी० सी० में दर्ज किया गया है उसमें कितने लोग अभियुक्त है तथा उनमें कितने हिरासत में लिए गए हैं? और कितने अभी तक (१५ नवम्बर, १९७७) फरार हैं?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गोविन्द राम रतूड़ी ५२, सहारनपुर रोड, देहरादून ने दिनांक १० नवम्बर, १९७७ को रात्रि में थाना कोतवाली में इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी रात्रि लगभग सवा दस बजे उसके भाई श्री विजय रतूड़ी को एक व्यक्ति हरिशचन्द्र उर्फ रतन हनुमान ने लोहे के सरिया मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर एक मुकदमा धारा ३०२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना कोतवाली पर कायम किया गया। इस मुकदमें में केवल उक्त एक ही अभियुक्त नामजद था और विवेचना के उपरान्त भी वही नामजद अभियुक्त ही अभियुक्त पाया गया। उक्त अभियुक्त को उसी रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के उपरान्त इस मुकदमें में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध भेजा गया आरोप-पत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

*४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति इस केस में कत्ल किया गया है क्या पेशेवर हत्यारे द्वारा कत्ल किया गया है? क्या यह सही है कि इस घटना से देहरादून शहर में एक आतंक फैला हुआ है? यदि हां, तो अपराधियों के विपरीत क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि इस घटना से देहरादून शहर में किसी प्रकार का आतंक फैल गया था। प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण और कुछ कहना उचित न होगा।

बलिया जिले की मुंसिफ, सेशन दीवानी, जजी न्यायालय के मुकदमें के निस्तारण की मांग

*५--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बताएगी कि बलिया जनपद के मुन्सिफ और न्यायिक अधिकारियों के न्यायालयों में १५ नवम्बर, १९७७ तक बहुत से फौजदारी और दीवानी के ऐसे मुकदमें अनिर्णीत पड़े हैं जिनकी दाखिला से ३ वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई है ? यदि हां, तो ऐसे मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां । शीघ्र निस्तारण के लिये जिला जज द्वारा प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को विशेष प्रयास के लिये निर्देश दे दिये गये हैं । जिले की एरियर मानीटरिंग सेल की मासिक सीटिंगों में भी पुराने मामलों के निस्तारण पर विचार किया जाता है । वर्ष १९७६-७७ में २ अतिरिक्त जिला जजों के तथा २ अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालय बलिया में स्थापित किये गये हैं जिससे निस्तारण में तीव्रता आयेगी ।

*६--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि बलिया जनपद के सेशन और दीवानी जजों के न्यायालयों में ऐसी अपीलें अनिर्णीत पड़ी हुई हैं जिनकी अवधि दाखिले में से १५ नवम्बर, १९७७ तक तीन वर्ष समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो ऐसी अपीलों के शीघ्र निस्तारण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां । इस समय बलिया जनपद में ३ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा एक सिविल एवं सहायक सत्र न्यायाधीश कार्यरत हैं जो पुरानी अपीलों के शीघ्र निस्तारण के लिये प्रयत्नशील हैं ।

*७--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[११ वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आई० जी० पुलिस का मिनी मीसा सम्बन्धी वक्तव्य

*८--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान वर्तमान आई० जी० पुलिस द्वारा २६ अक्तूबर, १९७७ के आस-पास किसी दिन कानपुर में दिए गए उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने प्रदेश में मिनी मीसा लगाए जाने का संकेत किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार वास्तव में मिनी मीसा लगाने का विचार कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक ने २५ अक्तूबर, १९७७ को कानपुर में पत्र प्रतिनिधियों से भेंट की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिनी मीसा लगाये जाने का कोई संकेत नहीं दिया था । उत्तर प्रदेश सरकार मिनी मीसा लगाये जाने के प्रश्न पर कोई विचार नहीं कर रही है ।

*९--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

लखनऊ जिले के ग्राम खेरवा निवासी श्री महावीर व ग्राम सुखलाल खेड़ा निवासी श्री नन्हा के घर पर डकैती

*१०--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि अक्तूबर और नवम्बर के महीने में लखनऊ जनपद में डकैतों ने दिनांक ९ नवम्बर, १९७७ को मलिहाबाद और नगराम थाने के ग्राम खेरवा व ग्रामसुखलाल खेड़ा में महावीर और नन्हा पासी के घर हथियार बन्द डाकुओं ने हमला कर आठ हजार रुपए की सम्पत्ति लूट ली ? यदि हां, तो डकैती रोकने का क्या प्रयास किया गया ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १० नवम्बर, १९७७ को महाबीर निवासी खेरवा, थाना मलिहाबाद एवं नन्हा निवासी सुखलाल खेड़ा, थाना नगराम, जिला लखनऊ ने उपरोक्त थानों पर रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके यहां दिनांक ९ व १० नवम्बर, १९७७ की रात में डकैती पड़ी। दोनों डकैतियों में लूटी गई सम्पत्ति का मूल्य कुल ७ हजार ३८० रुपए बताया जाता है। सम्बन्धित मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्टों में कोई अभियुक्त नामजद नहीं किया गया है। मुकदमों की विवेचना की जा रही है।

डकैती के अपराध रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स एवं गश्त तथा इसकी चेकिंग की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों को भी रात्रि में पहरा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

श्री जवाहर लाल यादव, कान्सटेबल, हल्द्वानी, नैनीताल की मृत्यु के संबंध में जांच

*११--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल यादव, कान्सटेबुल, थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल की हत्या दिनांक ३० सितम्बर, १९७७ को कर दी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त मृतक कान्सटेबुल के भाई चन्द्रमा यादव, गांव धुरी बाबा का टोला गंगकिशोर, थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया ने माननीय मुख्य मन्त्री को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ को भेजा है कि जवाहरलाल को अपराधियों ने मारा है, पोस्ट मार्टम गलत कराया गया है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २६ अगस्त, १९७७ को श्री जवाहर लाल यादव, कान्सटबल, थाना हल्द्वानी, को सरकारी कार्य हेतु उक्त थाने से कई जगह भेजा गया था। दिनांक ३० नवम्बर, १९७७ को श्री मोहन राम निवासी धनपुरी द्वारा थाना हल्द्वानी पर सूचना दी गई कि एक मर्दाना लाश आनन्दपुर की नहर में धनपुरी के पास अटकी हुई है। इस सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर गई और शव कान्सटेबल जवाहर लाल का होना ज्ञात हुई। लाश का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्द्वानी पर दरयाफ्त-हाल कायम कर विवेचना की गई। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण डूबने से पाया

गया । विवेचना से किसी अपराध होने का साक्ष्य नहीं मिला । अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी जांच कराई गई । जांच से किसी अपराध होने का प्रमाण नहीं मिला । मृतक का पोस्टमार्टम गलत कराए जाने के आरोप की जांच कराई जा रही है ।

कानपुर जिले के ग्राम कुटरा मकरन्दपुर में तैनात पी० ए० सी० द्वारा बन्दूक व कारतूस के साथ पकड़ा गया अभियुक्त

*१२--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव मकरन्दपुर, थाना सजेती, जिला कानपुर में तारीख ४ सितम्बर, १९७७ को सुरक्षा की दृष्टि से नियुक्त पी० ए० सी० ने बहुत से अपराधियों को दो बन्दूकें तीन तमन्चे तथा ७५ कारतूस के साथ पकड़ा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि कुछ अपराधियों को अभी नहीं पकड़ा जा सका है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ५ सितम्बर, १९७७ को ग्राम कुटरा मकरन्दपुर (कानपुर) में तैनात पी० ए० सी० के हेड कान्सटेबिल ने थाना सजेती (कानपुर) पर सूचना दी कि दिनांक ४ सितम्बर, १९७७ की रात में कैम्प पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुख्तार सिंह डकैत निवासी जिला हमीरपुर अपने कुछ साथियों सहित शस्त्रों से लैश होकर कोई अपराध करने आया हुआ है और फौरन दबिश नहीं दी गई तो कोई संगीन घटना घटित हो जावेगी । इस सूचना पर पी० ए० सी० के कान्सटेबिल तथा एक पुलिस कान्सटेबिल हमराह मुखबिर गांव में गए । वहां पहुंचने पर रास्ते में ५-६ आदमी खड़े दिखलाई दिए जिन्हें रोशनी डालकर टोका गया तो वे भागने लगे । उसमें से एक व्यक्ति को घेर कर पकड़ा गया जिसके पास से एक बन्दूक व कुछ कारतूस बरामद हुआ । घटनास्थल पर जमीन पर पड़े चमड़े के एक बैग से दो तमंचे तथा १० कारतूस भी बरामद हुए । इस सूचना पर एक मुकदमा धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अधीन कायम किया गया जिसकी विवेचना प्रगति में है । विवेचना के पूर्ण होने पर ही अन्य अभियुक्तों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

फर्रुखाबाद जिले में दिए गए शस्त्रों के लाइसेन्स

*१३--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करें कि फर्रुखाबाद जनपद में १ जनवरी, से ३० मई, १९७७ तक कितने अस्त्र-शस्त्रों के लाइसेन्स अलग-अलग थानों पर जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा स्वीकृत किए गए ? क्या शासन को तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध भेजी गई माह जून की शिकायतें मिली हैं, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुक्तहस्त से अनियमित रूप से लाइसेन्स बांटे हैं ? यदि हां, तो उक्त जांच किसके द्वारा करवाई गई ? और क्या परिणाम निकला ?

श्री रामनरेश यादव--

स्वीकृति लाइसेन्सों का विवरण† संलग्न है ।

सम्बन्धित विषय पर तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध माननीय सदस्य द्वारा केन्द्रीय गृह मन्त्री जी को भेजी गई शिकायत पर जांच हो रही है ।

†(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९३ पर) ।

सूचना विभाग की हिन्दी समिति का हिन्दी संस्थान में विलयन

*१४--श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि मार्च, १९७७ में सूचना विभाग के अन्तर्गत चलने वाली हिन्दी समिति के हिन्दी संस्थान के विलयन का कोई निर्णय किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ?

(हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री) श्री राम सिंह--

जी हां । केवल हिन्दी समिति की परिसम्पत्तियों को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध होना है ।

*१५--श्री देव बहादुर सिंह--

[४थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूतपूर्व आई० जी० पुलिस, श्री टंडन के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

*१६--श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व आई० जी० पुलिस (श्री टंडन), लखनऊ के विरुद्ध मई सन् १९७७ से जुलाई, १९७७ तक कितने शिकायती पत्र मुख्य मन्त्री तथा राज्यपाल एवं केन्द्रीय मन्त्रियों तथा मुख्य सचिव को किन-किन तारीखों में प्राप्त हुए ? क्या शिकायती-पत्रों की जांच करा कर पूर्व आई० जी० पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्नगत अवधि में दो शिकायती-पत्र क्रमशः दिनांक १७ मई, १९७७ तथा २३ जून, १९७७ को राज्यपाल महोदय के सचिवालय में प्राप्त हुए । पहला शिकायती-पत्र श्री बृज भूषण तिवारी, संसद सदस्य का था जिस पर जांच कराई गई । जांच में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक दोषी नहीं पाए गए, जिनका कि इसी बीच स्थानान्तरण भी हो गया था । दूसरे शिकायती-पत्र में न भेजने वाले का नाम अंकित था और न किसी के हस्ताक्षर थे । शिकायतें भी विशिष्ट (स्पेसिफिक) नहीं थीं । अतः उसकी जांच करवाने की उपयोगिता नहीं समझी गई ।

उपरोक्त दो शिकायती पत्रों के अतिरिक्त श्री टन्डन के विरुद्ध अन्य कोई शिकायती पत्र प्रश्न में उल्लिखित अवधि में शासन को प्राप्त नहीं हुए ।

*१७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[१०वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*१८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[१० वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*१९--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

अल्मोड़ा जिले के हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी व तत्कालीन चिकित्साधिकारी तथा जिलाधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२०—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २४ अक्तूबर, १९७७ को मुख्य मन्त्री के अल्मोड़ा आगमन के अवसर पर आपातकाल के दौरान ज्यादतियों के बारे में तत्कालीन जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा तथा हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा जो वहां की जनता की ओर से जांच एवं उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, तत्कालीन जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के विरुद्ध विधायक महोदय का पत्र दिनांक २४ अक्तूबर, १९७७ प्राप्त हुआ था किन्तु उक्त पत्र में आपातकाल में की गई ज्यादतियों का कोई उल्लेख नहीं है। जिलाधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विधायक महोदय के पत्र पर जांच करवाई गई किन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा के स्थानान्तरण या उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं समझा गयी।

हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के विरुद्ध विधायक महोदय के शिकायती पत्र पर जांच कराई गई किन्तु उनका स्थानान्तरण आवश्यक नहीं समझा गया।

पर्वतीय क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कथित शासनादेश

*२१—श्री पूरन चन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत शासन द्वारा कोई इस प्रकार का शासनादेश निर्गत किया गया है जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों—१ आई० ए० एस०, २—पी० सी० एस०, ३ आई० पी० एस० के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पर्वतीय विकास मन्त्री जी की सहमति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो इन आदेशों का वर्तमान सरकार द्वारा कहां तक पालन किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

जिलाधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*२२—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध दिसम्बर, १९७७ में दो महिलाओं ने शासन को कोई शिकायती-पत्र लिखा है ? यदि हां, तो वह शिकायती-पत्र क्या है एवं उस पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध दिसम्बर, १९७७ में दो महिलाओं द्वारा लिखित कथित शिकायती पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ । प्रश्न नहीं उठता ।

आपातकाल में गोरखपुर जिले के गांव गोड़सरी में पुलिस की गोली से मृत्यु की घटना

*२३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आपात स्थिति में गोरखपुर जिले के गोला थाने के गोपालपुर गांव सभा में नसबन्दी के सम्बन्ध में तत्कालीन परगनाधिकारी, बांसगांव ने रात में गांव को घेरवा कर अंधाधुन्ध गोली बरस करवाई जिसमें कई लोग मारे गए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मन्त्री जी विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १५-१०-७६ को क्षेत्र विकास अधिकारी, गोला तथा सम्बन्धित नायब तहसीलदार गांव गोड़सरी में परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार हेतु गये थे जहां उनके प्रचार कार्य में बाधा डालते हुए कुछ ग्रामीणों ने उन पर आक्रमण कर दिया जिसके फलस्वरूप तीन राजकीय कर्मचारी घायल हो गये । इस घटना के बारे में क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । अतः दूसरे दिन दिनांक १६-१०-७६ को सम्बन्धित थानाध्यक्ष कुछ सिपाहियों के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गोड़सरी गांव में गये जहां पूर्व नियोजित योजनानुसार सैकड़ों ग्रामवासियों ने लाठी, भाला व गड़ासों से लैस होकर बंदी बनाये गये अभियुक्तों को छुड़ाने हेतु पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया जिससे दो पुलिस कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गये । उग्र भीड़ पर चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और वह और भी उग्र होती गयी । अतः गम्भीर रूप से जानमाल के खतरे को देखते हुए पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी जिससे दो ग्रामीण घायल हो गये और बाद में उनमें से एक की मृत्यु हो गयी । घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच में पुलिस द्वारा गोली का चलाया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है । वैसे इस घटना से सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

खीरी डिवीजन के पलिया वन खन्ड की भूमि पर नेपालियों द्वारा कब्जा

*२४--मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि नीथ खीरी डिवीजन के पलिया वन खंड में नेपालियों ने प्रदेश के जंगल पर खम्बा १९९ से २०५ तक बीडर के खम्बे उखाड़ कर खेती करना शुरू कर दी है और तकरीबन ९० एकड़ हमारा जंगल काट कर लकड़ी नेपाल उठा ले गए हैं ? जिसकी इत्तिला प्रदेशीय सरकार को गत वर्ष सम्बन्धित रेन्जर ने दी थी ? यदि हां, तो इस गम्भीर मसले में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की ? इसकी इत्तिला भारत सरकार को न किए जाने का क्या कारण है ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)--

सूचना दिया जाना जनहित में न होगा ।

*२५—श्री मुहम्मद रफी खां—

[२०-९-७७ को तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

गोरखपुर में उच्च श्रेणी बन्दियों के लिये पंखा, ऊनी कपड़ा व बर्तन की खरीद

*२६—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष १९७६ में उच्च श्रेणी बन्दियों के लिए गोरखपुर में बिजली के पंखे, ऊनी कपड़े व बर्तन खरीदे गए थे ? यदि हां, तो क्या आज भी वे सामान जेल की सम्पत्ति के रूप में जेल में मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, यह सामान अब भी जेल में मौजूद हैं ।

*२७—श्री रवीन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

उन्नाव जिले के ग्राम व्यौली इस्लामाबाद की ऊसर वन भूमि का पट्टा

*२८—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की तहसील सफीपुर में वन विभाग की लगभग ४२ एकड़ भूमि एक व्यक्ति को अनुचित ढंग से कृषि हेतु लीज पर दे दी गयी है जिससे ग्राम पंचमखेड़ा, माऊखेड़ा, नदौरी, व्यौली इस्लामाबाद, काशी नाथ खेड़ा, मौहलिया आदि के निवासियों के जानवरों के चारागाह के लिए कोई भूमि नहीं रह गयी है और ग्रामीणों के समक्ष एक विषम समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पट्टे को निरस्त कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीचन्द—

उन्नाव जनपद की तहसील सफीपुर, परगना बांगरमऊ, ग्राम व्यौली इस्लामाबाद की ४२ एकड़ ऊसर वन भूमि एक व्यक्ति विशेष को कृषि-कम-वृक्षारोपण हेतु लीज पर दी गयी है । यह सही नहीं है कि उक्त भूमि अनुचित ढंग से दी गयी है । उक्त भूमि के अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त मात्रा में वन भूमि चारागाह के लिये उपलब्ध है । अतः यह भी सही नहीं है कि चारागाह के लिए कोई भूमि नहीं रह गयी है और ग्रामीणों के समक्ष एक विषम समस्या उत्पन्न हो गयी है । ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे को समाप्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

एटा जिले के थाना पटियाली के अन्तर्गत पायी गयी लाश सम्बन्धी श्री राम गुलाम सिंह, ग्राम तिवारा मुकुट का प्रार्थना-पत्र

*२९—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें जानकारी मिली है कि दिनांक २६ अक्तूबर, १९७७ को थाना पटियाली, जिला एटा में एक लावारिश लाश प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी पता चला कि उस लाश

[श्री गिरीशचन्द्र तिवारी--]

की सिनाख्त के बाद उसके भाई रामकुमार सिंह, निवासी सिकरा खास, थाना कम्पिल में पुलिस कप्तान फतेहगढ़, एटा तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी को अनेक आवेदन पत्र माह नवम्बर, १९७७ में इस शिकायत के दिए कि उसके भाई की हत्या की जांच पुलिस नहीं कर रही है ? यदि हां, तो उसकी जांच की क्या व्यवस्था की गई ? कौन-कौन अपराधी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २३-१०-७७ को थाना पटियाली, एटा पर स्टेशन मास्टर पटियाली द्वारा प्रेषित एक लिखित सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि एक क्षत-विक्षत लाश रेलवे लाइन पर पड़ी हुई है। उक्त सूचना के आधार पर दरयाफ्त हाल विवेचना प्रारम्भ की गई। लाश का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम कराई गई। लाश अत्यन्त ही क्षत-विक्षत एवं कतिपय अंगहीन अवस्था में प्राप्त होने के कारण शिनाख्त योग्य नहीं थी। इस सम्बन्ध में श्री राम कुमार सिंह, निवासी सिकरा खास का नहीं बल्कि श्री राम गुलाम सिंह, निवासी सिवारा मुकुट, थाना कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद के प्रार्थना-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, एटा व पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ को प्राप्त हुए थे, जिसमें प्रार्थी के भाई की हत्या करने के आरोप लगाये गये थे। उपरोक्त दरयाफ्त हाल को धारा ३०२ भा० दं० वि० के अभियोग में दिनांक २८-२-७८ को परिवर्तित किया गया। इस अभियोग में विवेचना से अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह लाश किस व्यक्ति की थी और न ही श्री राम गुलाम सिंह के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों का इस अपराध में सम्मिलित होना ज्ञात हुआ। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

सीतापुर जिले के ग्राम बबुरीपुर में श्री मैकू लाल की औरत की कुयें में गिरने से मृत्यु

*३०--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १० जनवरी, १९७८ में ग्राम बबुरीपुर, थाना रामपुर कलां, जिला सीतापुर म एक महिला कुयें में मरी हुई पायी गई ? क्या यह सही है कि पुलिस ने बिना जांच किए लाश को जलवा दिया ? इसकी मृत्यु का कारण क्या दहेज था ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक १०-१-७८ को नहीं अपितु ७-१-७८ को मैकू लाल की औरत के कुएं में गिरने की सूचना मैकू लाल के बहनोई शम्भू लाल, निवासी रामपुर भुजंग ने दिनांक ८-१-७८ को थाना रामपुर कलां पर दी थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, वाकयात की जांच की व लाश का पंचायतनामा भरा पाया गया कि कुएं से पानी भरते समय पैर फिसल जाने से कुएं में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने उसकी मृत्यु के बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं बताया अतः पुलिस ने अन्तिम संस्कार हेतु लाश उसके पति को दे दी। जांच से मृत्यु का कारण दहेज होना नहीं पाया गया।

आपातकाल में 'जनमोर्चा' समाचार-पत्र, लखनऊ के कार्यालय पर पुलिस का कब्जा

*३१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाले जन मोर्चा अखबार के कार्यालय पर आपातकाल लागू होने के दिन ही पुलिस ने कब्जा करके उसे सील कर दिया था और उक्त अखबार के प्रधान सम्पादक तथा प्रबन्धक को सुरक्षा कानून में बन्द कर दिया था जिससे उसका प्रकाशन बन्द हो गया था ? यदि हां, तो क्या मौजूदा सरकार द्वारा उक्त अखबार को किसी प्रकार की क्षति पूर्ति दी गई और पुनः प्रकाशित होने पर उसे सरकारी विज्ञापन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

आपातकाल की स्थिति के पूर्व 'जनमोर्चा' समाचार पत्र लखनऊ से दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था और शासकीय विज्ञापनों के लिये स्वीकृत था । आपातकाल की समाप्ति पर उक्त समाचार पत्र दैनिक पत्र के स्थान पर साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा है । साप्ताहिक समयावधि में प्रकाशन के लिये अब इस पत्र के बारे में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत नये सिरे से विचार किया जायेगा ।

मोमबत्ती के लघु व्यवसाइयों को आयातित एवं स्वदेशी मोम का आवंटन

*३२--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोमबत्ती के घरेलू उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए देशी और विदेशी मोम का आधा-आधा कोटा निर्धारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

शासन ने यह निर्णय लिया है कि छोटे व्यवसायियों को जो हाथ से मोमबत्ती बनाते हैं उन्हें आयातित तथा स्वदेशी मोम १:२ के अनुपात में दिया जाय । शेष को १:१ के अनुपात में दिया जाय ।

प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० द्वारा हरकचन्द फ्लावर मिल्स को बिक्रीकर ऋण योजना व पूंजी सहायता योजना के अन्तर्गत दिया गया ऋण

*३३--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० ने मेसर्स हरकचन्द फ्लावर मिल्स को गलती से बिक्री-कर ऋण योजना के अन्तर्गत ३ लाख १२ हजार रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान कर दिया था ? यदि हां, तो इस गलती के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए तथा अभी तक उक्त फर्म से इस वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां ।

बिक्री कर प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप में क्रय कर सम्बन्धी सूचना अलग से देने का प्राविधान न होने के कारण, क्रयकर के रूप में जमा की गई धनराशि को भी बिक्रीकर मानकर तद्नुसार ऋण स्वीकृत कर दिया गया था । इसके लिये किसी अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता । प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है । अधिक भुगतान की गई धनराशि ब्याज सहित इस फर्म से वसूल की जा चुकी है ।

*३४--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० ने गत तीन वर्षों में पूंजी सहायता योजना (कैपिटल सब्सिडी स्कीम) के अधीन कितनी औद्योगिक इकाइयों को १ लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया है ? इनमें से कितनी इकाइयों ने इस सम्बन्ध में कारपोरेशन से करार (एग्रीमेन्ट) निष्पादित कर लिए हैं ?

श्री राम प्रकाश--

दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० ने गत ३ वर्षों में पूंजी सहायता योजना के अधीन ७ औद्योगिक इकाइयों को १ लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है । अनुबन्धन का प्रारूप विधीक्षण हेतु शासन के विचाराधीन है । प्रारूप अन्तिम न हो सकने के कारण इन इकाइयों से अनुबन्ध निष्पादित नहीं कराये जा सके हैं, किन्तु निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादित करने की लिखित सहमति इन सबसे प्राप्त कर ली गई है ।

मुख्य सचिव के अनुसचिव श्री रतन बिहारी लाल की पुनर्नियुक्ति

*३५--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७-७८ में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों को जो सूची शासनादेश संख्या ६३३४/बी/ई-१-६४०/७७, दिनांक २९ अगस्त, १९७७ द्वारा निकाली थी उसमें मुख्य सचिव के अनुसचिव की पुनर्नियुक्ति दिखायी गयी थी ? यदि हां, तो फिर इस पुनर्नियुक्ति को सेवा वृद्धि मानकर ३ माह का नोटिस सेवा समाप्त करने का क्यों दिया गया है ?

श्री राम नरेश यादव--

चूंकि श्री रतन बिहारी लाल, तत्कालीन मुख्य सचिव के अनुसचिव का २२-३-१९७७ के आदेशानुसार एक वर्ष की सेवा वृद्धि स्वीकृत की गयी थी जिसे श्री राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन में पुनर्नियुक्ति में बदले जाने का आदेश दिया था । अतः उक्त शासनादेश में औपचारिक आदेशों की प्रत्याशा में यह अंकित किया गया कि श्री लाल को एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति स्वीकृत की गयी ।

राज्यपाल द्वारा पारित पुनर्नियुक्ति विषयक आदेशों पर शासन द्वारा नवम्बर, १९७७ में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री लाल को सेवा-निवृत्त कर दिया जाय । चूंकि श्री लाल के सेवा वृद्धि के आदेश प्रभावी थे इसलिए उन्हें तीन माह की नोटिस नियमानुसार दी गयी ।

*३६--श्री मोती राम--

[न्यायाधीश के कार्यकलाप से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

*३७--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद--

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद जिले के पुलिस उप-निरीक्षक, श्री वरमेश्वर सिंह के विरुद्ध शराब पीने का आरोप एवं अकबरपुर डिग्री कालेज के छात्र यूनियन के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री बीरेन्द्र सिंह की हत्या

*३८--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में कानून और व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति तथा अपराधों में वृद्धि के बारे में मुख्य मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक २४ जनवरी, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उन सारी शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कोई कदम उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली के पुलिस उप-निरीक्षक श्री वरमेश्वर सिंह द्वारा शराब पिये जाने का आरोप सही पाया गया जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । दिनांक १८-१-१९७८ को अकबरपुर के डिग्री कालेज के छात्र यूनियन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह को पुरानी रंजिश एवं गुटबन्दी के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या तो कर दी गयी थी, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटना के पीछे किसी संसद सदस्य, विधायक तथा उप-पुलिस अधीक्षक का हाथ था । पत्र में लगाये गये अन्य आरोप सही नहीं पाये गये ।

डाला एवं चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का कोटा

*३९--श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाला-चुर्क सीमेन्ट फैक्टरियों में नियमित कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों में अनुसूचित जातियों की संख्या का अनुपात क्या है ? क्या यह अनुपात सरकारी कोटे के हिसाब से है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

डाला एवं चुर्क कारखानों को मिलाकर नियमित कार्यरत कुल कर्मचारियों/अधिकारियों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या लगभग १५·९ प्रतिशत है, जबकि निर्धारित कोटा १८ प्रतिशत है । कारखानों में अनेक पद तकनीकी अर्हता के हैं जिनके लिए अनुसूचित जाति के उपयुक्त व्यक्तियों का उपलब्ध न होना ही इस कमी का मुख्य कारण है ।

पुलिस अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*४०--श्री राजेश कुमार सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पहली जुलाई, १९७७ से लेकर अब तक कितने पुलिस अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता की शिकायतें प्राप्त हुई है और कितनों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्न के उत्तर के लिए सूचना एकत्रित करने में जो समय, श्रम और धन व्यय होगा वह उत्तर की उपयोगिता के अनुरूप नहीं होगा।

विधान भवन के सामने नवीन विधान भवन निर्माण का प्रस्ताव

*४१--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान विधान भवन के सामने नवीन विधान भवन निर्मित करने की कोई योजना सन् १९७५-७६ में बनाई गयी थी ? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ? यदि नहीं, तो कठिनाई क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

इस विषय पर केवल प्रस्ताव विचाराधीन है। कोई योजना अभी नहीं बनी है।

जिला अस्पताल, फतेहगढ़ में बन्दी, श्री शिवनाथ त्रिवेदी की मृत्यु

*४२--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या न्याय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि २४ दिसम्बर, १९७७ को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध नक्सलपंथी बन्दी श्री शिवनाथ त्रिवेदी की बीमारी की गम्भीरता से अवगत कराते हुए आयुक्त एवं सचिव (श्री इन्द्र मोहन सहाय) के नाम प्रश्नकर्त्ता ने कोई पत्र दिया था ? क्या यह सही है कि २३ जनवरी, १९७८ को उक्त जेल के अन्दर ही श्री त्रिवेदी का देहान्त हो गया ? यदि हां, तो उनकी मृत्यु के क्या कारण बने और मृत्यु के पूर्व समुचित इलाज के कौन से कदम उठाए गए ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक २४-१२-१९७७ को शासन को प्राप्त हुआ था। उसमें बन्दी श्री शिवनाथ त्रिवेदी को टी० बी० का रोगी बताते हुए चिकित्सा हेतु उसका स्थानान्तरण लखनऊ की किसी जेल में करने का अनुरोध किया गया था।

बन्दी श्री शिवनाथ त्रिवेदी की मृत्यु दिनांक २३-१-१९७८ को जिला अस्पताल, फतेहगढ़ में हुई थी न कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में।

बन्दी टी० बी० नहीं, बल्कि "पोर्टल हाइपरटेन" का रोगी था। उसकी मृत्यु के पूर्व दिनांक २३-१२-१९७७ से ११-१-१९७८ तक उनका इलाज जेल अस्पताल में तथा १२-१-१९७८ से जिला अस्पताल, फतेहगढ़ में किया गया था, किन्तु रोग असाध्य होने के कारण उन्हें बचाया न जा सका।

खीरी जिले के ग्राम त्रिलोकपुर की कुमारी माया देवी द्वारा लिखायी गयी बलात्कार की रिपोर्ट

*४३--श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मई सन् १९७६ को कुमारी माया देवी पुत्री श्री नारायन काछी, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, थाना पलियां कलां, जिला खीरी के साथ बलात्कार की धारा ३७६/३४२ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्न में उल्लिखित आशय की रिपोर्ट श्रीमती माया देवी द्वारा थाना कोतवाली, जिला खीरी पर दिनांक २४-५-१९७६ को दर्ज कराई गई थी। वादिनी के कुछ कपड़े पुलिस ने परीक्षण हेतु कब्जे में लिया तथा श्रीमती माया देवी को डाक्टरी मुआयने के लिए अस्पताल भेजा। मामला थाना पलिया से सम्बन्धित होने के कारण यह अभियोग दिनांक २५-५-१९७६ को थाना पलिया पर अपराध संख्या १४१ पर दर्ज किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। उसी दिन नामजद अभियुक्त बेनी सिंह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व दिनांक २६-५-१९७६ को जेल भेजा गया। दिनांक १३-६-१९७७ से इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। विवेचना जारी है।

जिला खीरी के थाना मोहम्मदी के सब इन्सपेक्टर, श्री गौरी शंकर सिंह के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत

*४४--श्री मन्ना लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के थाना मोहम्मदी के एक एस० आई० पुलिस के विरुद्ध मोहम्मदी की जनता ने दिनांक २२ जुलाई, १९७७ को रिश्वतखोरी तथा अय्याशी आदि के बारे में गम्भीर लिखित शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मोहम्मदी, जिला खीरी के सब इन्सपेक्टर श्री गौरी शंकर सिंह के विरुद्ध थाना मोहम्मदी क्षेत्र के निवासीगण सर्वश्री जयश्याम मेहरोत्रा, बाबू राम तथा सुमेर चन्द्र के प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, खीरी को प्राप्त हुए थे जिनमें गाली-गलौज व रिश्वत लेने के आरोप थे।

इन शिकायतों जी जांच की गई। रिश्वत लेने की शिकायतों की जांच के उपरान्त सब-इन्सपेक्टर गौरी शंकर सिंह के विरुद्ध थाना मोहम्मदी, जिला खीरी पर मुकदमा अपराध संख्या ९३, धारा १६१ भारतीय दंड विधान व ५(२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना की की जा रही है। गाली-गलौज की शिकायतों के सन्दर्भ में इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

एटा जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी, श्री ओम पाठक के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

*४५--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि एटा जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी (श्री ओम पाठक) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं पद के दुरुपयोग तथा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में कोई पत्र शासन को माह दिसम्बर सन् १९७७ में मुख्य मन्त्री को मिला था ? यदि हां, तो पत्र में आरोप क्या थे और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव--

दिसम्बर, १९७७ में इस प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला था। प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी इकाइयों को कोयले का आवंटन और इकाइयों द्वारा कोयले का कथित ब्लक किया जाना

*४६--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद की चूड़ी और कांच इकाइयों को अगस्त, १९७७ मास में अलग-अलग कितना-कितना कोयले का कोटा आवंटित किया गया ? क्या इन इकाइयों से चूड़ी लाइसेन्स सर्टीफिकेट प्राप्त किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

फिरोजाबाद की चूड़ी और कांच इकाइयों को माह अगस्त, १९७७ का अलग-अलग निम्नलिखित कोटा आवंटित किया गया था :

इकाई की किस्म	संख्या	कुल अगस्त का आवंटन
चूड़ी	११२	११४४ वैगन
ग्लास	३०	१४० वैगन
ग्लास वेयर	२५	४७२ वैगन
कांच के मोती	१४	२८ वैगन
कुल ..	१८१	१,७८४ वैगन

कोयले के आवंटन हेतु इन इकाइयों को चूड़ी लाइसेन्स सर्टीफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उद्योग विभाग द्वारा इकाइयों को लघु उद्योग पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिये गये हैं और उन्हीं के आधार पर इकाइयों को कोयला आवंटित किया जाता है।

*४७—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त इकाइयों ने इस कोयले को ब्लैक में बेच दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इन इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

उक्त अवधि में आवंटित कोयले को इकाइयों द्वारा ब्लैक में बेचने की कोई निश्चित सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई ।

इस सम्बन्ध में आरोप प्राप्त होने पर उद्योग निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने १५–१६ मार्च, १९७८ को ४२ इकाइयों का निरीक्षण किया । इन ४२ इकाइयों में से कुछ इकाइयों का कोयले का कोटा निरस्त/लम्बित किया गया है ।

सेवा निवृत्त पुलिस कर्मचारियों को सैनिकों के समान मकान एवं जमीन आदि की सुविधा की मांग

*४८—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि साधारण पुलिस कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर सेना के लोगों की तरह इनके पुनर्वास के लिए मकान एवं जमीन आदि की सहायता देने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं ।

*४९—श्री मैनेजर सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

बांदा जिले के ग्राम देवरथा के श्री राम कृपाल यादव के घर पर डकैती एवं उनकी हत्या

*५०—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि २४ दिसम्बर, १९७७ की शाम को मौजा देवरथा, थाना बबेरू, जिला बांदा के श्री राम कृपाल यादव, प्रधान के ऊपर सशस्त्र डकैती पड़ी और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २४ दिसम्बर, १९७७ की शाम को मौजा देवरथा, थाना बबेरू, जिला बांदा निवासी श्री राम कृपाल यादव, प्रधान के घर में डकैती पड़ने एवं डकैती में उन्हें गोली लगने के सम्बन्ध में थाना बबेरू में उसी रात एक रिपोर्ट लिखाई गई थी । इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई । श्री राम कृपाल यादव को इलाज के लिये सदर अस्पताल बांदा और वहां से सिविल अस्पताल, लखनऊ ले जाया गया । लखनऊ में श्री राम कृपाल यादव की मृत्यु हो

गई । मृत्यु की सूचना थाना बबेरू में प्राप्त होने पर अभियोग में धारा ३९६ भारतीय दण्ड विधान जोड़ दी गई । विवेचना से पांच अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से एक अभियुक्त को दिनांक १-१-७८ को गिरफ्तार किया गया । इस अभियुक्त के विरुद्ध धारा ३९६ भारतीय दण्ड विधान व २५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायलय भेजी जा चुकी है । शेष चार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर दी गई है ।

बांदा जिले के श्री गया प्रसाद यादव, एडवोकेट का एस० पी० बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५१--श्री देवकुमार--

क्या यह सही है कि जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री गया प्रसाद यादव, एडवोकेट, बांदा को व्यक्तिगत द्वेष के कारण एस० पी०, बांदा ने श्री हुकुम सिंह, निवासी ग्राम पवई, थाना बिसन्डा के कत्ल के इल्जाम में दिनांक २० जनवरी, १९७८ को झूठे नामजद करा दिए जाने के खिलाफ श्री गया प्रसाद ने प्रश्नकर्ता के पत्र सहित दिनांक १ फरवरी, १९७८ को मुख्य मंत्री जी को एस० पी० बांदा पर गम्भीर आरोप लगाते हुए शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो घटना तथा एस० पी० के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का पूरा विवरण क्या है ? और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां, श्री गया प्रसाद यादव, एडवोकेट, बांदा का एक शिकायती-पत्र दिनांक १-२-७८, जिसमें पुलिस अधीक्षक बांदा के विरुद्ध द्वेष के कारण उन्हें, दिनांक २०-१-७८ को हुए श्री हुकुम सिंह, निवासी ग्राम पवई, जिला बांदा के कत्ल के इल्जाम में फंसवा देने की शिकायत की गई है, प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र दिनांक १-२-७८ के साथ प्राप्त हुआ था । शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

*५२--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के फलस्वरूप निरस्त ।]

बहराइच जिले में वन विभाग के रेंज मोतीपुर व धर्मापुर में भूमि का पट्टा और लाटों के क्षेत्रफल में पायी गयी कमी

*५३--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

विधान सभा के २० सितम्बर, १९७७ [दिन मंगलवार के नत्थी (ख)] के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद के रेंज मोतीपुर व धर्मापुर में कृषि हेतु लीज लाटों के क्रेताओं ने अन्दर मियाद विक्रय मूल्य में छूट तथा क्षेत्रफल में कमी की आपत्ति रेंज आफीसर (तत्कालीन) मोतीपुर के द्वारा उप अरण्यपाल बहराइच को कर दी थी जिसकी पुनः पैमाइश की नोटिस रेंज आफीसर (तत्कालीन), मोतीपुर ने लाटों के क्रेताओं को दिसम्बर, १९७५ में लिखित दी थी; यदि हां, तो विक्रय मूल्य में छूट तथा क्षेत्रफल में कमी की पूर्ति अब तक न करने का क्या कारण है और उक्त सन्दर्भ में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द—

क्रेताओं ने क्षेत्रफल में कमी तथा विक्रय मूल्य में छूट का आवेदन-पत्र मियाद के अन्दर नहीं दिया। दिसम्बर, १९७५ में पुनः पैमाइश किये जाने के बारे में कथित लिखित नोटिस दिये जाने की पुष्टि भी अभिलेखों से नहीं होती है। तत्कालीन रेंज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि श्री भोलानाथ नामक एक ठेकेदार ने दिसम्बर, १९७५ में मौखिक रूप से उन्हें बताया कि उनके प्लाट की सीमा का आंशिक रूप से अतिक्रमण करके कुछ क्षेत्रफल दबा लिया गया है। इस शिकायत का निदान तत्कालीन रेंज अधिकारी ने उसी समय कर दिया था।

तीन लाटों-संख्या ७५९ श्री भोलानाथ की, संख्या ७८२ श्री रामनरेश की तथा संख्या ७६० श्री राम नरायन की-के क्षेत्रफल में कमी होने के बारे में आवेदन-पत्र १९७६ तथा जनवरी, १९७७ में दिये गये जो विक्रय नियमों के अनुसार टाइम बार्ड होने के कारण अस्वीकार कर दिये गये।

उक्त तीनों विवादग्रस्त लाटों का मामला प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न के फलस्वरूप शासन की जानकारी में अगस्त, १९७७ में पहली बार आया। प्रश्नगत लाटों का सर्वेक्षण एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराया गया तथा उनके क्षेत्रफल में कमी पाई गई। शासन ने वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर बिल्कुल नैतिक व अनुकम्पा की दृष्टि से आनुपातिक छूट दिये जाने के आदेश जनवरी, १९७८ में पारित किये। इन आदेशों के फलस्वरूप सर्वश्री भोलानाथ, रामनरायन तथा रामनरेश ठेकेदारों से रु० ६४,०२०, रु० ७०,४७० व रु० ३३,०३० विक्रय मूल्य के बजाय क्रमशः रु० ४७,५७२, रु० ६२,१०२ तथा रु० २२,८१२ संशोधित विक्रय मूल्य वसूल किया जा रहा है।

श्री मुख्तार अनीस, पशुपालन उप मंत्री द्वारा विधान भवन रक्षक की कथित पिटाई

*५४—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पशुपालन उप मंत्री, श्री मुख्तार अनीस ने दिनांक ७ फरवरी, १९७८ को विधान सभा गेट पर नियुक्त किसी गार्ड की अपने हाथों से पिटाई की है? यदि हां, तो उस गार्ड का नाम क्या है और पिटाई के क्या कारण रहे हैं? गार्ड के कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाने में उसे शारीरिक चोट पहुंचाने तथा अपमानित करने के सिलसिले में उक्त उप मंत्री के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक ७ फरवरी, १९७८ को विधान सभा गेट संख्या ५ पर तैनात विधान भवन रक्षक श्री धन सिंह द्वारा उप मंत्री पशुपालन श्री मुख्तार अनीस को न पहचान पाने और प्रवेश-पत्र मांगने के कारण उन्होंने कुछ अप्रसन्नता व्यक्त की। फलस्वरूप विधान भवन रक्षकों में कुछ प्रतिक्रिया हुई जिसे मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप से सद्भावनापूर्ण ढंग से सुलझा दिया गया।

*५५—श्री अब्दुल हफीज—

[५ वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रेस मान्यता समिति का गठन

*५६—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रेस मान्यता समिति का गठन कब से नहीं हुआ है ? क्या निकट भविष्य में समिति के गठन का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह—

माह जुलाई, १९७६ से समिति का गठन किया जा चुका है ।

बांदा जिले के सम्पादकों को दी जाने वाली शासकीय सुविधाएं (प्रेस नोट)

*५७—श्री राम सजीवन—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के किन-किन सम्पादकों व सम्वाददाताओं को शासकीय सुविधायें (प्रेस नोट आदि) शासन के किन नियमों के आधार पर दी जा रही हैं ? क्या यह सत्य है कि एक ही समाचार-पत्र के कई संवाददाताओं को शासकीय सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

संलग्न सूची के अनुसार ।

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी 'ख' अंगे पृष्ठ ५९६ पर ।)

एटा जिले के ग्राम सिकन्दरपुर वैश्य के श्रीराम गड़रिया के घर पर कत्ल सहित डकैती

*५८—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिकन्दरपुर वैश्य, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जिला एटा में दिनांक ४ जनवरी, १९७८ की बीती रात को करीब १० बजकर ३० मिनट पर श्री राम के घर पर डकैती पड़ी जिस में श्री राम की पत्नी बृगा को बदमाशों ने मौके पर ही जान से मार दिया जिसकी रिपोर्ट नामदर्ज पुलिस कप्तान, एटा को की गयी थी? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ३-१-७८ की रात्रि में करीब साढ़े दस बजे गांव सिकन्दरपुर वैश्य, जिला एटा में श्री रामगड़रिया के घर सशस्त्र बदमाशों द्वारा डकैती डालने, जिसमें श्री राम की पत्नी श्रीमती बृगा की घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने की मौखिक सूचना दिनांक ४-१-७८ के प्रातः ५ बजे गांव के चौकीदार द्वारा थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर दी गई । उक्त सूचना के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा ३९६ भा० द० वि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । अब तक की विवेचना से ३९ अपराधी प्रकाश में आये हैं । इन ३९ अपराधियों में से ४ अपराधियों की पुलिस मुठभेड में मृत्य हुई । उन्नीस अपराधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं । एक अपराधी न्यायालय में उपस्थित होकर जेल भेजा

जा चुका है । फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ दं० प्र० सं० की कायवाही के संबंध में न्यायालय से आदेश प्राप्त किये जा रहे हैं । मुकदमें म सात अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक २०-३-७८ को आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है । श्री राम ने पुलिस अधीक्षक, एटा को दिनांक ४-१-७८ को एक प्रार्थना पत्र इस अपराध के संबंध में दिया था, जिसमें उसने अमुक तीन व्यक्तियों को घटना में पहिचानना बताया था । विवेचना प्रचलित है ।

एटा जिले के ग्राम सिकन्दरपुर वैश्य के श्री भरत सिंह के घर पर डकैती

*५९—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरपुर वैश्य, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जिला एटा में तारीख ९ जनवरी, १९७८ की बीती रात को करीब १० बजकर ३० मिनट पर ठाकुर भरत सिंह के घर पर डकैती पड़ी जिसमें ठाकुर भरत सिंह के चाचा तिलक सिंह को मौके पर बदमाशों ने गोली मार दी ? जिसकी रिपोर्ट थाने में की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भरत सिंह, निवासी सिकन्दरपुर वैश्य, एटा द्वारा थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर दिनांक ९-१-७८ के प्रातः ६.३० बजे इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि दिनांक ८-१-७८ की रात्रि के करीब १०-३० बजे १५/१६ सशस्त्र बदमाशों ने उनके घर पर डकैती डाली एवं फायर किया जिसके छर्रे श्री तिलक सिंह को लगे । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर अभियोग अन्तर्गत के धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । अब तक की विवेचना से इस अभियोग में ३९ अभियुक्त प्रकाश में आये हैं । इन ३९ अपराधियों में से ४ अपराधियों की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई । उन्नीस अभियुक्त पुलिस द्वारा बंदी बनाकर जेल भेजे जा चुके हैं । एक अपराधी न्यायालय में उपस्थित होकर जेल भेजा गया । फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जा० फौ० की कार्यवाही के संबंध में न्यायालय से आदेश प्राप्त किये जा रहे हैं । इस मुकदमें में ग्यारह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक २०-३-७८ को न्यायालय भेजा जा चुका है ।

मेरठ जिले के ग्राम बड़ौत की श्रीमती खुरशेदी बेगम के साथ थाने के सिपाहियों द्वारा बलात्कार की जांच

*६०—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक १० फरवरी, १९७८ का खुरशेदी बेगम पत्नी, निजामउद्दीन बड़ौत, जिला मेरठ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इसने अपने साथ बड़ौत थाने के तीन सिपाहियों ने बलात्कर करने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के आधार पर थाना बड़ौत, जिला मेरठ में धारा ३७६/३२३/५०६ भा० दं० वि० का अपराध कायम किया गया है जिसकी विवेचना एस० आई० एस० द्वारा की जा रही है ।

प्रतिभा टाकीज, लखनऊ में कथित डी० आई० आर० एवं मीसा बन्दियों का सम्मेलन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समकक्ष सुविधा की मांग

*६१—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रतिभा टाकीज, लखनऊ में डी० आई० आर० और मीसा बन्दियों के सम्मेलन में पिछले तीन माह पूर्व मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि आपातकाल पीड़ित राजनैतिक बन्दियों को वही सुविधायें दी जायेंगी, जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था लागू की गयी? यदि नहीं, तो कब तक लागू होगी और इसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं । अतः ऐसी वयवस्था लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष, अछनेरा, जिला आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*६२—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थानाध्यक्ष, थाना अछनेरा, जनपद आगरा के विरुद्ध जनता की शिकायत पर जनपद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नवम्बर, १९७७ में जांच की है ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष पर आरोप क्या थे तथा अधिकारी की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार निवासीगण, कस्बा अछनेरा द्वारा थानाध्यक्ष अछनेरा, जनपद आगरा के विरूद्ध माह नवम्बर, १९७७ में शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को भेजा गया था । उक्त प्रार्थनापत्र में थानाध्यक्ष के विरूद्ध भ्रष्टाचार, अभियोगों को सही रूप से पंजीकृत न करने, मुकदमों के महत्व को कम करके लिखने तथा सही रूप से विवेचना न करने आदि के आरोप लगायें गये थे । उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई । जांच से उक्त थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध कुछ मामलों में अभियोगों को सही रूप से पंजीकृत न करने एवं मुकदमों के महत्व को कम करके लिखने के आरोप सही पाये गये हैं अतः उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रतापगढ़ नगर के दो दलों के बीच मारपीट की घटना

*६३—श्री विद्या शंकर—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० जनवरी, १९७८ को प्रतापगढ़ नगर स्थित अभी हाल में दो दलों के बीच कोई मारपीट की घटना हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई रिपोर्ट पुलिस कोतवाली में दर्ज हुई तथा उसमें कितने अभियुक्तगण हैं और उन पर किन धाराओं में जुर्म हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । एक पक्ष द्वारा दिनांक ३०-१-७८ को थाना कोतवाली में ४ रिपोर्टें दर्ज करायी गयी जिनमें ८ व्यक्ति नामजद किए गये किन्तु विवेचनोपरान्त

केवल ५ व्यक्ति दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा १४७/१४९/३२५/२२३ के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दूसरे पक्ष ने अपने प्रतिपक्षियों के विरुद्ध दिनांक २-२-७८ को थाना रानीगंज में एक रिपोर्ट भा० दं० वि० की धारा ३८२/३८३/३९५ के अन्तर्गत लिखायी जिसमें १२ व्यक्ति नामजद किये गये और दिनांक ९-२-७८ को उसी घटना के संबंध में थाना कोतवाली में भा० दं० वि० की धारा १४७/३२३ के अन्तर्गत एक और रिपोर्ट लिखवायी जिसमें ५ व्यक्ति नामजद किए गए, किन्तु दोनों ही रिपोर्टों में नामजद किए गये व्यक्तियों में से ४ व्यक्ति उभयनिष्ठ हैं। दूसरे पक्ष की उक्त दोनों रिपोर्टें अभी विवेचनाधीन हैं। उक्त दोनों पक्षों में तनाव चलने के कारण, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, दोनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस द्वारा १०७/११६ जा० फौ० की कार्यवाही भी की जा चुकी है।

*६४—श्री मित्रसेन—

[५ वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

*६५—श्री हरिकेवल प्रसाद—

[२८-३-७८ को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]—

नैनीताल जिले के ग्राम हरिपुर केशवदत्त निवासी श्री तारादत्त नैनवाल तथा पत्नी व पुत्र की हत्या

*६६—श्री राम दत्त जोशी—

क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत १४ जनवरी, १९७८ को जनपद नैनीताल की हल्द्वानी तहसील के ग्राम हरिपुर केशवदत्त में श्री तारादत्त नैनवाल, उनकी पत्नी एवं पुत्र की हत्या कर दी गई? यदि हां, तो उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १४-१-७८ की रात के १०-१५ बजे श्री नरेश चन्द्र चोपड़ा, निवासी गांव हल्दू चौड़दीना, जिला नैनीताल ने थाना हल्द्वानी पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि रात्रि के करीब सवा नौ बजे तीन सशस्त्र बदमाश उनके ससुर श्री तारादत्त, निवासी ग्राम हरीपुर केशवदत्त के घर के निकट आये। वादी ने उनसे आने का कारण पूछा तो इसी पर बात बढ़ गई तथा बदमाशों ने फायर करके वादी के ससुर, सास एवं साले को घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल भेजा गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में धारा ३०७/३०२ भा० दं० वि० का अभियोग कायम कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना से अभी तक दो अभियुक्तों का पता चला है, जिनमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दूसरे को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। तीसरे अभियुक्त का नाम पता अभी ज्ञात नहीं हुआ है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

*६७—श्री कृष्णा राय—

[६ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

टिहरी गढ़वाल जिले के ग्राम भड़ेती व ढुंगलीधार पहाड़ी के निकट गंगा नदी में अभियुक्त श्री कमल सिंह की डूबने से मृत्यु

*६८—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर भड़ेती नामक ग्राम के पास ढुंगली धार नामक पहाड़ी पर दिनांक २३ जनवरी, १९७८ को दिल्ली पुलिस के आदमियों ने एक व्यक्ति, श्री कमल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उस पर बड़े-बड़े पत्थर फेंके जिस कारण कि वह पहाड़ी से गिरकर गंगा नदी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इस मामले में कोई मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह सब-इन्सपेक्टर थाना किंग्सवे कैम्प दिल्ली पुलिस ने दिनांक २३-१-७८ को पटवारी भेटी नगुण जिला टिहरी गढ़वाल के रोजनामचा आम में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि थाना किंग्सवे कैम्प दिल्ली के अभियोग धारा ३८१ भारतीय दण्ड विधान की तफ्तीस के दौरान अभियुक्त भाग सिंह को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करके लाये और दूसरा अभियुक्त कमल सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए भड़ेती बस अड्डे से कुछ दूर से भागा और ढुंगलीधार के पास भागीरथी नदी में उतर गया और फिर कुछ अन्दर जाकर दिखाई नहीं दिया, हो सकता है डूब गया हो । उक्त रिपोर्ट के आधार पर पटवारी द्वारा गुमशुदा की तलाश और दरियाफ्तहाल जांच आरम्भ की गई ।

श्री खेम सिंह द्वारा अपने पुत्र कमल सिंह की लाश ढिक्यारा गाड के सामने नदी के बायें किनारे पर ग्राम कुमराड़ा की तरफ लगे होने की दिनांक १९-२-१९७८ को दी गई सूचना पर पटवारी भेंटी द्वारा दिनांक २०-२-७८ को घटना स्थल पर जाकर लाश को प्राप्त कर पंचायत नामा कराया गया और दिनांक २१-२-७८ को लाश का पोस्टमार्टम हुआ । पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण डूबने के फलस्वरूप दम घुटना पाया गया । अब यह विवेचना राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तान्तरित कर दी गई है तथा मामला विवेचनाधीन है । आवश्यकता न होने के कारण इस मामले में मजिस्टीरियल जांच नहीं करायी गई ।

थाना नौगवां, सादात, जिला मुरादाबाद की पुलिस की गोली से हत्या की घटना तथा गृह मंत्रालय भारत संरकार का पत्र

*६९—श्री रियासत हुसेन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय गृह मन्त्री का पत्र संख्या ६-१५२८/२३-६६, दिनांक ११ अप्रैल, १९७७ जो कि गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक २४ जून, १९७६ को थाना नौगवां, सादात, जिला मुरादाबाद के पुलिस जनों द्वारा बेगुनाह व गरीब व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या करने के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक २४-६-७६ की कथित घटना के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्री जी का पत्र सं० ६-१५२८/२३/६६, दिनांक ११-४-७७ नहीं,

अपितु गृह मंत्रालय भारत सरकार का पत्र सं० ६-१५०१८/२३/७७ जी० पी० ए० -२, दिनांक ११ अप्रैल, १९७७ गृह सचिव का प्राप्त हुआ था ।

उक्त मामले के संबंध में भारत सरकार तथा श्री शमसुल हसन नि० नकूरबाद थाना गजरौला, जिला मुरादाबाद से पहले भी पत्र प्राप्त हुए थे और उन पर क्षेत्राधिकारी, अमरोहा, जिला मुरादाबाद से जांच कराई गई थी । विचारोपरान्त इस जांच की सी० आई० डी० से क्रास-चैकिंग कराई गई । सी० आई० डी० ने जांच के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए यह रिपोर्ट दी है कि श्री शमशुल हसन के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित दोनों व्यक्ति अपराधिक प्रवृति के थे और वे दिनांक २४-६-७६ की रात में अमरोहा-बिजनौर रोड पर डकैती डालने की तैयारी करते हुए पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये थे ।

थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ के सब-इन्सपेक्टर, श्री केदारनाथ मिश्र के साथ लूट की घटना

*७०--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २६ सितम्बर, १९७६ को पुलिस चौकी अमेठी, थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ के अन्तर्गत श्री केदारनाथ मिश्र, सब-इंस्पेक्टर पर किन्हीं व्यक्तियों ने हमला किया और उनका निजी रिवाल्वर नं० ५००४ मय कारतूस के छीन लिया और उनको अत्यधिक मारा, जिससे उनकी दशा गम्भीर हो गई, जिसकी रिपोर्ट तदुपरान्त उक्त थाने में दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गयी और जांच के परिणामस्वरूप अपराधियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना गोसाईगंज, लखनऊ के सब-इंस्पेक्टर श्री केदारनाथ मिश्र दिनांक २६ सितम्बर, १९७६ को गश्त के लिए हेड कान्स्टेबिल द्वारिका प्रसाद शुक्ला के साथ अपनी मोटर साइकिल से सायं ७-३० बजे जा रहे थे । रास्ते में लोनी पुल के पास लाठी-डंडा से लैस १०-१२ आदमियों ने उनकी मोटर साइकिल रोक ली । सब-इन्सपेक्टर ने अपनी मोटर साइकिल धीमी की तो उपरोक्त व्यक्तियों ने सब-इन्सपेक्टर व हेड कान्स्टेबिल को लाठी डंडे से चोट पहुंचाकर सब-इन्सपेक्टर का रिवाल्वर संख्या ४७५ तथा १७ कारतूस व घड़ी तथा कुछ रुपये लूट लिए । सब-इन्सपेक्टर ने उसी दिन थाना गोसाईगंज में मौखिक सूचना अंकित कराई । सूचना के आधार पर अभियोग संख्या ३०३ के अन्तर्गत धारा ३९५/३९७/३३२ भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया । अब तक की विवेचना से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है । अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है ।

सहारनपुर जिले के ज्वालापुर में राष्ट्रध्वज फहराने के समय स्थानीय विधायक की पिटाई की घटना

*७१--श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, १९७८ को ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में स्थानीय विधायक द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने में कुछ गुन्डों ने बाधा डाली, राष्ट्रध्वज का अपमान किया और जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरे आम मारा-पीटा तथा स्थानीय विधायक को नीचे गिरा दिया, क्या उपद्रव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए थाना ज्वालापुर को पूर्व लिखित

[श्री राजकुमार शर्मा]

सूचना दी गयी थी, लेकिन कोई विशेष व्यवस्था पुलिस की नहीं हुई और न पुसिस ने राष्ट्रध्वज को सदा की भांति सलामी दी ? यदि हां, तो क्या पुलिस के खिलाफ जांच करके कोई कड़ी कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक २६ जनवरी, १९७८ को ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में स्थानीय विधायक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों न बाधा डाली, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और स्थानीय विधायक के साथ व्यक्तियों को मारा पीटा तथा उन्हें नीचे गिर दिया। इस विषय में कोई पूर्व सूचना थाने पर जनता पार्टी सदस्य द्वारा अंकित नहीं कराई गई । अतः स विषय में पुलिस की कोई विशेष व्यवस्था आदि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की श्रमिकों द्वारा पिटाई

*७२—श्री रामदत्त जोशी—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत २२ फरवरी, १९७८ को पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्र में उपद्रवकारी श्रमिकों द्वारा यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी को पीटे जाने की कोई घटना हुई थी और क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी, नैनीताल तथा एस० डी० एम०, तराई (नैनीताल) उपरोक्त यूनीवर्सिटी में घटना के समय मौजूद थे तथा वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कोई संरक्षण प्रदान करने में असफल रहे

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, परन्तु यह सही नहीं है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी, नैनीताल तथा एस० डी० एम०, तराई (नैनीताल) घटना के समय मौजूद थे और वे पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कोई संरक्षण प्रदान करने में असफल रहे ।

*७३—श्री मसुदुल हसन नोमानी—

[५वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

स्टेट हैण्डलूम एण्ड पावरलूम एडवाजरी बोर्ड का गठन

*७४—श्री मसुदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट हैन्डलूम ऐन्ड पावरलूम एडवाइजरी बोर्ड का गठन किन कारणों के बिना पर अब तक नहीं हो पाया है ?

श्री राम प्रकाश—

६ अप्रैल, १९७८ को बोर्ड के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

कानपुर जिले के ग्राम उरिया निवासी, श्री रमेश चन्द्र यादव की गिरफ्तारी

*७५—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि ग्राम उरिया, थाना ककवा, जनपद कानपुर में श्री रमेश चन्द्र यादव पुत्र श्री राम

सनेही को ३ बजे १६ दिसम्बर, १९७७ को गिरफ्तार किया गया तथा १९ दिसम्बर, १९७७ को ३ बजे परगनाधिकारी के सम्मुख पेश किया गया ? यदि हां, तो उनको गैर कानूनी ढंग से इस प्रकार क्यों थाने में रोका गया तथा इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को कोई तार भी प्राप्त हुआ था ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमेश चन्द्र यादव पुत्र श्री राम सनेही को दिनांक १७ दिसम्बर, १९७७ को शान्ति भंग की सम्भावना में धारा १५१/१०७/११६ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । श्री यादव को अदालत के समक्ष दिनांक १९ दिसम्बर, १९७७ को पेश किया गया । चलानी रिपोर्ट दिनांक १८ दिसम्बर, १९७७ को ही परगनाधिकारी, बिल्हौर के न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी थी । बीच का समय पर्याप्त साधन के अभाव में पैदल यात्रा करने तथा एस० डी० एम०, बिल्हौर के कानपुर चले जाने और कानपुर में न्यायालय बन्द हो जाने के कारण सर्फ हुआ । इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को तार व प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ।

*७६—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर के क्लिन के मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि और क्वेरी मैनेजर तथा सिविल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्थानान्तरण की मांग

*७७—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री (मिर्जापुर) में क्लिन नं० ३ खराब हो गयी थी और उस पर ५४ लाख रुपया खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार ने क्लिन नं० ३ को बनाया था वह बाद में खराब हो गई उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश—

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की क्लिन नं० ३ में निरन्तर कार्य करते रहने के कारण ह्रास व अन्य स्वाभाविक कारणों से खराबियां उत्पन्न हो गयी थीं । तकनीकी परामर्शक की राय के अनुसार उत्पादन में गिरावट को रोकने एवं उसमें सुधार लाने हेतु इस क्लिन की मरम्मत का कार्य कराया गया, जिस पर कुल व्यय लगभग रु० २७ लाख हुआ है । ठेकेदारों द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है और क्लिन काम कर रही है ।

*७८—श्री राम अधार—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फक्ट्री से सम्बन्धित क्वेरी मैनेजर (गुरमा) व सिविल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर १० वर्षों से हैं और क्या सरकार यह बताएगी कि इन लोगों का स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश—

यह सही नहीं है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के क्वेरी मैनेजर तथा सिविल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां १० वर्षों से हैं । अतः प्रश्न के शेष भाग के विषय में उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

मंत्रि परिषद् के सदस्यों के आवास एवं विधायकों के निवासों के साज-सज्जा पर व्यय की गई धनराशि

१—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में नयी मंत्रिपरिषद् के गठन के पश्चात् उसके सदस्यों के आवासों की साज-सज्जा पर कितना धन व्यय किया गया तथा विधायक निवासों की साज-सज्जा पर गत चुनाव के बाद कितना धन व्यय किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

नई मंत्रि परिषद् के गठन के पश्चात् शासन के सदस्यों के आवासों की साज-सज्जा (जिसमें विद्युत् उपकरण भी सम्मिलित है) पर १,२८,६३४ रु० की धनराशि तथा गत चुनाव के पश्चात् विधायक निवासों की साज-सज्जा पर १,०,००० रु० की धनराशि व्यय की गई ।

२—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

३—श्री श्याम नारायण तिवारी—

[दिनांक १ नवम्बर, १९७७ के तारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित ।]

उन्नाव जिले के विभिन्न अपराधों में हुई वृद्धि

४—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में वर्ष १९७४ की तुलना में एक अप्रैल, ७७ से ३१ अक्तूबर, १९७७ तक हत्या, डकैती, राहजनी, चोरी आदि की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई ? यदि हां, तो उन्नाव जिले में बढ़ रहे इन अपराधों को रोकने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में वर्ष १९७४ की अपेक्षा वर्ष १९७७ में हत्या, डकैती, राहजनी तथा चोरी के अपराधों में क्रमशः २९.७, ४.३, २४.५ तथा २० प्रतिशत की वृद्धि हुई । इन अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर अपराध विरोधी अभियान चलाये गये, हदिशें दी गई व गश्त को प्रभावी बनाया गया ।

लखनऊ के श्री वीरेन्द्र नाथ शुक्ल, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी द्वारा आत्महत्या

५—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि जुलाई, १९७६ के तृतीय सप्ताह में लखनऊ के क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी (श्री शुक्ल) ने आत्म हत्या कर ली थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या आत्म हत्या के पूर्व श्री शुक्ल ने कुछ पत्र भी लिख छोड़े थे ? यदि हां, तो उन पत्रों से सारांश क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीरेन्द्र नाथ शुक्ल, क्षेत्रीय सेवा-योजन अधिकारी, लखनऊ ने जुलाई, १९७६ के तृतीय सप्ताह में आत्म हत्या की थी ।

इस विषय में दिनांक १६ जुलाई, १९७६ को श्री रामेश्वर प्रसाद दफ्तरी, इम्प्लायमैन्ट इक्सचेन्ज, लखनऊ ने थाना नाका हिंडोला पर श्री विमल चन्द सहायक सेवा योजन अधिकारी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट दाखिल की जिसमें लिखा था कि उस दिन कार्यालय आने पर हस्ताक्षरकर्ता को ज्ञात हुआ कि श्री वीरेन्द्र नाथ शुक्ल, रीजनल इम्प्लायमेन्ट आफिसर, सेवा योजन कार्यालय, चारबाग स्थित अपने निवास स्थान के कमरे में दरवाजा बन्द करके सीलिंग फैन में रस्सी से बंधे हुए लटके हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है । उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा जांच प्रारम्भ की गई। जांच से श्री शुक्ल द्वारा घरेलू व आर्थिक परिस्थितियों से तंग आकर आत्म हत्या किया जाना ज्ञात हुआ । मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह न पाये जाने के कारण १२ सितम्बर, १९७६ को जांच अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई ।

आत्महत्या के पूर्व श्री शुक्ल ने अपने सम्बन्धियों तथा विभिन्न अधिकारियों को कुछ पत्र लिखे थे । अधिकारियों को लिखे गये पत्रों में से एक पत्र दिनांक १४ जुलाई, १९७६ थानाध्यक्ष, नाका हिंडोला को सम्बोधित था जिसमें यह अंकित है कि श्री शुक्ल की मृत्यु का कोई जिम्मेदार नहीं है और वे अपनी इच्छा से जा रहे हैं व उनके लिये इस प्यारे देश में ईमानदारी से रहना कठिन है । तत्कालीन निदेशक प्रशिक्षण तथा सेवायोजन को लिखे गये पत्र दिनांक १५-७-७६ में यह अंकित है कि "मैं आपको व पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे काम में सहयोग दिया है ।" तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, सतर्कता निदेशक, पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा तथा पुलिस अधीक्षक सतर्कता को लिखे गये पत्र दिनांक १५-७-७६ में यह अंकित है कि "मैं वेतन से अपना खर्च पूरा नहीं कर पाता हूं इसलिये अपनी जिन्दगी खत्म कर रहा हूं मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है । मेरी लाश का फोटो न कराया जाय मेरी स्त्री के आने तक कमरा सील रखा जाय । ऐसा न हो कि खोलने में सामान गायब हो जाय । मेरे कमरे में मेरे घर वालों व नातेदारों को आने दिया जाय आदि-आदि ।" एक पत्र दिनांक १५-७-७६ जिस पर आवश्यक सूचना लिखा था और अन्दर से बन्द दरवाजे के शीशे पर अन्दर से ही चिपका दिया गया था, में अंकित था कि "यह दरवाजा श्री बी० एस० वेदी, एस० एस० पी० के सामने खोला जाय, पहले नहीं । मेरे फ्लैट में किसी को अन्दर मत जाने दें । गार्द लगा दी जाय ताकि इस परेशानी के मौके पर कोई चोरी न कर ले ।"

वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ के विरुद्ध उनकी कानपुर, बाराबंकी में तैनाती सम्बन्धी शिकायतों की जांच

६—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ के विरुद्ध कानपुर, मेरठ तथा बाराबंकी में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच का क्या परिणाम रहा था तथा कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी मेरठ में नियुक्त हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ के विरुद्ध उनको कानपुर में तैनाती की अवधि की शिकायतों में सतर्कता जांच कराई गई थी जिसके आधार पर एक आरोप को पूर्ण रूप से व एक आरोप को आंशिक रूप से सिद्ध माना गया था। उन आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें मौखिक चेतावनी देना पर्याप्त समझा गया था। मेरठ तथा बाराबंकी में तैनाती सम्बन्धी शिकायतों में सतर्कता जांच की जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

उक्त सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ में दिनांक ४--७--१९७३ से तैनात है। गत वर्ष इनके स्थानान्तरण आदेश, दिनांक ४--७--१९७७ को निर्गत किये गये थे जिन्हें बाद में वर्तमान ग्रीष्म काल तक स्थगित कर दिया गया था। अब दिनांक ५--४--१९७८ को इनके स्थानान्तरण आदेश पुनः निर्गत कर दिये गये हैं। शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण आदेश ३० अप्रैल, ७८ तक स्थगित किये गये हैं।

बस्ती जिले में पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष

७--श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कुल कितने थाने हैं उनके थानाध्यक्ष किस-किस जाति के हैं, उनमें पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के कितने हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

बस्ती जनपद में कुल २८ थाने हैं। उनके थानाध्यक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, अहीर, बढ़ई, हरिजन एवं मुस्लिम जाति के हैं। उनमें से तीन थानाध्यक्ष पिछड़ी जाति के तथा एक थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं।

बस्ती जिले की पुलिस चौकियों की संख्या एवं नयी चौकियों की स्थापना की मांग

८--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में प्रत्येक थाने में कितनी-कितनी पुलिस चौकियां हैं और कितनी पुलिस चौकियों को बनाने के लिए जनता तथा जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मांग है ? मांग के अनुसार सरकार बस्ती जनपद में कितनी और पुलिस चौकियां खोलने जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

बस्ती जिले में विभिन्न थानों के अन्तर्गत चौकियों की संख्या निम्न प्रकार है :--

थाने का नाम		चौकियों की संख्या
१--कोतवाली	..	२
२--छावनी	..	२
३--खलीलाबाद	..	२

थाने का नाम		चौकियों की संख्या
४—चिल्हिया	..	१
५—बांसी	..	३
६—मेंहदावल	..	२
७—तेतरी	..	१
८—डुमरियागंज	..	२
९—महुली	..	१
१०—धनघटा	..	१
११—पैकोलिया	..	१
१२—कप्तानगंज	..	१
१३—उसका	..	१
१४—देवरुआ	..	१
१५—मोहाना	..	२

बस्ती जनपद में जनता, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा निम्न ११ और नई चौकियों की मांग की गई है :—

१—तामेश्वर नाथ
२—सिकन्दरपुर
३—नौगढ़
४—बिशेरगंज
५—चिड़िया बाजार
६—गोतहोरा
७—घोसियारी
८—चोरी बाजार
८—सरैनी
१०—खुरजहवां
११—जोगिया बुजुर्ग

वित्तीय स्थिति को देखते हुये बस्ती जनपद में फिलहाल कोई नई चौकी स्थापित करना सम्भव नहीं है ।

वन सांख्यकीय विभाग में अनियमित नियुक्ति एवं उनकी शैक्षिक अर्हता

९—श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव)—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक १ नवम्बर, १९७७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६ नत्थी (ख) के उत्तर के क्रम में क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन अनियमित नियुक्तियों की ओर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा वन मन्त्री का ध्यान आकृष्ट किया गया था उनके नाम और नियुक्ति के समय उनकी अर्हता क्या थी ?

श्री श्रीचन्द—

सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा जिन नियुक्तियों को अनियमित कहा गया था उनका विवरण नीचे दिया जाता है :

कर्मचारी का नाम, पद तथा नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति के समय शैक्षिक अर्हता		नियुक्ति के बाद प्राप्त शैक्षिक योग्यता
	परीक्षा का नाम तथा वर्ष	विषय	
१—श्रीमती किरन सिंह (अब श्रीमती किरन पान्डे) कम्पाईलर ९-१०-६८ से	१—हाई स्कूल १९६०	हिन्दी, गृह विज्ञान, गणित व अंग्रेजी	विज्ञान, अर्थ शास्त्र का कन्डेन्स कोर्स (लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष १९७५ में उत्तीर्ण किया)
	२—इन्टरमीडियेट १९६२	हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान	
	३—बी० एस० सी० १९६७	जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जनरल इंगलिश	
	४—की (Key) पंच आप्रेटर्स ट्रेनिंग १९६८		
२—श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव	१—हाई स्कूल १९६१	हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान व कला	बैचलर आफ लाज की उपाधि वर्ष १९७२ में प्राप्त की
	२—इन्टरमीडियेट १९६६	हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित	
	३—बी० ए० १९६८	सोशियालाजी एन्थ्रापोलाजी, हिस्ट्री एन्ड कल्चर आफ एशियन पीपुल्स तथा जनरल संस्कृत	

सहायक अभियोजन अधिकारियों के सुरक्षित पद हेतु साक्षात्कार

१०—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सहायक अभियोजन अधिकारियों के सुरक्षित स्थान भरने के लिए लगभग ७ महीने पूर्व एक साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो इन अधिकारियों की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

प्रश्नगत साक्षात्कार के आधार पर उपयुक्त पाये गये सभी ५१ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर अल्पकालिक तदर्थ नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश जनवरी, १९७८ में जारी किये जा चुके हैं ।

स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन योजना के नियम में संशोधन

११—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शन के बारे में सरकार नए नियम बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वो नियम क्या हैं और कब तक लागू होंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम पेन्शन/अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ववत् ही बनी रहेंगी । केवल उनमें इतना संशोधन किया गया है कि आयकर देने वाले व्यक्ति पेन्शन तथा किसी प्रकार के अनुदान पाने के लिये अर्ह नहीं होंगे ।

उन्नाव जिले के ग्राम हिन्दूपुर व फतेहपुर चौरासी में कथित डकैती

१२—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के थाना फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत ग्राम हिन्दूपुर में गत २०/२१ नवम्बर, १९७७ की रात्रि को डकैती पड़ी तथा इसी रात इसी थाने के अन्तर्गत फतेहपुर चौरासी में नोखे नामक एक हरिजन के यहां डाका पड़ा ? यदि हां, तो एक ही रात में पड़ने वाले इन दोनों डकैतियों के अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार उन्नाव जनपद के थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हिन्दूपुर तथा फतेहपुर चौरासी में दिनांक २०/२१ नवम्बर, १९७७ की रात्रि में कोई डकैती का वाकया घटित नहीं हुई ।

आफिसर होस्टल, मीराबाई मार्ग, लखनऊ के किरायेदारों से किराये की वसूली

१३—श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि आफिसरान होस्टल, ५ मीरा बाई मार्ग, लखनऊ में दिनांक ३० नवम्बर, १९७७ तक कितने ऐसे किरायेदार थे जिन पर ४ महीने से अधिक का किराया बकाया था ? इनमें से प्रत्येक किराएदार पर कितनी अवधि का किराया बकाया है कितनी अवधि का किराया दे दिया गया तथा बकाया किराए की वसूली करने के लिए अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसे किरायदारों की सूची, जिन पर ३०-११-७७ को चार महीने से अधिक का किराया बकाया था तथा उनसे १५-३-७८ तक वसूल की गयी धनराशि के विवरण सहित संलग्न है। सभी बकायेदार पत्रकार हैं। बकाया किराये की वसूली हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी गयी है :—

(क) प्रत्येक मान्यताप्राप्त/कार्यरत पत्रकार को सबसिडी की धनराशि समायोजित करके संशोधित शुद्ध देय धनराशि की वसूली की जा रही है।

(ब) जिन मान्यताप्राप्त/कार्यरत पत्रकारों पर चार हजार रु० से अधिक धनराशि बकाया थी उनसे एक हजार रुपये एक मुश्त तथा प्रति माह चालू माह के अतिरिक्त एक माह के किराये की वसूली।

(ग) जिन मान्यताप्राप्त/कार्यरत पत्रकारों पर चार हजार रु० या उससे कम धनराशि बकाया थी उनसे पूरे बकाया का २० प्रतिशत भाग एक मुश्त तथा प्रतिमाह चालू माह के अतिरिक्त एक माह के किराये की वसूली।

(घ) जिन मामलों में मान्यताप्राप्त/कार्यरत पत्रकारों द्वारा अपने कक्षों को किसी को किराये पर दे दिया गया है अथवा आवंटी स्वयं नहीं रहता परन्तु अन्य व्यक्ति उसके कक्ष में रह रहा है, हालांकि किराया आवंटी के नाम से जमा कर दिया जाता रहा है, सबलेटिंग की तिथि से सबसिडी न देकर सम्बन्धित आवंटी से पूरे बकाया किराये की वसूली।

देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९७ पर।

बस्ती जिले के थाना तेतरी बाजार व चिल्हिया के अन्तर्गत ग्राम बर्डपुर नं० ८ तथा बर्डपुर नं० ९ को सुविधाजनक थाने के अन्तर्गत रखे जाने की मांग

१४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के कस्बा बर्डपुर बाजार के सन्निकट ग्राम बर्डपुर नं० ८ व ग्राम बर्डपुर नं० के जो विभिन्न टोले पुलिस स्टेशन तेतरी बाजार व मोहाना व चिल्हिया

इस तरह उल्टा-पल्टा लगाए गए हैं उससे वहां की जनता तथा पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो इस प्रकार के अव्यवहारिक बंटवारा को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के कस्बा बर्डपुर बाजार के सन्निकट ग्राम बर्डपुर नं० ८ व ग्राम बर्डपुर नं० ९ के क्रमशः ११ व एक टोले जो पुलिस स्टेशन तेतरी बाजार व चिल्हिया के अन्तर्गत रखे गये हैं उनको उक्त थानों के अन्तर्गत रखा जाना जनहित में व प्रशासनिक दृष्टिकोण से असुविधाजनक मालूम हुआ है । इस असंगति तथा ऐसी ही अन्य थानों से सम्बन्धित असंगतियों को दूर करने के लिये जनपद बस्ती के समस्त थानों के कार्य क्षेत्रों को पुनरीक्षित करके जनहित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से गांवों को सुविधाजनक थानों के क्षेत्रान्तर्गत रखे जाने के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश के कतिपय जिलों को कथित क्रिमिनल जिला की घोषणा एवं हथियारों के लाइसेन्स

१५--श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के १२ जिलों को क्रिमिनल घोषित करने और जनता को हथियारों के लाइसेन्स पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश शासन द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो वह जिले कौन-कौन हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं ।

रूहेलखन्ड डिवीजन के जिलों के बन्दूक एवं पिस्तौल के दिये गये लाइसेन्स

१६--श्री हामिद रजा खां--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जुलाई, १९७७ से ३० नवम्बर, १९७७ तक रोहेलखंड डिवीजन के प्रत्येक जिले में पिस्तौलों और बन्दूकों के लिए दिए गए कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारियों द्वारा स्वीकृत व अस्वीकृत किए गए और इस अवधि के दौरान कितनी अपीलें हथियारों के लाइसेन्सों से सम्बन्धित आयुक्त द्वारा खारिज और स्वीकृत की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे ५९९ पृष्ठ पर)

गोंडा जिले के ग्राम तुरकौली में श्री राम चरण पासी की श्री लल्लन सिंह द्वारा हत्या

१७--श्री श्रीनारायण--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जिला गोण्डा के थाना नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम तुरकौली में १६ अगस्त, १९७७ को श्री राम चरण पासी, जो बी० ए० फाइनल का छात्र था, उसकी हत्या ठाकुर लल्लन सिंह द्वारा कर दी गई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं। घटना १६ अगस्त, १९७७ को नहीं है बल्कि १६ जुलाई, १९७७ की है। उक्त घटना के संबंध में दिनांक १६ जुलाई, १९७७ को थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा में लल्लन सिंह पुत्र राम नरेश सिंह के विरुद्ध मु० अपराध सं० १४८ धारा ३०२ भा० द० वि० पंजीबद्ध हुआ है। अभियुक्त लल्लन सिंह ने दिनांक ३ अगस्त, १९७७ को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया और उसी दिन अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

बांदा जिले के समाचार-पत्रों का रद्द किया गया घोषणा-पत्र

१८--श्री राम सजीवन--

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, १९७७ से नवम्बर, १९७७ तक बांदा जनपद के किन-किन दैनिक, सप्ताहिक समाचार-पत्रों के अंकों का प्रकाशन हुआ? क्या इस अवधि में अनियमित रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के घोषणा-पत्र रद्द किए गए हैं? यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों के? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह--

उक्त अवधि में निम्नांकित समाचार-पत्रों के अंकों का प्रकाशन हुआ:

दैनिक पत्र--

१--बम्बार्ड।

२--कर्मयुग।

साप्ताहिक पत्र--

१--प्रदेश पथ।

२--मध्य युग।

३--चित्रकूट समाचार।

४--विश्व प्रभाकर।

५--केन लहर।

६--भरतकूप समाचार।

७--जन मशाल।

८--कैंची।

९--बांदा दर्पण।

१०--नाशक।

११--बांदा कृषक।

१२--बांदा समाचार।

१३--अजेय दुर्ग।

१४—क्रान्ति कृष्ण।

१५—दैनिक चित्रकूट दर्शन ।

१६—प्रवर्षण ।

१७—अमर नवीन।

१८—रीडर ।

१९—बम्बार्ड ।

२०—चित्रकूट धाम ।

अनियमित रूप से प्रकाशित होने वाले निम्नांकित साप्ताहिक पत्रों [illegible] पत्र प्रभावहीन किये गये :

१—जन मशाल।

२—बांदा कृषक।

३—बांदा समाचार ।

४—अजेय दुर्ग ।

५—क्रान्ति कृष्ण ।

६—प्रवर्षण ।

७—अमर नवीन।

८—दैनिक चित्रकूट दर्शन।

९—बम्बार्ड ।

आपातकाल के दौरान झांसी मन्डल में शासकीय विज्ञापन सूची से हटाये गये समाचार पत्रों के नाम

१९—श्री राम सजीवन—

क्या सूचना मन्त्री कृपया यह बतावेंगे कि आपातकालीन के दौरान झांसी मन्डल के प्रत्येक जिले से किन-किन समाचार-पत्रों के नाम शासकीय विज्ञापन सूची से काटे गए ? इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राम सिंह—

आपातकाल के दौरान झांसी मंडल के निम्नलिखित पत्र शासकीय विज्ञापन सूची से हटाये गये :

१—साप्ताहिक "कैंची" बांदा ।

२—साप्ताहिक "तलाश" झांसी ।

३—साप्ताहिक "भारती" झांसी ।

४—साप्ताहिक "अर्थयुग" झांसी ।

श्री राम सिंह—

इन पत्रों के बारे में सरकार द्वारा कृत कार्यवाही इस प्रकार है :

साप्ताहिक "कैंची" व "भारती" विज्ञापन के नियमों के अन्तर्गत इसके पात्र नहीं हैं। साप्ताहिक "तलाश" २०-१२-७७ से पुनः विज्ञापन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। साप्ताहिक "अर्थयुग" झांसी घोषणा-पत्र रद्द हो जाने के बाद पुनः प्रकाशित नहीं हुआ है।

कुमायूं तथा गढ़वाल मन्डल के जिलों में लीसा उद्योगों को लीसे का आवंटन

२०—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं तथा गढ़वाल मन्डल के प्रत्येक जिले में कुल कितने लीसा (विरोजा) उद्योग हैं और विगत ३ वर्ष में प्रत्येक को कितना-कितना लीसा आवंटित किया गया ? लीसे के अभाव में कुल कितने उद्योग बन्द पड़े हैं क्या ऐसे उद्योगपतियों की ओर से विभाग को प्रार्थना की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री श्रीचन्द—

सूचना एकत्र की जा रही है।

२१—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

[१०वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

चुर्क सीमेंन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर में रिक्त पदों पर हरिजनों की नियुक्ति

२२—श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ मार्च, १९७७ को राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी शाखा चुर्क (मिर्जापुर) में मार्च, महीने एवं अगस्त, १९७७ में कुल अधिकारियों एवं कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है ? अप्रैल, १९७२ से अगस्त, १९७७ तक कुल कितने हरिजन रिक्त पदों पर रखे गए ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश—

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि० की चुर्क फैक्ट्री में कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च, १९७७ में १७३६ तथा अगस्त, १९७७ में १७२९ थी। १ अप्रैल, १९७२ से अगस्त, १९७७ के बीच हरिजनों के लिये रिक्त कुल ४८ पदों में से ३७ पदों पर हरिजनों की नियुक्तियां की गईं। सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्रयास करने पर भी शेष ११ पदों के लिये उपर्युक्त अर्हता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सके। इनमें से अधिकांश पद रिक्त हैं। तथा २-३ पदों पर विभागीय पदोन्नति से काम चलाया जा रहा है।

जिला कारागार, मुरादाबाद में श्री इच्छा गिरी की मृत्यु की जांच

२३—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक २२ अक्तूबर, १९७७ को कांग्रेस के ८६ वर्षीय इच्छा गिरी सत्याग्रही का अधिकारियों की उपेक्षा के

कारण मुरादाबाद जेल में निधन हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

दिनांक २२ अक्तूबर, १९७७ को जिला कारागार, मुरादाबाद में श्री इच्छा गिरि का निधन हो गया था। शासन द्वारा श्री इच्छा गिरि की मृत्यु के कारणों की मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई गयी थी और जांच से यह स्पष्ट हुआ कि उनकी मृत्यु अधिकारियों की उपेक्षा के फलस्वरूप नहीं हुई। पोस्टमार्टम से पता चला कि मृत्यु का कारण कोया एवं से रीब्रल थ्रम्बोसिस था।

२४--श्री हुक्म सिंह परिहार--

[२२ मार्च, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५० द्वारा उत्तरित।]

२५--श्री श्याम दत्त पालीवाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

भूतपूर्व सदस्य, श्री चन्द्रिका प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

*(मुख्य मन्त्री) श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, हमारे बीच में इस सदन के भूतपूर्व विधायक श्री चन्द्रिका प्रसाद जी नहीं रहे। वह अस्वस्थ थे और उपचार हेतु वाराणसी के सर सुन्दर लाल हास्पिटल में भर्ती किए गए लेकिन दुर्भाग्य से उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ और अन्त में मृत्यु से संघर्ष करते रहे और १४ मार्च, १९७८ को उनका निधन हो गया। उनका जन्म १९०० ई० में बलिया जनपद में रामपुर गांव में हुआ था। बचपन से बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एल-एल०बी० की परीक्षा पास की थी। १९२६ से लगातार गोरखपुर आकर वकालत करने लगे। धीरे-धीरे उस समय स्वधीनता आन्दोलन जोर पकड़ रहा था जिससे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्पर्क में आए जिसके फलस्वरूप वह उसमें कूद पड़े और कई बार जेल यात्राएं कीं। इसके साथ-साथ उनकी लोक प्रियता कर्मनिष्ठा तथा सेवा-भाव को देखते हुए, १९४६ में गोरखपुर के बांसगांव विधान सभा क्षेत्र से वह इस विधान सभा के सदस्य चुन लिए गए, लेकिन उनको सदस्य होना बहुत रुचिकर नहीं लगता था।

प्रदेश में जो समाजवादी आन्दोलन चल रहा था उस समाजवादी आन्दोलन के पीछे जब इस देश के प्रसिद्ध समाजवादी, चिन्तक और विचारक आचार्य नरेन्द्र देव जी ने ज्यों ही इस्तीफा दे दिया, उसके साथ ही साथ उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात् वह बराबर समाजवादी आन्दोलन में भाग लेते रहे और उसी संगठन में वह बराबर बने रहे। उसके बाद वह बराबर गोरखपुर तथा देवरिया में वकालत करते रहे। इस समाजवादी तथा त्यागी राजनीतिज्ञ के निधन से हमारे प्रदेश में अपूर्ण क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

और मान्यवर, हम आपके माध्यम से यह चाहते हैं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं भेज दी जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष, जी, जब सदन के किसी भूतपूर्व सदस्य का निधन होता है तो वास्तव में वह एक ऐसी क्षति होती है जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं हो सकती है। मैंने श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह जी का नाम समाजवादी आन्दोलन में आचार्य नरेन्द्र देव के साथियों में सुना था और आज इस सदन को यह दुखद सन्देश भी प्राप्त हुआ कि वे हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी विचारधारा के और राजनीत के पुराने लोग जिन्होंने एक परम्परा स्थापित की थी, जब वह हमारे बीच से चले जाते हैं तो अपार दुख होता है। मैं और मेरा दल उनके निधन से बहुत दुखी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी संवेदनाएं शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, नेता सदन ने और माननीय गुलाब सेहरा जी ने जो स्वर्गीय चन्द्रिका प्रसाद जी के निधन पर पूरे सदन की और अपने दल की ओर से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उनके साथ में अपनी और अपने दल की ओर से भावनाएं जोड़ता हूं। श्रीमन्, नेता सदन ने श्री चन्द्रिका प्रसाद जी के जीवन के बारे में कहा है, वे सही माने में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और साथ ही एक प्रतिभाशाली वकील भी थे। बल्कि एक राज नायक थे। गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया था। कई बार वे जेलों में गए थे और उनके बाद इस सम्मानित सदन के सदस्य भी रहे। वेसन १९४६–४८ में इस सदन के सदस्य रहे। समाजवादी आन्दोलन में भी उन्होंने काम किया। उनका निधन एक परिपक्व अवस्था में हुआ। सन् १९०० में वे पैदा हुए थे और अब १९७८ में उनका निधन हुआ। उनके निधन से पूरा सदन क्षुब्ध है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धान्जिल अर्पित करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप हमारा नाम भी नेता सदन द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि के साथ जोड़ दें।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

श्रीमन्, श्री चन्द्रिका प्रसाद जी के बारे में जो विचार नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्री चन्द्रिका प्रसाद जी इस प्रदेश के पूर्वी अंचल के एक बहुत ही अच्छे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी थे तथा विद्यालयों एवं शिक्षा संस्थाओं से उनका सम्बन्ध था। उनके निधन से इस प्रदेश की और विशेष रूप से उस क्षेत्र की क्षति हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की संवेदनाएं आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, स्वर्गीय चन्द्रिका प्रसाद जी के बारे में जो भावनाएं माननीय नेता सदन तथा अन्य दल के नेताओं ने व्यक्त की है उनके साथ में भी अपनी और अपने दल की भावनाएं सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ये भावनाएं आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

श्री चन्द्रिका प्रसाद जी जब सन् १९४६ में चुनकर आए तो मेरा उनसे बहुत निकट का सम्पर्क था। वे अत्यन्त सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और उनकी लोकतांत्रिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यताएं थीं। वे बड़े सत्यनिष्ठ और समाज में परिवर्तन लाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। विधान सभा में भी उनकी दिलचस्पी रहा करती थी। ७८ वर्ष की आयु में उनका निधन वाराणसी में हुआ।

सिद्धान्त पर उन्होंने सन् १९४८ में स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव के साथ कांग्रेस का त्याग किया। वास्तव में उन्होंने एक स्वस्थ परम्परा रखी। आज जब कि सन् १९६७ से ही लोक सभा में ऐंटी डिफेक्शन बिल आया और लैप्स भी हुआ। उस पर कई समितियां बनीं। श्री जय प्रकाश नारायण ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि राजनीति में आया राम गया राम की पद्धति जारी हो गई है। श्री चन्द्रिका प्रसाद उन व्यक्तियों में से थे जिनकी मान्यता थी कि जिस दल से जो व्यक्ति चुना जाता है उसके द्वारा फ्लोर क्रास करना, दल बदलना एक सामाजिक अनैतिकता है और यह राजनीतिक कोढ़ है। इसके खिलाफ श्री चन्द्रिका प्रसाद जी ने एक आदर्श रखा और स्वयं इस्तीफा दिया और दुबारा वह चुनाव के मैदान में गए तथा हार का खतरा मोल लिया। एक ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति के जाने से हमारे समाज में एक बड़ा स्थान रिक्त हो गया है। माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की है मैं भी पूर्णतया उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आप लोगों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, सम्वेदना व्यक्त की है, उसको मैं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब आप लोगों से अनुरोध है कि दो मिनट तक मौन रख कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

आजमगढ़ में मुख्य मंत्री के जलसे में गड़बड़ी तथा लाठी चार्ज की सूचना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। कल शाम से एक इम्पार्टेन्ट खबर है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ में कोई जल से को एड्रेस कर रहे थे तो उसमें किसी कारण वश गड़बड़ी हुई और लाठी चार्ज हुआ जिससे वहां के अधिकारियों और जनता को चोटें आई है। इससे भ्रम फैला हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं इसलिए वस्तुस्थिति से अवगत करा दें ताकि भ्रम दूर हो जाय।

समाचार-पत्र दैनिक जागरण में श्री अध्यक्ष के इस्तीफे का समाचार छपे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आज एक समाचार-पत्र दैनिक जागरण में छपा है। आप इस माननीय सदन के अध्यक्ष हैं और आपने भारत सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को लिखा है कि आप अपने पद से त्याग-पत्र दे रहे हैं। मान्यवर, आप पर माननीय सदस्यों का विश्वास है और हम लोगों ने आपको अध्यक्ष चुना था। मैं इस संदर्भ में व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप इस सदन के अध्यक्ष हैं या चौधरी चरण सिंह के किसी सदन के अध्यक्ष हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और यह जो आपने प्रश्न किया, अगर मेरा इस्तीफा होगा, तो आपके सामने आ जायेगा ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और सदन का ध्यान गृह विभाग द्वारा प्रश्नों की जो उपेक्षा की जाती है उत्तर के सम्बन्ध में उसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । यह नत्थी 'घ' आप देखें इसमें मेरे दो सवाल २३ और ३७ नम्बर के हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कब की बात आप कह रहे हैं कल की या आज की ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आज की कार्य सूची में प्रश्न ३७ है उसमें प्रश्न है क्या जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, महाराजगंज के छात्र संघ के चुनाव मतपत्र गायब करने सम्बन्धी कोई एफ० आई० आर० दर्ज हुई और उसको टाल दिया गया सातवें मंगलवार के लिए जो इस सत्र में आने वाला नहीं है, तो मेरी जानकारी को किस तरह छिपाने की कोशिश की जा रही है, यह सोचने की बात है । दूसरा मेरा २३वां प्रश्न है, जिसमें आपात स्थिति के दौरान गोरखपुर में जो जघन्य घटनाएं घटीं, जिस पर उस जिले भर का नहीं पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित हुआ है. . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । प्रश्नों के समाप्त हो जाने के बाद इसको अप्रत्यक्ष रूप से उठायेंगे, तो यह नियमों के विरुद्ध है, यह अनुचित है । प्रश्नों के बारे में जो आपत्ति है, उसे मेरे कक्ष में लिखकर दें, आपका नत्थी 'घ' का प्रश्न तो आया तक नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आप बैठिए ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न १६-३-१९७८ को दिया था. . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि प्रश्नों का समय एक घंटा है, उस अवधि में जितने प्रश्न आ सकते हैं, आ जाते हैं । किन्तु इससे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है, जैसे आज केवल ७ प्रश्न लिए गए । आप लोग चाहते हैं तो सदन की नियमावली में परिवर्तन कर सकते हैं । नियम समिति की बैठक भी हुई है और १५ तारीख को मैंने पुनः उसकी बैठक बुलाई है । मैं नेता सदन और विरोधी पक्ष के नेताओं को भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप लोग चाहें तो नियमावली में परिवर्तन कर दिया जाए । अब नेता सदन और विरोधी दल के नेता सहमत हों तो यह परिवर्तन कर दिया जाय कि एक प्रश्न पर जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक सदस्य खड़े होते रहें, मैं उनको अनुमति देता रहूं और उसके आगे का दूसरा प्रश्न न लूं। जब तक ऐसा न हो जाय, एक प्रश्न पर १५ मिनट हो जाते हैं, तब भी माननीय सदस्य चीत्कार करते हैं और अन्य दूसरे सदस्य शिकायत करते हैं। सदस्य लोग जिस तरह से यहां चिल्लाते हैं कि मुझको अवसर दीजिए और कुछ सदस्य तो चाहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पर उनको अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दी जाए। यह सब मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि एक प्रश्न पर जब तक प्रश्न होते रहें, मैं उनको इजाजत देता रहूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इंग्लैंड में करीब १८–२० प्रश्न होते हैं। लोक सभा के बारे में स्पीकर्स कान्फ्रेंश में बताया है कि वहां पर १८ प्रश्न होते हैं। फ्रांस में ४५ मिनट का समय है प्रश्नों के लिए। यहां पर हम ७ ही प्रश्न ले पाते हैं। माननीय रवीन्द्र किशोर शाही ने एक पत्र मुझे भेजा कि १८ से अधिक प्रश्न न लिए जाएं। नियम समिति में यह भी सुझाव पसन्द नहीं किया गया कि एक मेम्बर को एक ही प्रश्न करने की अनुमति दी जाय। मेरा मत तो यह है कि एक प्रश्न पर ५ मिनट का समय हो और विशेष परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा ७–८ मिनट का समय हो, ताकि दूसरे सदस्यों के साथ न्याय किया जाए। मैं एक अनुरोध और करूंगा, जो लोग प्रश्नों के बाद खड़े हो जाते हैं और फिर प्रश्नों का जिक्र करते हैं, यह बिलकुल नियमावली के विरुद्ध है। उसका भी एक नियम है, वह मेरे कक्ष में आकर दे सकते हैं कि प्रश्न में क्यों देरी हुई है, ताकि मैं उस पर सरकार से पूंछ लूं। इसलिए मैं नेता सदन से भी चाहूंगा कि वे भी इस पर अपनी राय दें कि जब तक सदस्य खड़े हों क्या एक ही प्रश्न चलता रहे? मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सदस्यों को बिठालना कठिन हो जाता है, बार–बार उनको रोकने में, उनसे अनुरोध करने में कठिनाई होती है।

(व्यवधान)

समाचार पत्र, दैनिक जागरण में श्री अध्यक्ष के इस्तीफे का समाचार छपे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)––

मान्यवर, मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह व्यवस्था का प्रश्न भले ही न हो, लेकिन जैसी खबर वह छपी है, उसके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उस खबर से आपका नाम जुड़ा है और आपका नाम ही नहीं इस सदन का सबसे माननीय पद जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बात की सफाई होनी चाहिए। अगर यह भ्रामक और गलत खबर है तो 'दैनिक जागरण' के लिए कुछ सजा की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष––

मने तो "दैनिक जागरण" को कोई खबर दी नहीं है। इसलिए अखबारों के आधार पर किसी प्रश्न को उठाना उचित नहीं है।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)––

यहां यह समाचार–पत्र दीर्घा है, इनके कुछ अधिकार हैं, इसमें "दैनिक जागरण" के भी हैं, जिसको जनता पढ़ती है। किन्तु उसमें बड़ी सेन्सेशनल न्यूज छपती हैं। उसमें एक खबर यह भी छपी थी कि केन्द्रीय गृहमंत्री जी ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेत सिंह चौहान]

इस प्रदेश के मुख्य मंत्री से दिल्ली में मिलने से इन्कार कर दिया। जबकि वह वहां पर थे ही नहीं और उन्होंने उसकी सफाई दी। अतः मेरा विचार है कि ऐसे अखबारों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही हो, जो जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है और जनता पार्टी की इमेज को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आपके इस्तीफे के बारे मे जो छपा है, उसको उठाने पर आपने अपनी व्यवस्था दे दी कि मेरा इस्तीफा होगा तो आप लोग जान जायेंगे और उन्हीं खबरों के आधार पर तो यहां ६-६ विधायकों का निलम्बन कर दिया है, तो यह कोई खास बात नहीं है।

सदन में अंग्रेजी के उद्धरण पढ़ने पर आपत्ति

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आपके सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं, किसी प्रश्न में ५ मिनट से अधिक समय नहीं होना चाहिए और यदि प्रश्न गम्भीर है तो नियम ४९ में उस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रश्नों का उत्तर देते समय, यह समय किस तरह जाया होता है, मंत्रीगण किसी रिपोर्ट को या डाक्टरी रिपोर्ट आदि को अंग्रेजी में पढ़ना शुरू कर देते हैं और सदस्यों का आग्रह होता है कि उसे हिन्दी में पढ़ा जाये। तो यहां जो कुछ आता है, जो जवाब में आये, वह इस सदन की सम्पत्ति हो जाती है, उसके आधार पर उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग से कोई भी ऐसी सूचना जो अंग्रेजी में विभाग में आये, उसको हमेशा हिन्दी में अनुवाद करके रखें, ताकि माननीय सदन की सम्पत्ति की अवहेलना न हो। मंत्रिगण इस पर ध्यान दें तो बहुत कुछ समय सदन का बच सकता है, जो अनुवाद करने में जाया हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में माननीय रियासत हुसैन जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं नेता सदन का इस पर ध्यान आकर्षित करूंगा कि आइन्दा यदि कोई अंग्रेजी उद्धरण देना आवश्यक हो, तो उसका केवल अनुवाद ही यहां पर पढ़ा जाए, इससे सदन का समय भी बचे और यह यहां के भाषा अधिनियम के अनुसार भी होगा और उसकी दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ज्यादा अच्छा होगा कि उसका अनुवाद करके ही लायें और यदि सदस्यगण भी कोई उद्धरण देना चाहें तो वह भी उसका हिन्दी रूपान्तर ही सदन में रखें। भविष्य में मैं अंग्रेजी में पढ़ने की कोई अनुमति मैं नहीं दूंगा।

[प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (क्रमागत)]

कई सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री रवीन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । बार-बार इस तरह का प्रश्न उपस्थित करना सदन का समय नष्ट करना है। मैं त्रिवेदी जी, आपसे कहना चाहता हूं कि व्यवस्था का नाम लेकर अब सदन का समय नष्ट न किया जाय ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

इसका उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था के नाम पर, यहां पर स्टेनोग्राफर्स यह आदेश मेरा सुन लें, जो प्रश्न यहां पर व्यवस्था के नाम पर उठाया जायगा जिसका कोई सम्बन्ध व्यवस्था से नहीं है, वह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायगा ।

गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नों से सम्बन्धित नहीं है । आपके निर्देश पर ६ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया था कि गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आज ही तब्दील कर दिया जायगा । पांच दिन बीत गये वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तब्दील नहीं हुए । यहां माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया, उसकी उपेक्षा की जाय, उसकी अवहेलना की जाय, तो कैसे काम चल सकता है ? माननीय मुख्य मंत्री यदि सदन में इस तरह का वक्तव्य दिये हैं तो उसके पालन कराने के लिए आप कोई व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था नहीं । माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने यहां घोषणा की थी कि गोरखपुर के एस० एस० पी० का स्थानान्तरण कर दिया जायगा । ऐसा आदेश प्रसारित कर दिया या नहीं ? आप सदन को बतला दीजियेगा ।

*(मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, जैसा कि मैंने सदन में कहा था, उनका स्थानान्तरण कर दिया जायगा, स्थानान्तरण का आदेश जारी कर दिया गया है । माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं देखूंगा कि क्यों नहीं चार्ज हुआ । उस सम्बन्ध में भी जानकारी करूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

२४ घंटे में गोरखपुर जिले को छोड़ देना चाहिए, सदन की जो मांग थी ।

नोट--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

सुखपाल जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया । उन्होंने लिखकर आदेश दे दिया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ए० एस० पी० गोरखपुर के स्थानान्तरण के बाद वहां की पुलिस में भयंकर असन्तोष और विद्रोह व्याप्त हो गया है ।

[प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (क्रमागत)]

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

प्रश्नों के सम्बन्ध में जो आपने सुझाव दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा सुझाव है एक प्रश्न पर कम से कम पांच मिनट समय आप दें । उसके बाद आप समझें कि प्रश्न व्यापक है और सदस्यों को दिलचस्पी है, तो आप अपने विवेक से समय बढ़ा सकते हैं । पिछली दफा एक परम्परा हुई थी । बहुत से नियम ५१ के प्रश्न आते हैं । आप उनमें केवल एक सूचना स्वीकार करते हैं । एक परिपाटी ऐसी हो सकती है कि नियम ५१ में एक को स्वीकार करें और बाकी को वक्तव्य के लिए सरकार से कह दें । इससे माननीय सदस्य जिन समस्याओं को उठाना चाहते हैं उनके लाने में और आसानी होगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह मैं करता ही हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रश्नों के बारे में आप बतलाइये, आपका क्या मत है ?

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, वैसे अधिक से अधिक प्रश्न लिये जा सकें वह अच्छा है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इसको चाहेंगे । जो प्रश्न आते हैं अधिक से अधिक प्रश्न लिए जा सकें । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पांच मिनट तक, जहां विशेष स्थिति हो, उसमें अधिकार आपको होगा, उन प्रश्नों के बारे में कुछ समय बढ़ा देंगे, कम से कम पांच मिनट समय दिया जाय, ऐसा रख लें ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, अभी आपने रूलिंग दी है कि स्टेनोग्राफर यह देखेंगे कि कोई सदस्य अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो वह कोई दूसरी बात इस माध्यम से न कहें । आपने अपना अधिकार उनको दे दिया है । अपने से हटाकर कि व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं उनके ऊपर छोड़ दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था के नाम पर जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है वह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा । उनको कोई राइट नहीं होगा मैं स्वयं कहूंगा कि इसको न लिखा जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय कृषि फार्म के मजदूरों द्वारा हड़ताल की घोषणा के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन सरकार तथा शासन को एक सम्भावित गम्भीर उपद्रव के प्रति सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझता हूं। पन्तनगर विश्वविद्यालय कृषि फार्म के हजारों मजदूरों न आगामी वर्ष अप्रैल १९७८ से आम हड़ताल करने का फैसला किया है। जहां तक उनकी मांगों का प्रश्न है। यह विचारणीय है परन्तु इस हड़ताल की आड़ में कुछ कांग्रेसी और कम्युनिस्ट और कुछ समाज विरोधी तत्व पूर्वी क्षेत्रवाद के नाम पर मजदूर वर्ग में साम्प्रदायिक घृणा का प्रचार कर रहे हैं। परिणामतः एक क्षेत्र वाद के बहुसंख्यक मजदूर प्रदेश के पश्चिमी अंचल से आने वाले कृषि फार्म के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच एक प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है। उपरोक्त ध्वंसात्मक तत्वों ने शान्ति व्यवस्था के लिए फार्म पर नियुक्त पी० ए० सी० दल को भी इसी संकीर्णता के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार उपरोक्त एशिया के सब से बड़े कृषि फार्म में गृह युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अभी कुछ माह पूर्व उपरोक्त कृषि फार्म में लगभग ६० एकड़ गन्ने में आग लगने की घटना हुई थी। इस समय गेहूं की फसल पकी हुई तैयार खड़ी है। मजदूर अन्दोलन की आड़ में ध्वन्सात्मक तत्वों द्वारा हजारों एकड़ क्षेत्रफल में खड़ी गेहूं और गन्ने की फसल में आग लगा दिए जाने की संभावना उपरोक्त पृष्ठभूमि और विद्यमान विषाक्त वातावरण में सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है। क्योंकि शान्ति व्यवस्था के लिए वहां तैनात किया गया पी० ए० सी० दल भी क्षेत्रीयता के आधार पर मानसिक रूप से परस्पर विभाजित बतलाया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी अनिष्ट की सम्भावना हो सकती है जिसके प्रति मैं यथासमय सरकार को सावधान होने के लिए यह सूचना दे रहा हूं। शिक्षा संस्था के नाम पर स्थापित एशिया की सबसे बड़ी उपरोक्त जमींदारी के चलते श्रमिकों के शोषण उत्पीड़न तथा असन्तोष के विस्फोट की संभावनायें बनी रहेगी जो सामाजिक शान्ति के लिए घातक होगी। अतएव मेरा सुझाव है कि १६ हजार एकड़ का विशाल कृषि फार्म यूनिवर्सिटी के पास रहना आवश्यक नहीं है। इसमें से १२ हजार का रकबा कुमायूं उत्तराखंड के भूमिहीन किसानों में वितरित कर दिया जाये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अपनी जो सूचना दी है उसमें कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया गया है। क्या आप मुझे सफाई देने का मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचनायें मुझे स्वीकार करनी पड़ती हैं। मैंने सचिव को आदेश दिए हैं कि जिनमें आक्षेप हों उनको न लिया जाये। आपको स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया जायेगा।

मैनपुरी जनपद के थाना एलाऊ के ग्राम सुगांव निवासी श्री सीताराम की हत्या तथा उनके शव को जला दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, जिला मैनपुरी के अन्तर्गत थाना एलाऊ के नगलम कुआ के सुगांव निवासी सीताराम हरिजन की हत्या करके लोवर गंगा नहर के किनारे लकड़ियों होली बनाकर शव को जला दिये जाने की घटना हुई है। १७ मार्च, १९७८ को मृतक अपने साथी छोटेलाल के साथ नगला ऊनी मजदूरी के लिए जा रहा था इसी बीच रास्ते में नगला मिया के मिलाप सिंह यादव व राधेलाल ने कहा कि आज हमारे यहां काम के लिए न चलोगे इस पर सीताराम हरिजन ने कहा कि आपने तो पिछले दिनों उसके द्वारा की गयी मजदूरी का भुगतान नहीं किया। अब वह और अधिक बेगार नहीं कर सकता।

कहा जाता है कि सीताराम के उक्त कथन पर उत्तेजित होकर मिलाप सिंह यादव ने कहा कि अछूत होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत और लाठियों से सीताराम को इतना मारा कि वह मर गया। बताया जाता है कि हत्यारों ने स्वयं लकड़ियां इकट्ठा कर लोअर गंगा नहर के किनारे जला दिया।

उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३०२, २०१ तथा ३७४ के अन्तर्गत मैनपुरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

पुलिस ने घटना स्थल से मृतक की जली हुई हड्डियां व राख बरामद कर ली है।

आपके माध्यम से प्रशासन से आग्रह है कि इस मामले की जांच उच्च अधिकारी को देकर सही तथ्यों से सदन को अवगत करायें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अविलम्बनीय कार्यवाही करें।

उन्नाव जनपद के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित न किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री चन्द्र पाल (जिला उन्नाव)--

जिला उन्नाव के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण न होने से असन्तोष एवं आक्रोश।

वर्ष १९७७-७८ का मार्च समाप्त हो जाने के बावजूद कक्षा १० से ऊपर के छात्रों को 'अनिवार्य योजना' की शासकीय नीति के होते हुए भी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो सकी।

जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि लगभग १२ लाख रुपया गत वर्षों में धन वितरित किया जाता था लेकिन इस वर्ष मात्र ६ लाख रुपया ही शासन को प्राप्त हुआ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पर सैकड़ों छात्र एकत्र होकर पैसा भुगतान हेतु दबाव डालते हैं। कभी-कभी उत्तेजनात्मक वातावरण भी हो जाता है जो कि प्रदर्शन एवं घेराव के रूप में भी परिणत होने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्भावनायें रहती हैं। अगर हरिजन छात्रों ने आन्दोलनात्मक एवं तोड़-फोड़ का रास्ता अपनाया तो यह जनता सरकार के लिए कलंक का विषय होगा। ऐसी स्थिति उन्नाव जनपद को ही न होकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी होने के समाचार हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए सदन के समक्ष स्पष्टीकरण देकर छात्रवृत्ति वितरित कराने की व्यवस्था करें।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने कल दिनांक १०-४-७८ से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और कल से काम पर नहीं आ रहे हैं और यह भी पता चला है कि सिविल अस्पताल के डाक्टर भी ऐसा कर रहे हैं। साथ ही साथ यह हड़ताल पूरे प्रान्त में लगत है, फैलने वाली है। इन डाक्टरों ने शिकायत की है कि अस्पताल में रोगियों तथा डाक्टरों को परेशान किया जा रहा है और पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। निवेदन है कि इस विषय में माननीय मंत्री जी स्थिति से हमें अवगत करायें और यह बतायें कि सरकार क्या कर रही है?

गोलागोकरननाथ, जिला खीरी में नरभक्षी शेरनी के आतंक के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैंने भी दफा ५१ में एक प्रश्न दिया है। उसको भी इसमें जुड़वा दीजिये?

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, विधान सभा में तथा लगभग सभी समाचार-पत्रों में दुगड्डा के नरभक्षी की चर्चा चारों तरफ व्याप्त थी पर गोलागोकरननाथ जिला खीरी के जंगली क्षेत्र की ओर किसी का ध्यान नहीं गया जहां नरभक्षी एक शेर, शेरनी तथा उसका एक बच्चे ने भयानक उत्पात एवं आतंक मचा रखा है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार उन नरभक्षियों ने ४ आदमियों की एक मास के अन्दर ही हत्या कर दी तथा एक मजदूर को गम्भीर रूप से घायल कर दिया है। उनके आतंक से गोला नगर एवं आस-पास के क्षेत्र में भयानक आतंक एवं डर व्याप्त है।

कुछ दिन पूर्व गोलागोकरननाथ के पास स्थित वसूलीपुर ग्राम में गन्ने के खेत में नरभक्षी आ गया था जहां उसने एक मजदूर की हत्या कर दी तथा जमील गद्दी नामक दूसरे मजदूर को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। ऐसे ही एक दूध वाले घोसी को बरौछा पुल के पास मार दिया। दौलतपुर निवासी चेतराम पासी को जो १८ साल का नौजवान था। गोला से ५-६ किलोमीटर दूर दूसरे कृषि फार्म पर उसकी हत्या कर दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघव राम मिश्र]

महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व ही गोलागोकरननाथ नगरपालिका के भूतपूर्व सदस्य नोखे चमार जो कुम्हार टोला के निवासी हैं जंगल में फूस काटने गये थे उनकी भी हत्या शेर ने कर दी। उनकी एक लड़की जो डिग्री कालेज में पढ़ती है तथा लड़का जो वहां के स्थानीय इण्टर कालेज में पढ़ता है, अनाथ हो गये उनको अब कोई सहारा नहीं रहा।

महोदय सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि इतनी हत्यायें होते देखकर जान हथेली पर लेकर सैकड़ों मजदूरों एवं फारेस्ट ने शेर को जंगल के पास स्थित गन्ने के खेतों में घेर लिया था और यदि जंगलात के अधिकारी साथ देते तो उसे मारा जा सकता था। पर अधिकारियों ने यह कह कर कि अभी तो उसने केवल ४ हत्यायें की हैं अभी कुछ हत्यायें और कर ले तभी उसे मारा जा सकता है और नरभक्षी को जंगल की ओर जाने का मार्ग दे दिया। महोदय, क्या ऐसा भी कोई नियम है कि जब तक कोई नरभक्षी ७ हत्यायें न कर ले उसे नरभक्षी करार नहीं दिया जायेगा और न उसे मारा जायेगा ?

महोदय, हमारी मांग है कि गोला क्षेत्र के और अधिक नागरिकों की जान-बूझकर हत्या न कराई जाय उन नरभक्षियों को, जो एक शेर, शेरनी तथा एक बच्चा है नरभक्षी करार दिया जाय तथा उन्हें मारने की तुरन्त व्यवस्था की जाय।

शेर द्वारा मारे गये तथा घायल किये व्यक्तियों के परिवारों को सरकार द्वारा तुरन्त आर्थिक सहायता पहुंचाई जाय तथा उस क्षेत्र में पुलिस एवं पी० ए० सी० की हथियारों सहित समुचित व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान, खीरी के अन्तर्गत जो हत्यायें हुई हैं, वहां पर जो शेरनी ने खतरा पैदा किया, मैं विशेष रूप से, आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे कि वह वहां पर रक्षा के लिए आदेश दे सकें।

निशातगंज, लखनऊ में पुलिस चौकी के निकट एक कपड़े की दुकान में चोरी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा होगी यदि आप शून्य प्रहर में मुझे निम्नलिखित घटना को पढ़ने की आज्ञा दें :--

दिनांक ३०/३१ मार्च, १९७८ को रात्रि के ३ बजे के आस-पास निशातगंज, लखनऊ पुलिस चौकी के केवल १५० गज की दूरी पर एक विशाल दुकान का शटर तोड़कर और लगभग डेढ़ लाख रुपये का कपड़ा चुरा कर ले गये। एक मोटर में छः सात आदमी हथियार लेकर दुकान पर आये। उन्होंने हथौड़े से शटर में लगे तालों को तोड़ा और मोटर में कपड़ा भर कर भाग गये। शटर की आवाज को सुनकर कुछ नागरिक वहां पहुंचे तो चोरों ने उन्हें बन्दूक व तमंचे दिखाकर भगा दिया।

आश्चर्य यह है कि ताले तोड़ने में तथा माल चुराकर ले जाने में लगभग एक-दो घंटे अवश्य लगे होंगे और इस बीच गश्ती पुलिस वहां पर नजर नहीं आई,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह भी आश्चर्य की बात है कि पुलिस थाना उसी सड़क पर ही है। फिर भी पुलिस इस घटना स्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाई और अभी तक पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा पाई है। गत एक माह की अवधि में निशातगंज क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक चोरियां हो चुकी हैं।

इस उपरोक्त घटना के कारण उस क्षेत्र की जनता में आतंक एवं भय का वातावरण व्याप्त है। घटना के दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन में निशातगंज बाजार की सभी दूकानें बंद रहीं।

लखनऊ नगर में कानून और व्यवस्था की दशा दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। सरकार कृपया इस ओर ध्यान दे तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

श्री रामदत्त जोशी द्वारा सदन के संज्ञान में लाई जाने वाली सूचना में कम्युनिस्ट व कांग्रेस पार्टी का उल्लेख करने पर श्री गोविन्द सिंह नेगी व श्री देव बहादुर सिंह का स्पष्टीकरण

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि हमारी सरकार बजाय इसके कि जन-असंतोष को दूर करे, जहां भी कोई जन-असंतोष होता है वे कांग्रेस और कम्युनिस्टों को दोष दे रही है। हमारे जोशी जी को तो कम्युनिस्टों का एक हौवा ही लगता और रात को नींद में भी सपने में यही देखते होंगे।

जहां तक मेरी सूचना है, हमारी पार्टी का कोई यूनिट भी नहीं और जोशी जी को वहां कम्युनिस्ट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में तो देवकुमार ही बतायेंगे, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट हिंसा के ऊपर यकीन नहीं करते, लेकिन इतना अवश्य है कि जहां मजदूरों पर जुल्म होगा, हरिजनों पर जुल्म होगा, अल्पमतों और नीचे के तबकों पर जुल्म होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी उसका मुकाबला करेगी और आपकी पुलिस और फौज की लाठियों का मुकाबला करेगी।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मेरे पास इनके नेता गिरीश चन्द्र पाण्डेय का लेटर मौजूद है। इनकी यूनिट है, उसका वह संचालन कर रहे हैं।

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो आज माननीय जोशी जी ने नियम ५१ में अविलम्ब लोक महत्व की सूचना दी, मेरा अपना ख्याल है कि अविलम्ब लोक महत्व का प्रश्न तो वह होता है जो वजूद में हो, यह नहीं कि संभावना ऐसी होने वाली है। फिर उसमें, जहां तक मैं समझता हूं, उन्होंने एक मांग और रख दी है कि १५-१६ हजार एकड़ का फार्म यूनिवर्सिटी न ले, वह बांट दिया जाय। तो क्या मांग रखने की भी आजादी है अपनी सूचना में? इन दोनों प्रश्नों पर अपनी व्यवस्था आप दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह मैंने पहले ही कहा कि सूचनाओं में किसी पर आक्षेप नहीं होना चाहिये। जो भी घटना हो जिससे कि सरकार उसकी जांच कर सके और उस सूचना के द्वारा कोई मांग भी नहीं होनी चाहिए ।

जैसा कहा माननीय सदस्य ने कि इसमें भूमिहीनों को बांट दी जाय, वह प्रस्ताव ह । तो इसके लिये उनको दूसरा अवसर मिल सकता है । बजट पर भाषण है । तो जैसा मैंने कहा कि मैंने शीर्षक देखकर स्वीकार किया था । अब में आग से यह भी हो सकता है कि नित्य उनको न लेकर अगले दिन लें ताकि देखने का अवसर मुझको मिल जाय । एक निदेश इस तरह का, जिसमें प्रक्रिया स्पष्ट की गयी ह और ग्राह्यता की शर्तें भी मैंने भेज दी, उनका माननीय सदस्यों को पालन करना चाहिए। तो इसका सख्ती से ध्यान रखा जाय । सुझाव नहीं होना चाहिए । इसी लिए मैंने माननीय नेगी को बुलाया क्योंकि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी पर एक आरोप था और इसलिए कांग्रेस····

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्र में है । पिछले महीनों में वहां के जो मजदूर हैं उन्होंने कुलपति को एक नोटिस दिया कि वह एक हड़ताल करना चाहते हैं और मान्यवर, यहां से एक अध्यादेश गवर्नर ने लागू किया जिसमें यह था कि कृषि पर कार्य करने वाले मजदूर अगर हड़ताल करेंगे तो उनको जेल भेजा जा सकेगा । यानी आवश्यक सेवा म उनको सम्मिलित कर दिया गया । इसके लिए प्रश्न उठाया गया है वह सदन में आयेगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको सिर्फ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए बुलाया क्योंकि उसमें माननीय जोशी जी ने कांग्रेस का नाम लिया । आप केवल उसी सम्बन्ध में अपनी बात कहें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं यह कह रहा हूं । जब समझौता मैंने कराया तो जो पिछला नोटिस था वह काल-अप हुआ । अब एक नोटिस दिया है कि ११ अप्रैल यानी आज से ही हड़ताल करेंगे । पहली अप्रैल को कुलपति से कहा कि वह उचित मांग मान लें जो मांग उचित नहीं है तो उसे न माने समझौता हो जायगा । उन्होंने कहा कि ३ तारीख को हम बातचीत करेंगे । इसके बाद वह बातचीत नहीं कर सके। तो यह कहना कि कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से यह हो रहा है, गलत है, अगर हमारे वजह से होती तो हम सामने रहकर कराते । पृष्ठभूमि में रहकर राजनीति करने की न हमारी नीति थी और न है । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी सुन लें, वे अगर इसमें हस्तक्षेप करें तो यह विवाद हल हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं बहस की इजाजत नहीं दूंगा, आप तो बहस करने लगे ।

नियम ३०१ की सूचनाओं में एक से अधिक घटनाओं का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण मंत्री का व्यवस्था का प्रश्न

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)--

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी माननीय विजय राज सिंह ने एक प्रश्न उठाया, उस पर आपकी अनुकूल व्यवस्था हो गयी, ठीक है। लेकिन यहां की एक व्यवस्था तो यह रही है कि काल्पनिक घटनाओं के सम्बन्ध में कोई प्रश्न किसी रूप में यहां नहीं उठाया जा सकता। माननीय रामदत्त जोशी जी ने जो प्रश्न उठाया वह उनकी जानकारी के हिसाब से ठीक हो सकता है....

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

वह डेफिनेट नोटिस है।

श्री राम सिंह--

चूंकि वह उनकी व्यक्तिगत जानकारी में था, उस पर आज्ञा दी स्पष्टीकरण के लिए आपने। स्पष्टीकरण की आवश्यकता तब तक नहीं होती जब तक कि सदन में कोई जानकारी सरकार की तरफ से न दी जाये। अगर इस तरह से स्पष्टीकरण देने की परम्परा हो जायेगी तो फिर इसका अन्त नहीं होगा। अभी माननीय गुलाब सेहरा ने एक प्रश्न उपस्थित किया था और एक ही प्रश्न में दो घटनाओं का उल्लेख कर दिया। एक नोटिस में एक ही घटना का उल्लेख हो सकेगा या एक से अधिक घटनाओं का भी उल्लेख उसमें हो सकेगा, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

एक ही विषय होना चाहिये।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

एक ही घटना पढ़ी थी मैंने।

श्री अध्यक्ष--

एक ही विषय हो, घटनायें अधिक हो सकती हैं। जो माननीय रामसिंह जी ने कहा इसकी पृष्ठभूमि में आप समझ लें पहले जीरो आवर में लोग खड़े हो जाया करते थे और अपनी हर तरह की बात कहा करते थे और उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता था और उसमें एक घंटा नष्ट हो जाता था। उसको सीमित करने के लिए इसमें थोड़ी सी उदारता बरती और यह किया कि अगर माननीय सदस्य की जानकारी में कोई चीज हो, तो वे जिस तरह से सरकार को पत्र लिखते हैं, यहां नोटिस उसका दे दिया करें। इसमें आपने देखा होगा कि कोई वक्तव्य देना आवश्यक नहीं होता। मैं जिसे आवश्यक समझता हूं सूचना देने के लिए आज्ञा दे देता हूं। अभी खीरी में कुछ हत्यायें हुईं तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। जब तक सूचना में सरकार से सम्बन्धित कोई चीज न हो, मैं किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं देता हूं, लेकिन सम्बन्धित मन्त्रियों का यह कर्तव्य होता है कि वे सम्बन्धित माननीय सदस्य को उसकी सूचना भेज दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

शून्य प्रहर में ५ सूचनायें ली जाती हैं, जो अन्य महत्व की हुआ करें उन्हें आप सम्बन्धित मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया भेज दिया करें ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैं कर देता हूं (व्यवधान) जिनको आवश्यक समझता हूं, सरकार के पास भेज देता हूं ।

एक सदस्य—

५ दिन से लगातार मैं इलाहाबाद जनपद के राजस्व विभाग के लिये नोटिस दे रहा हूं (व्यवधान), लेकिन मेरी सूचना नहीं ली गयी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया तारांकित या अल्पसूचित प्रश्न कर लें । जो सूचना आप चाहते हैं वह शून्य प्रहर में नहीं मिल सकती । उसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न दे दें । मैं विचार करूंगा उसको स्वीकार करने के लिए और सरकार यथाशीघ्र उसका उत्तर आपको देगी ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना का प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न को उठाने की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना था कि माननीय मुख्य मंत्री ने ३० मार्च, १९७८ को सदन में वक्तव्य देते हुए मुरादाबाद जिले के सम्भल नगर में कानून व्यवस्था की गंभीर हालत को साम्प्रदायिक दंगा बताया था । माननीय सदस्य का कहना था कि मौके की जानकारी तथा गांधी मेमोरियल विद्यालय के प्रधानाचार्य का वक्तव्य साबित करता है कि ३० मार्च, १९७८ को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सत्य के परे था तथा उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिया गया था । मैंने इस सूचना को माननीय मुख्य मंत्री के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा । माननीय मुख्य मंत्री ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उन्होंने ३० मार्च, १९७८ को जो वक्तव्य सदन में दिया था वह जिला स्तर से प्राप्त सूचना पर आधारित था । तत्पश्चात् अभिसूचना विभाग द्वारा प्राप्त सूचना भी उनके वक्तव्य की पुष्टि करती है ।

इसके अतिरिक्त माननीय आरिफ मोहम्मद खां ने प्रधानाचार्य जी का जिक्र किया है वह केवल उनका अपना मत है, उनकी सूचना है । उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को भ्रमित किया था । इसलिए मैंने इस सूचना को अस्वीकार कर दिया ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा ६ अप्रैल, १९७८ को उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न ६ अप्रैल को उठाया था, लेकिन कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तोमर जी, जो प्रश्न आपने उठाया था मैंने उसको जांच के लिए भेज रखा है, जब मुझको सूचना मिलेगी तब लूंगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, आप कोई समय निश्चित कर दें। नहीं तो सरकार एक वर्ष तक कुछ नहीं करेगी।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

जांच करने के पश्चात् मैं शीघ्र ही सूचित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

बहुत अच्छा।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के चलने के राजकीय कोष को भारी क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम १४६० राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अपनी गाड़ियां संचालित कर रहा है। परिवहन निगम की यही नीति रही है कि उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाय। परिवहन निगम के गठन के बाद १९७२ में राष्ट्रीकृत मार्गों की संख्या ११२३ थी जबकि १९७७ में राष्ट्रीकृत मार्गों की कुल संख्या १४६० हो गई। इससे स्पष्ट है कि परिवहन निगम बराबर राष्ट्रीयकरण के लिए तत्पर है। राष्ट्रीयकृत मार्गों के अतिरिक्त जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए उन अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी परिवहन निगम संभागीय परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त कर अपनी बसें संचालित करता है, जिनपर साधारणतया निजी बसों को ही चलाने का प्राविधान है। कभी-कभी यह स्थिति भी आती है कि बढ़ती हुई जनता की मांग को देखकर परिवहन निगम के पास इतनी गाड़ियां नहीं रह पाती है कि वह अपने ही संसाधनों से इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अतः स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९५० की धारा १९ के अन्तर्गत यह अधिकार परिवहन निगम के पास है कि वह निजी बसों को किराये पर अनुघोषित कर अपने अधीन अपनी शर्तों पर तथा अपनी देखरेख में उनका संचालन करे। ऐसी दशा में उन गाड़ियों के चालक निजी बस मालिक के ही होते हैं, परन्तु परिचालक परिवहन निगम का होता है। ऐसी गाड़ियों के लिए समय-सारिणी व मार्ग परिवहन निगम द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। किराये की दर भी वही लागू होती है जो परिवहन निगम की गाड़ियों के लिए लागू है। इन गाड़ियों को चलाने के लिए परिवहन निगम और निजी बस मालिक के बीच समझौता कर निर्धारित रकम (१.३० से १.४० रु० प्रति कि० मी० की दर से) लेकर कुछ

[श्री आबिद अली--]

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ये गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे मार्गों की कुल संख्या ६६ है और १२७ निजी बसों के साथ समझौता करके उनकी गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। एसे मार्गों पर परिवहन निगम की भी गाड़ियां चलती हैं और निगम का यह बिल्कुल विचार नहीं है कि उन मार्गों पर से अपनी गाड़ियां हटावें या उन मार्गों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त किया जाये यह समझौता निजी बस मालिकों के साथ उसी समय तक लागू होता है जब तक परिवहन निगम चाहे और जब परिवहन निगम के पास गाड़ियां उपलब्ध हो जाती हैं तो वह अनुबन्धित निजी बसों को मार्गों से हटा देता है। यह बात बिल्कुल साफ है कि इन गाड़ियों को थोड़े समय के लिए ही निगम में बसों की कमी के कारण ही चलाने की नौबत आती है। इनमें १९७२ और उसके बाद के माडेल की गाड़ियां ली गयी हैं। १९७२-७३ माडल की बसों को १.३० रु० प्रति कि० मी० व १९७३-७४ तथा १९७४-७५ माडल की बसों को १.३५ रु० तथा इसके बाद की गाड़ियों को १.४० रु० प्रति कि० मी० दर से किराया दिया जा रहा है।

इन गाड़ियों का परिचालन पहली बार लखनऊ, मेरठ, आगरा व अलीगढ़ क्षेत्रों में सितम्बर, १९७६ से प्रारम्भ हुआ था।

इस समय केवल ८ क्षेत्रों में निजी वाहनें चल रही हैं। टनकपुर व नैनीताल क्षेत्रों के लिए कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं आया। शेष क्षेत्रों में समय-समय पर गाड़ियां अनुबन्धित की जाती रही और छोड़ी भी जाती रही। देहरादून व आगरा क्षेत्रों में अब कोई भी अनुबन्धित गाड़ी नहीं चल रही हैं।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य से जाहिर है कि १२७ निजी बसें ८ क्षेत्रों में चलाई जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा मेरा निवेदन है कि आप इस वक्तव्य को, जो सदन के पटल पर रखा गया है, इसकी इजाजत दे दें कि नियम ५२ के अन्तर्गत इस पर ढाई घंटे की चर्चा की जाय, चूंकि यह नीतिगत मामला है। परिवहन विभाग यदि यह स्थिति पैदा कर देगा कि जनता में भ्रम पैदा हो जाय कि जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर परिवहन निगम बिना प्राइवेट बसों के चलाये अपना काम पूरा नहीं कर सकता, तो इससे हमारी जो नीतिगत बातें हैं उनको धक्का लगता है। इसलिए इस सवाल को मैं यहां उठाता हूं कि इस पर ढाई घंटे की चर्चा की जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आपको यहां उपस्थित नहीं करना चाहिये था। आप नियम ५२ में मेरे कक्ष में लिखकर दें तो मैं उसकी ग्राह्यता पर विचार करूंगा। यहां पर रखने का मतलब यह हुआ कि यहां पर, जैसे कि माननीय मंत्री को इसमें आइटम नं० ६ में कहा गया कि यदि कोई वक्तव्य मंत्री देना चाहें तो नियम ५१ के अनुसार फिर प्रश्नों का बना दिया, जाय तो मैं मंत्रियों को वक्तव्य देने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि उस पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे। इसलिए इस पर विवाद नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को पुरस्थापित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री श्यामधर जी ने एक काम रोको प्रस्ताव दिया है कि स्पिनिंग मिल बन्द होने के कारण मऊनाथ भंजन में तनाव का वातावरण तथा वहां के मजदूरों का बेकार होना । अब चूंकि बजट पर बहस हो रही है इसलिए मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

बजट पर तो बहस हो रही है, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष---

यह स्थानीय प्रश्न है । दूसरे सदस्य इस पर बोल सकते हैं ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष १९७८-७९ का जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं यह बजट जन कल्याणकारी है और इसमें ग्रामों की उन्नति के लिए कुछ रखा गया है । मैं समझता हूं यह बजट अच्छा है, उपयोगी है और ठीक भी है । लेकिन मुझे एक शंका है कि जनता सरकार ने जो नारा दिया है "चलो गांव की ओर" कहीं ऐसा तो नहीं है कि "चलो बंगलों की ओर" । कांग्रेस के ३० साल से शासन ने केवल शहरों की ओर ही देखा और गांव उपेक्षित रहे । जनता सरकार ने अब उधर ध्यान दिया है और कुछ करना भी चाहती है लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह उस ओर ध्यान नहीं दे रहे

†दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*१० अप्रैल, १९७८ की कार्यवाही से ।

[श्री मन्ना लाल]

हैं। मिसाल के तौर पर सरकार की तरफ से आदेश हुआ था कि गांव के अन्दर मंडी समिति या क्षेत्र समिति द्वारा जो लिंक रोड्स बनानी हैं वह ३१ जनवरी, १९७७ तक समाप्त हो जानी चाहिए लेकिन कर्मचारियों की उदासीनता के कारण आज तक भी १२/१२, ५/५ किलो मीटर सड़क पूरी नहीं हो पायी। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दें।

इस समय उत्तर प्रदेश में मेरी समझ में तीन गम्भीर समस्याएं हैं। पहली आरक्षण सम्बन्धी, दूसरी गन्ना सम्बन्धी और तीसरी सुरक्षा की। आरक्षण के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे इसमें कोई एतराज नहीं लेकिन क्या यह जाति-पांति के आधार पर किया जा रहा है या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किया जा रहा है। अगर यह जाति के आधार पर किया जा रहा है तो एक वर्ग संघर्ष पैदा करेगा और इससे भला नहीं होगा। सन् १९५६ में काका कालेलकर ने एक रिपोर्ट दी थी लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। आज १२ वर्ष हो गए। यदि आप लागू ही करना चाहते हैं तो एक समिति बनवाकर जांच करवायें कि वास्तव में किन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिये। क्या उनको मिलना चाहिये जिनके पास पक्के मकान हैं, हाथी हैं, बड़े-बड़े फार्म हैं, मोटर हैं, ट्रक्स, ट्रेक्टर हैं। अगर आरक्षण की सुविधा देनी है तो जो रिक्शा खींचते हैं, जिनके पास खाने का साधन नहीं है उनको मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिनके बच्चे आर्थिक कठिनाई के कारण स्कूल नहीं जा पाते। इन सभी बातों को सोचकर आरक्षण का आदेश होना चाहिए।....

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

ये जो गरीब मजदूर और खेतिहर किसान वगैरह हैं, इन लोगों के आरक्षण का भी ध्यान रखते हुए यह आरक्षण करें।

इसके अलावा, एक बात यह कहना चाहता हूं और वह यह है कि सन १९६७ में हमारे माननीय अध्यक्ष उस समय माननीय सदन के सदस्य थे इसी सदन में। उनको याद होगा, सन् १९६७ में जब चौधरी चरन सिंह मुख्य मंत्री थे 'संविद" सरकार के समय में, उस समय तहलका मचा हुआ था। देहात की जनता सुरक्षा की दृष्टि से आराम से सांस लेती थी। पुलिस विभाग में तो इतना डर था कि कहीं चौधरी चरण सिंह न आ जांय इसलिए १२-०० बजे भी रात में थानेदार रिपोर्ट लिख लेता था। तो उन ९-१० महीनों में सारे उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब ने अपना भूत पैदा कर दिया था। क्या वर्तमान मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव भी अपना भूत खड़ा कर सकते हैं ताकि प्रदेश में शांति कायम हो सके और लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके? आज पुलिस विभाग की हालत यह है कि वह जनता का खून चूस रही है, रिश्वत ले रही है और गुण्डों को खुली छूट दे रखी है। जिला लखीमपुर में पसगवां थाने में ऐसा कोई दिन नहीं होता जबकि चोरी, डकैती, और कत्ल न होता हो। वहां के एस० ओ०, सेकेण्ड आफिसर और कान्स्टेबिल गांव जाते हैं और लोगों को तंग करते हैं कि इसके यहां बंदूक है, उसके यहां नाजायज असलहा है। लेकिन जो वास्तव में बदमाश हैं, उनको छोड़ देते हैं। बदमाश घूमते रहते हैं। वहां पुलिस प्रशासन इतना ढीला और निकम्मा है कि देहात वाले आराम से सो नहीं सकते। उन बेचारों का शांति से बैठना दूभर हो रहा है। इस ओर सरकार का तुरन्त ध्यान जाना चाहिये। थाने में जो घूस

और रिश्वत लेते हैं, उनको बरखास्त करें ओर पुलिस प्रशासन को सख्त करें ताकि देहात म किसान लोग आराम की सांस ले सकें ।

अब मैं आपका ध्यान सन् १९६७ की ओर फिर दिलाना चाहता हूं । उस वक्त किसानों का गन्ना १६ रुपये से २० रुपये प्रति क्विन्टल में लिया जाता था । जब यह जनता सरकार आयी तो पहले तो दाम ठीक मुकर्रर किये कि ९-४० देंगे लेकिन जिला खीरी में मोहम्दी क्षेत्र में तीन से चार रुपये तक गन्ने का दाम मिला । किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है । किसानों के पास खाने को नही है । होली में वे अपने लड़कों को कपड़े तक नहीं बनवा सके और पुराने कपड़ों में होली मनाई । लोगों के यहां पूड़ी-कचौड़ी नहीं बन पाई । ऐसा इसलिए हुआ कि उनको गन्ने का समुचित मूल्य नहीं मिल सका । मैंने कई बार माननीय गन्ना मंत्री जी को लिखा और दो पत्र भेजे । एक पत्र २९ सितम्बर, १९७७ को और दूसरा पत्र ३० मार्च को भेजा था । लेकिन कह दिया कि कोई पत्र नहीं मिला । कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां से जांच के लिए अधिकारियों को माननीय मंत्री जी भेजती हैं लेकिन वहां के जो क्रशर वाले शरमायेदार हैं, वे उनसे मिल जाते हैं और उनको रुपये दे देते हैं । इस तरह से जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता । हमारे मोहम्दी क्षेत्र में ७५ क्रशर चल रहे हैं । और उस मोहम्मदी क्षेत्र का गन्ना चार मीलों में जाता है । इतना होने के बावजूद लगभग आधा गन्ना खड़ा हुआ है जो पिराया नहीं जा सकता है । वह खड़ा हुआ है । मैं तो कहता हूं कि इस गन्ने का क्या होगा । इस के लिए क्या कार्यवाही होगी । मेरा सुझाव है मंत्री जी से.....

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त ।

श्री मन्ना लाल—

एक मिनट और । यह वह समय आ रहा है मई के महीने का जब कि किसान माननीय मंत्री जी को उद्घाटन के लिए बुलाये । उद्घाटन किस का होगा । गन्ने के खेत में दियासलाई ले जा कर माननीय मंत्री जी गन्ने को आग लगायेंगे और उस का उद्घाटन करेंगे । गन्ना जलेगा । किसान पागलों की तरह मस्त हो कर नाचेगा । लेकिन याद रखिये जिस तरह गन्ना जलेगा जिस में किसान का खून पसीना लगा हुआ है उसी तरीके से यदि उचित कदम नहीं उठाये गए तो जनता सरकार भी जल कर भस्म हो जायेगी ।

श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण गम्भीरता और गहराई से पढ़ा । पढ़ने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप ने १९ मदों के अन्दर अपने शासन और सरकार की कुछ बातों को रखा कि सहुलियतों का प्राविधान सरकार द्वारा किया जा रहा है । साथ ही साथ अपने विभागों की अनेक बातों को रखा लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं इस बजट को पढ़ने के उपरान्त किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का वह सपना कि जनता सरकार आयेगी उसकी सुरक्षा होगी, उस को शांति और व्यवस्था मिलेगी। मैं समझता हूं किसी प्रकार से पूरी होती प्रतीत नहीं हो रही है । इस में मैंने देखा कि शांति और व्यवस्था के बारे में यह कहा गया है कि बहुत से पुलिस दस्ते कायम कर दिये गए हैं । आगरा और कुमायूं आदि की सड़कों पर रात्रि में पेट्रोलिंग की जायगी वायरलैस और टेलीफोन की व्यवस्था कर दी जायगी । इस सारी व्यवस्था के परिणामस्वरूप भी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

सुरक्षित अनुभव नहीं कर पा रही है । प्रश्न यह है कि शासन का यह कार्य है कि जनमानस के अन्दर सुरक्षा की भावना पैदा की जाय ।

बरेली का उदाहरण दिया गया है बरेली की सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग होगा । पुलिस रात में भ्रमण करेगी । कुछ दिन पूर्व ही मैंने अखबार 'अमर उजाला में पढ़ा कि वहां पर फरीदपुर तहसील और थाने के अन्दर सीतापुर के एक सेठ को जो अपने परिवार के साथ जा रहा था दिन दहाड़े करीब ७ बजे लूटा गया । उसकी एक लाख रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी है । शांति और व्यवस्था इस बात से कायम नहीं होती है कि आपने पुलिस के दस्ते कायम कर दिये हैं, आपने टेलीफोन और वायरलेस की व्यवस्था कर दी है लेकिन यह तब हो सकती है । जैसा कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे जब कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को, प्रशासन को यह महसूस होना चाहिए कि शांति और व्यवस्था बनाये रखना हमारी जिम्मेदारी है । मैं कहना चाहता हूं जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बनारस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का स्थानान्तरण पांच दिन पहले कर दिया गया, सदन को आश्वस्त किया था लेकिन आज भी उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ । मैंने देखा कि जनपद बरेली में फरीदपुर के पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दिये थे । स्पष्ट आदेश कर दिये थे लेकिन उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि नौकरशाही, अफसरशाही इस वर्तमान मंत्रिमंडल की, वर्तमान सरकार की कोई भी परवाह नहीं कर रही है, उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि प्रशासन गतिशील नहीं हो सकता ।

मुझे अपने दल के प्रतिनिधि दल के सदस्य के रूप में साथ सम्भल जाने का मौका मिला । वहां अधिकारियों से बातचीत की । अगर वहां के एस० डी० एम०, माथुर वहां के जिलाधिकारी फरहत अली के दूर दृष्टि से काम किये होते अगर वहां पर साम्प्रदायिक भावना से अलग हो कर देश के शासन को चलाने के लिये ठोक नीयत से काम किया होता तो सम्भल के अन्दर इतनी विशाल क्षति जन व धन की न हुई होती । वहां २०,२५ लाख रुपये की तो क्षति हुई है। बहुमत वर्ग ने अल्पमत पर जुल्म ढाया और जो १७ व्यक्तियों की जान जाने की बात कही गयी है वह झूठी है, वहां ६०, ७० से अधिक व्यक्तियों की जानें गयी हैं । हमने सम्भल के अन्दर देखा वहां सेठ बनवारी लाल का पूरा कारखाना जला दिया गया और उनको अपनी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा । जब भानजा कहने गया तो जिला अधिकारी फरहत अली से कहा कि कारखाने पर हमला हो गया है तो उसने कहा कि हम नीति तय कर रहे हैं । एक तरफ इतना दर्दनाक हमला हो रहा है, भयावह स्थिति पैदा हो रही है और दूसरी तरफ जिलाधिकारी नीति तय करने की बात कह रहा है । अगर जिलाधिकारी ने ध्यान दिया होता तो यह स्थिति पैदा न हुई होती । ऐसे गंभीर मामलों में केवल अधिकारियों के स्थानान्तरण करने से काम नहीं चलेगा वर्ना एक सम्भल नहीं अनेक सम्भल इस तरह से पैदा हो जायेंगे । इस सब को रोकने के लिये सरकार को कठोर और गतिशील कदम उठाना होगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

आज हमारे जनपद शाहजहांपुर में नहीं सारे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि ५० फीसदी गन्ना भी नहीं पिरा है । मैं कहना चाहता हूं अगर गन्ना खेतों में खड़ा रह जायगा तो महलों में भी आग लगेगी । उत्तर प्रदेश का किसान चुप बैठने वाला नहीं है । उसके खून पसीने की कमायी है । वह उसे वापस पाने में

असमर्थ हो रहा है यह भी हमको बताया गया कि १२०० रुपये प्रति मीटरिक टन इंटरनेशनल मार्केट में नुकसान हुआ है जिसके कारण शकर की कीमतें कम हुई हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का दायित्व था कि वह इंटरनेशनल मार्केट और मिल मालिक के बीच में पड़ कर किसान को गन्ने की पूरी कीमत दिलवाती और गन्ना पिरवाने का प्रयत्न करती। गन्ना मंत्री यहां बैठे हुए हैं। शाहजहांपुर में बीसलपुर शुगर मिल के तीन सेन्टर जिन्दपुरा, निगोही और अरेली बन्द कर दिये गये और उनको बन्द हुए १५,२० रोज हो चुके हैं, जिससे वहां के सभी गन्ना किसान प्रभावित हैं और जिलाधिकारी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपके प्रशासन में चुस्ती आनी चाहिए। इस ढिलाई का परिणाम आपको भुगतना होगा, जिस तरह से कांग्रेस के शासन ने अपने कुकर्मों का परिणाम भुगता है।

एक आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूं। अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है कि पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था हो रही है। चुनाव में केवल २५ से ३३ प्रतिशत की घोषणा की गयी थी। उत्तर प्रदेश की जनता में जो पिछड़ा वर्ग है उसमें ५५ प्रतिशत बैकवर्ड क्लास है ३१ प्रतिशत हरिजन वर्ग है। ७५ प्रतिशत हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ११ प्रतिशत यहां पर आज अल्पसंख्यक हैं और इस प्रकार आपने ८५ प्रतिशत जनता का मतदान प्राप्त किया और उसी की बिना पर यह सरकार बनी है लेकिन जब उनके लिये आरक्षण की बात कही जाती है तो उसे जातिवाद की संज्ञा दी जाती है।

मान्यवर, भारत के संविधान के आर्टिकिल १५ के खंड ४ में कहा गया है कि आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ा होगा उनके लिये हम सुविधायें प्रदान करेंगे उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के १५-२० प्रतिशत जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वे शासन चला रहे हैं। मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग क्या एक जाति है? सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़ी जातियों को जोड़ कर पिछड़ा वर्ग बनायी गयी हैं। साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इन लोगों को जो कि प्रदेश और हिन्दुस्तान के अन्दर ८५ प्रतिशत हैं, इनकी तरफ उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है तो यह हरिजन, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग चुप नहीं बैठेगा, वह भी आन्दोलन करेगा। उसे भी आन्दोलन करने का अधिकार है। वैसे आन्दोलन करने वाले यहां पर केवल १५ प्रतिशत लोग ही हैं। यह पिछड़ा वर्ग अपनी मांगों के लिये लड़ रहा है उसे अभीतक सरकारी नौकरियों में केवल १ प्रतिशत स्थान मिल पाया है और बाकी सारा का सारा उच्च वर्ग के लोगों को मिला है। जब यह बात कही जाती है तो उसे जातीयता कहा जाता है। इन शब्दों के साथ म इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष ७८-७९ का आय-व्ययक रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं इस आधार पर समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि ऐसी आशा बनती है कि पिछले बजट से जो कोशिश जनता सरकार ने गांवों की ओर देखने को की है या उन लोगों की ओर देखने की कोशिश की है जो पिछले ३० वर्षों से बराबर दबे और कुचले जा रहे थे, उसी कोशिश की एक बहुत बड़ी कोशिश हमारी इस वर्ष की योजना के जरिये से आज इस वर्ष इस बजट में रखी गई है जो वित्त मंत्री जी ने रखा है। मान्यवर, जितना हमारा प्रदेश पिछड़ा रहा है और जितना बड़ा हमारा प्रदेश है उसको देखते हुये और उसके पिछड़ेपन को देखते हुये यह ७८६ करोड़ रुपये की जो योजना

[श्री रमाशंकर कौशिक--]

इस वर्ष रखी गई है वह बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितने संसाधन हैं उन सब का उपयोग हम उन क्षेत्रों में कर पायें जिनमें वस्तुतः अभी ३० वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है, जिनकी तरक्की का कोई रास्ता नहीं खुला है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ।

मान्यवर, इस पूरे एक वर्ष की योजना के लिये ७५ फीसदी का खर्च बिजली, सिंचाई, कृषि और ऐसे कामों के लिये रखा गया है जिसका सम्बन्ध पूरे प्रदेश की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है । लेकिन हम एक बात यह देखते हैं कि वर्ष ७८-७९ के लिये विद्युत् के लिये जहां हम ३ हजार से ज्यादा मेगावाट की स्थापित क्षमता रखेंगे वहां इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि वाकई जितनी क्षमता का लक्ष्य रखा गया है उतनी पैदा हो रही है या नहीं । इस बात का ध्यान रखना होगा । गत वर्षों से यह होता आया है कि क्षमता चाहे जितनी क्यों न बढ़ रही हो लेकिन उपलब्धि कम हुई है । पिछले सालों का यह भी अनुभव रहा है कि बिजली विभाग जिसके साथ हमारी प्रगति जुड़ी हुई है-कृषि, सिंचाई, छोटे-छोटे कल कारखाने जुड़े हुये हैं और जिसके साथ हमारी सम्पूर्ण प्रगति जुड़ी हुई है । उसमें उत्तर प्रदेश में छीजन ३० प्रतिशत जाता रहा है । मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि पिछले एक वर्ष में जब से जनता पार्टी शासन में आई है उस ३० प्रतिशत छीजन में कमी नहीं आई । भारत के किसी दूसरे सूबों में इतना छीजन नहीं है । महाराष्ट्र में १२ प्रतिशत है, आन्ध्र प्रदेश में १४ प्रतिशत छीजन है और दूसरे सूबों में भी थोड़ा बहुत छीजन जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में ३० प्रतिशत छीजन जाता है । मान्यवर, वह छीजन नहीं है वह बिजली चोरी की जाती है । और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी जो कोशिश है कि हम प्रदेश के स्तर को बिजली उत्पादन में आगे बढ़ायें वह हम नहीं कर पायेंगे । क्योंकि ३० प्रतिशत चोरी कोई मामूली चोरी नहीं होती वह सब बिजली विभाग के जरिये से होती है यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । तो श्रीमन् मैं इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारी उपलब्धियों में जो यह चोरी की परसेन्टेज है उसको इसको जरूर दूर करें ।

श्रीमन्, जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट रखा है उसमें ४, ५ लाख लोगों को इस साल रोजगार देने की बात की गई है । यह अच्छी बात है । लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जिसमें ६०, ७० लाख लोग बेरोजगार हैं, इतना बड़ा प्रदेश है इसमें यह बहुत कम है । इस तरफ हमें जरूर सोचना पड़ेगा । वित्त मंत्री को यह लक्ष्य आगे बढ़ाना चाहिये ।

श्रीमन्, शिक्षा के क्षेत्र में पिछले तीसों सालों से बराबर उपेक्षा होती रही है । यह बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार भी एलान करती है कि हम २१७२ नये स्कूल खोलेंगे । मान्यवर, यह संख्या का एलान नहीं होना चाहिये कि कितने स्कूल खुलने हैं । प्राथमिक शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है उसको हमें हर गांव सभा में उपलब्ध कराना है । इसके लिए यह एलान होना चाहिये कि हर गांव सभा में एक स्कूल होगा उसमें संख्या चाहे २१७२ हो या ११७२ हो या ८ हजार हो या जितना भी हो । हमारी जो नीति है हमारा जो एलान है उसकी तरफ ध्यान होना चाहिये । इस बात को हम साफ कहें कि संख्या का सवाल नहीं है बल्कि प्रत्येक गांव सभा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देंगे । प्राथमिक शिक्षा के लिए जनता सरकार यह एलान करे तो हम समझते हैं कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक दिशा दी है । प्राथमिक शिक्षा एक अनिवार्य चीज

है जो कि हर बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिये उसके लिए किसी भी बच्चे को दो, तीन मील न जाना पड़े ।

जहां तक सिंचाई का सवाल है उसमें हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे प्रदेश में १७२ लाख हेक्टेयर में खेती होती है उसमें से ३० प्रतिशत ३५ प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है । बिना सिंचाई के खेती की तरक्की की बात करना कोरी कल्पनामात्र है । इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो बजट प्रावधान हैं उसमें सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है । और नये क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा देगें और ५ साल के अन्दर हर खेत में हम पानी दे सकेगें इसके लिए प्रयत्न किया गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं ।

श्रीमन्, भूमि सेना का भी इसमें प्रावधान रखा गया है । यह जो ४, ५ लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है उसमें इस भूमि सेना से और वृद्धि होगी । इस प्रोग्राम को पूरी तल्लीनता के साथ चलाया जाना चाहिये । भूमि सेना के माध्यम से हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकेंगे और उससे जो ऊसर भूमि पड़ी हुई है उसको उपजाऊ बनाने में सरकार मदद देगी तो इस भूमि सेना से प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी इसमें कोई संदेह नहीं है । लेकिन श्रीमन्, इसके साथ–साथ एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं । बजट में सहकारिता के बारे में जिक्र है और सब लोग इस बात को मानते हैं कि सहकारी आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है, जिस आन्दोलन के जरिए से हम लोग समाजवाद की दिशा की ओर बढ़ सकते हैं, हम लोग देश में तरक्की के साधन और हर आदमी को तरक्की में साझीदार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका केवल एक मिनट है जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जब माननीय सदस्य पैरों पर खड़े हैं, हम बैठ न जाएं, तब तक हम खड़े रह सकते हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

श्रीमन्, मेरा यह समय तो आप जोड़ दें, मेरे में आधा मिनट और जोड़ दें ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आप बोलिए ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

सहकारिता आन्दोलन के पीछे जैसी भावना है और जैसा वह चल रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है । हम लोगों की उसके सम्बन्ध में जो कल्पनाएं हैं, जो हिसाब है, वह सब कागज पर ही रह जाता है और सहकारिता आन्दोलन के जरिए जो मदद हम किसानों को पहुंचाना चाहते हैं, वह किसान तक नहीं पहुंच कर सरकारी कर्मचारियों तक और छोटे–छोटे कर्मचारियों तक रह जाती है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइये विभाग का कोई सुपरवाइजर ऐसा नहीं है, जिसको दो–ढाई या तीन सौ मिलता है, जिसके सल्फर प्लान्ट, चीनी के प्लान्ट

[श्री रमाशंकर कौशिक--]

और गुड़ बनाने के प्लान्ट न लगे हुए हों। यह बड़े ताज्जुब की बात है, लेकिन इसे हमारी सरकार के लोग और मंत्री लोग भी जानते हैं। इसमें ट्रांसफर और एन्ट्री के मामले को लेकर इतना ज्यादा हेरफेर होता है, इतनी लूट होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह बड़ी दुखद चीज है, इसको हम इतने समय में दूर नहीं कर सके हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री रमाशंकर कौशिक--

बिक्री-कर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, पिछले एक साल से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है, जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है, जो एक साल पहले लिखा गया कि हम बिक्री-कर को समाप्त करेंगे और केन्द्रीय सरकार कह रही है बिक्री-कर को समाप्त करो, लेकिन सूबे की सरकारें खत्म नहीं कर रही है। यह सरकार कहती है कि हम खत्म करना चाहते हैं। मालूम नहीं क्या कारण है कि एक साल से सरकार इस सम्बन्ध में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। इस कारण प्रदेश की तरक्की और जनता पार्टी की आवाज में बहुत ही कमजोरी आ जाती है, जब हम अपनी घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं और उनको एक-एक साल तक लटकाए रहते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

ऐसी सदन की परम्परा है कि बजट पर सामान्य चर्चा के समय यहां पर वित्त मंत्री और अन्य मंत्रीगण उपस्थित रहा करें, किन्तु यहां तो वह हैं नहीं।

एक सदस्य--

कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

कैबिनेट मंत्री में तो चन्द्रावती जी बैठी हैं, लेकिन और को भी मैं व्यवस्था करता हूं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--

मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से कुछ रचनात्मक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। आज प्रदेश में इस बात का शोरगुल चल रहा है, समाचार-पत्रों में आ रहा है कि अपराधों की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ यह है और दूसरी तरफ सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि स्थिति प्रायः प्रेक्टिक्ली सामान्य है। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक ठीक है। मैं कह सकता हूं कि यह जो शान्ति व्यवस्था में कमी आ रही है, उसका एक कारण है।

आज हमने देखा, हमारे प्रदेश में स्थान-स्थान पर जो अपराध होते हैं, उनको अंकित नहीं किया जाता है। इस बारे में दो राय नहीं हैं कि ७०-७१ में बने पुलिस कमीशन ने भी यह कहा था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध अंकित नहीं किए जाते हैं और उनका न्यूनीकरण किया जाता है। आपने देखा होगा सन् ६१-६२ में हमारे प्रदेश शासन से पुलिस अधीक्षकों को आदेश गए थे कि अपराध सम्बन्धी आंकड़े ठीक से रखे जायं।

अतः अपराधों की संख्या बढ़ गयी । १९६२ से १९६४ तक उसमें ढीलापन आया । १९६७ में दोबारा पुनः आदेश दिया गया कि अपराधों की संख्या ठीक तौर से अंकित की जाय । १९६७-६९ तक हमने देखा कि अपराधों की संख्या बढ़ी क्योंकि ठीक लिखा जाने लगा था । यह आदेश उस समय के थे जब होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह थे । इसमें दो राएं नहीं हैं, जैसा कि पुलिस कमीशन ने कहा था थाने में जो सज्जन रिपोर्ट लिखाने जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं । आपने लखनऊ का कल का किस्सा सुना होगा । श्यामलाल जायसवाल एक एडवोकेट लिखाने गये थाने में रिपोर्ट । एक बहाने या दूसरे बहाने उनको जेल भेज दिया गया । तीन चार दिन पहले का किस्सा सुल्तानपुर का है । एस० के० शुक्ला अध्यापक थाने में गये । झूठा मुकदमा उन पर लगा दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । जब अपराध लिखे नहीं जाते हैं तो शान्ति व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । जब तक कड़ाई से काम नहीं लिया जायगा ।

मैं पुलिस की कर्मण्यता भी सरकार के समक्ष लाना चाहता हूं । दस-बारह दिन पहले शिकोहाबाद तहसील के हेडक्वार्टर पर एक काशी डाकू था, उसको दो लड़कों ने बहादुरी से पकड़ लिया । समय ११ बजे का था । पौन घंटे बाद पुलिस आयी । पुलिस ने देखा उसको पकड़ लिया गया तो उसके पास एक वेबली स्काट बन्दूक और दस हजार की सोने की लड़ वहां पर पड़ी हुई थी । पुलिस इसका श्रेय खुद प्राप्त करना चाहती थी । पुलिस को राय दी गयी कि इसको पकड़ने व मारे जाने का समय चार बजे दिखलाया जाय। उन्होंने योजना बनायी, और मुठभेड़ में उसको मार डाला गया । प्रथम रेडियोग्राम सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने आई० जी० को दिया उसमें कहा गया कि २८ तारीख को चार बजे मुठभेड़ में मार दिया गया । उनको दोबारा राय दी गयी यह कैसे हो सकता है ११ बज का समय है । अच्छा हो १० बजे की मुठभेड़ दिखला दें । दूसरा रेडियोग्राम आई० जी पुलिस को सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने दिया और अंकित किया गया कि चार बजे गलती से लिख दिया गया था, दस बजे सुबह समझा जाय । जब तक रेडियोग्राम आई० जी० के पास पहुंचाहै, एडीशनल आई० जी० ने खबर भेजी कि यह किस प्रकार से हो सकता है । १२ घंटे हिरासत में रहा हम लोगों को सूचना नहीं दी गयी । फिर राय दी गयी कि दस बजे शाम कर दिया जाय । तीसरे रेडियोग्राम में कहा गया कि १० ए० एम० लिखा गया था, १० पी० एम० होना चाहिए । यह सरकार के डाकुमेंट्स हैं । एक बहुत ही अजीबोगरीब बात थी कि जब मुठभेड़ दिखलायी गयी तो कहा कि उसके पास एक बन्दूक निकली, १२-१४ घंटे हिरासत में रहा, पांच जीपें वहां रहीं, बदमाश मारा गया । मृत्यु तो आनी थी उसकी, लेकिन गलत तरीके से, इस तरह से किया जाना, इससे जनता के अन्दर सनसनी फैलती है, जब कि किसी तरह से उसका औचित्य नहीं है । पुलिस की कार्यवाहियों पर विशेष रूप से दृष्टि होनी चाहिए । इसी डाकू ने ६ गांव के आदमियों को मारा था । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था। मैं उस गांव में गया था । उस गांव की दो औरतों ने पुलिस स्टेशन पर जाकर सूचना दी । सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी पुलिस १२ बजे उस गांव में पहुंची । उस समय तक डाकू दूसरे गांव की तरफ चले गये थे । तब उस गांव में पुलिस के आदमी पहुंचते हैं । उस समय गांव के आदमी बुलाये जा रहे थे । घटना स्थल से पुलिस के लोग केवल ३ फर्लांग थे । उन्होंने इधर से लाइट फायरिंग की जिसके कारण डाकू सजग हो गये कि पुलिस आ रही है । मेरा कहने का मतलब यह है जब तक पुलिस पर अच्छी तरह से दृष्टि नहीं रखी जायेगी तब तक शान्ति व्यवस्था ठीक प्रकार से हो नहीं सकती है ।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आपके माध्यम से बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कहा यह जा रहा है कि बिहार जल रहा है और उसकी चिनगारी यहां पर भी आ गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका आधार क्या होना चाहिये । इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गयी है । क्या यह सदन और क्या हमारे मुख्य मंत्री आधार में परिवर्तन करने में सक्षम हैं यदि आप इसको परिवर्तन करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप इसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजें और पार्लियामेंट में भेज तभी यह जो समस्या उठ खड़ी हुई है वह हल हो सकेगी और कोई चारा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (जिला गाजियाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट १९७८–७९ का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । पिछले दिनों भूतपूर्व मुख्य-मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी बोल रहे थे । उन्होंने गांव की ओर चलो नारे का मजाक उड़ाया । मैं सोचता रहा कि इस मजाक के पीछे क्या हो सकता है । कभी उनका तो नारा था कि संजय जी की ओर चलो, टाटा और बिरला की ओर चलो । इसलिए अब वे अगर गांव की ओर चलेंगे तो संजय की ओर नहीं चल पायेंगे । इसी कारण उन्होंने हमारी जनता सरकार का मजाक उड़ाया । मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था का बड़ा जिक्र किया जाता है कि शान्ति और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है । आखिर उसका कारण क्या है । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था ठीक करने के लिए एक फारमूला अपनाया जाये कि ३० वर्ष से जितने भी लोगों नें सत्ता में रह कर अनियमिततायें की हैं उनको जेल में बन्द कर दिया जायें ।

मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण बताना चाहता हूं । वहां पर भूतपूर्व कांग्रेसी सदस्य हैं वह आज भी जनता से चन्दा वसूलने का काम कर रहे हैं । चुनाव में बेशक हारे हैं लेकिन अनेक अनियमिततायें करने के बाद भी वे सड़कों पर घूमते रहते हैं । इन सबका अपराधी लोगों पर बुरा असर पड़ता है और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है । वे यह समझते हैं कि जब इन ३० साल के पापियों को सजा नहीं मिल रही है, उनको सरकार जेल में नहीं भेज पा रही है तो उनको क्या डर है । मैंने आज ही नहीं पहले भी यहां पर कहा था दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनकी जांच करायी जाय और उनको जेलों में बन्द किया जाय तब जाकर प्रदेश और देश की शान्ति व्यवस्था ठीक हो पायेगा । सिर्फ पुलिस पर ज्यादा खर्चा करने से बात नहीं बनेगी । आज होता क्या है ? जितने भी अपराधी हैं वे खुलकर बदमाशी करते हैं । आज माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, संजय गांधी कहीं पर भी जायें , अपराधी होने पर भी वे खुले रहते हैं, माननीया इंदिरा जी कहीं भी जांय, खुली घूमती हैं, उनका स्वागत होता है । उसका असर आज प्रदेश के जो अपराधी हैं, उनके मन पर पड़ता है । आज उनके मन में भय पैदा करने की जरूरत है ।

३० साल के कांग्रेसी शासन ने गांवों की उपेक्षा की है और इस हद तक की है कि आज समाज में आर्थिक असंतुलन बना हुआ है । आज गांवों में रहने वाले नौजवान बेरोजगार हैं, गांव के लड़के पढ़ लिख कर भी बेकार घूमते हैं । किसान बड़ी कठिनाई उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पाता है । उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती चली जा रही है । उत्तर प्रदेश में आज जो बजट रखा गया है अगर

इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो गांवों में तथा छोटे-छोटे कस्बों में जो ग्रोथ सेंटर्स खुलवाये जा रहे हैं उसमें मेरी प्रार्थना है कि उन पर नौकरशाही का कब्जा न रहे। नौकरशाही के कारण हमारी जो सहकारी समितियां थीं उनका क्या हाल हुआ। इसी प्रकार से अगर इन पर भी नौकारशाही का कब्जा रहा तो वही हालत इन ग्रोथ सेन्टर्स की भी होगी। गांवों में छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को अगर लोगों को लगाना चाहते हैं तो इनकी ओर हमारी सरकार को ध्यान देना होगा। बेशक उत्तर प्रदेश में २.३ प्रतिशत की वर्ष १९६०-६१ और १९७५-७६ के दौरान विकास की दर रही है जो कि राष्ट्रीय स्तर से ३ प्रतिशत के हिसाब से कम पड़ती है। इस पिछड़ेपन का कारण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है या अफसरशाही को जो खुली छूट मिली हुई है, वह हो सकती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रदेश की अफसरशाही के ऊपर अंकुश लगायें। जब ऐसा किया जायगा तभी गांवों का विकास हो सकता है। क्योंकि ये लोग सारे के सारे शहरों में पैदा होकर, पढ़ लिखकर अफसरों के बड़े-बड़े पदों पर चले जाते हैं। गांवों के लोग आगे बढ़ सकें उनका इससे कोई मतलब नहीं है।

मान्यवर, कांग्रसी शासनकाल में हरित क्रान्ति की बड़ी बात कही जाती थी। मेरा निवेदन है कि मैं गाजियाबाद से चुनाव जीत कर आया हूं। शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि वह एक बहुत ही सम्पन्न जगह है मेरे क्षेत्र में ५० गांव भी हैं लेकिन दुख है कि आज भी वहां पर कोई सड़क नहीं है, स्कूल नहीं हैं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वे चाहे शहर के नजदीक के हों, उनकी उपेक्षा रही है, इसके पीछे साजिश रही है अफसरशाही की जिसको कांग्रेसियों ने हमेशा प्रोत्साहन दिया है।

पिछली बार जब मैं यहां पर बोला था मैंने आपके माध्यम से इस बात को उठाया था कि वहां पर एक जिला अस्पताल कायम करने की घोषणा की जाए जो सरकार ने मान लिया मेरी प्रार्थना है चूंकि यह एक नया जिला बना है, इसलिए इस अस्पताल में समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाय। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह ७८-७९ का बजट रखा है, इसमें नए जिले के विकास के लिए सुविधायें दें। अभी मैं बजट की कापी पढ़ रहा था। गाजियाबाद में अभी नयी शराब की दूकानों के लाइसेंस मिलने वाले हैं। अगर मद्यनिषेध लागू करना है तो नई दूकानों के लाइसेंस न दिए जायं और पिछले लाइसेंस रद्द किये जायं। एक तरफ मद्यनिषेध भी लागू करना चाहेंगे और दूसरी ओर नई शराब की दूकानों के लाइसेंस भी देंगे तो इस प्रकार से दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। गाजियाबाद में लाइन पार का इलाका भूड़ भारत नगर सुन्दरपुरी आदि है, उसे नगरपालिका में तुरन्त शामिल किया जाय। बजट में मजदूरों के पुनर्वास आदि की बातें कही गई। कैलाभट्टा मजदूरों का एक ३० हजार की आबादी का गाजियाबाद में मोहल्ला है, वहां पर मजदूर रहते हैं, उनकी जो कालोनी अभी तक ग्रीन बेल्ट में है इस ग्रीनबेल्ट से निकाल कर वैध कालोनी घोषित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो बोलने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए कौन सा नियम निर्धारित किए हैं? मान्यवर, मैंने ७ तारीख को अपना नाम दिया था, उस दिन आपने यह

[श्री बाबूराम शुक्ल]

कहकर समय नहीं दिया कि मैं गवर्नर के भाषण पर बोल चुका हूं। आज भी मैं आपके पास गया था, तब भी आपने यही बात पूछी था। मान्यवर, अभी आपने श्री रमाशंकर कौशिक को समय दिया, जिन्होंने राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। मैं समझ गया। कोई भी पीठासीन अधिकारी किसी भी सूची से बाध्य नहीं है। यह हमारे विवेक पर है। आपको अवश्य समय मिलेगा। आप धीरज से बैठे रहें।

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत हुआ है, वह किसी भी योजना की दिशा को इंगित नहीं करता। लगता है कि वित्त मंत्री का सम्बन्ध इस बजट से इतना ही रहा कि उन्होंने उसको पढ़ दिया, अन्यथा अगर गौर से देखा जाय तो इसकी शब्दावली ठेठ नौकरशाही पर आधारित है। यह बजट, गत वर्ष के बजट में ही कुछ आंकड़ों की हेरा-फेरी करके ज्यों का त्यों रखा गया है।

मैं अपने भाषण में आज प्रदेश में जो हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो शांति व्यवस्था प्रदेश की है, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज इस प्रदेश की जनता भलीभांति जान चुकी है। जहां तक शांति व्यवस्था और कानून की बात है, एक वर्ष में इस प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि यह सरकार उसको कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है। हमारे वित्त मंत्री ने ७८-७९ में २० करोड़ रुपये मितव्ययिता द्वारा बचाने की बात कही। यहां पर वित्त मंत्री नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गत वर्ष भी उन्होंने १५ करोड़ रुपये बचाने की बात कही थी, उस पंद्रह करोड़ रुपये में उन्होंने कितना बचाया? उसका क्या उनके पास कोई ब्यौरा है? उसका उन्होंने अपने इस बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने पिछले बजट में एक समिति के गठन की बात कही थी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समिति का गठन किया गया? क्या उस समिति ने कोई सुझाव दिया? और अगर दिया तो उस पर कितना अमल किया गया। इस २० करोड़ रुपये की बचत को अगर धोखा कहा जाय तो गलत साबित नहीं होगा। फिजूल खर्ची रोकने की बात है। टेलीफोन, मोटर गाड़ियां और पेट्रोल आदि पर जितनी फिजूल खर्ची बढ़ी है वह गत वर्ष की सरकारों से बहुत ज्यादा है। बहुत से अनुत्पादक पदों का सृजन किया गया है। उसके अलावा २० करोड़ रुपये के बचाने की बात कोई माने नहीं रखती। इसके अलावा गत वर्ष जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में "अंत्योदय" के लक्ष्य को सरकारी नियोजन में प्राथमिकता देने की बात कही थी। २६ अगस्त, १९७७ को वित्त मंत्री ने आपने भाषण दिया था तो कहा था कि "अन्त्योदय" के उत्थान के लिए समाज में जो सबसे अन्त वाले हैं, गरीब हैं, पद-दलित हैं उनके विकास के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया जायगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट भाषण में उन्होंने इस शब्द का कहीं जिक्र तक नहीं किया। लगता है, वित्त मंत्री ने "अन्त्योदय" की अन्त्येष्टि ही कर दी। हां, उन्होंने ६ करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के उत्थान के नाम पर उसकी व्यवस्था कर अपना समाधान कर लिया।

श्रीमन् हमारी गन्ना मंत्री बैठी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में इस प्रदेश के हजारों और लाखों लोगों ने जो कृषक हैं,

उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गयी। अरबों रुपयों का नुकसान गन्ना कृषकों का हुआ है। आज भी एक तिहाई गन्ना खेतों में पड़ा सूख रहा है। उसको पेरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर औसत निकालों तो ३ रुपया, चार रुपया, पांच रुपया मन...

श्री अधिष्ठाता--

गन्ने पर आम बहस हो चुकी है सदन में। क्यों समय इसमें लेते हैं। एक बात को बार-बार नहीं कहना चाहिए। कुछ नयी बात कहिए।

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल--

ठीक है, आज उद्योग की बात करता हूं। आज औद्योगिक क्या नीति होगी सरकार की, उसकी कोई झलक इस बजट भाषण में नहीं दिखाई गयी है। विगत वर्ष औद्योगिक निदेशक ने खुद स्वीकार किया था कि आने वाले समय में औद्योगिक विकास की गति १०-१२ प्रतिशत से घटकर ६-७ प्रतिशत रह जायगी। अभी जो हमको बजट भाषण मिला है उसमें पृष्ठ १३ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में २१०० नयी लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने की आशा है। वर्ष १९७७ समाप्त हो गया आप १९७८-७९ का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन हमको इसका ज्ञान नहीं हुआ कि कितनी लघु इकाइयों को गत बजट वर्ष में आपने स्थापित किया। और जहां आपने स्थापना की बात कही है तो वे कहां लगेंगी, किस क्षेत्र में, गांव में या शहर में कहां स्थापना होगी उसका कोई भी उल्लेख उन्होंने बजट भाषण में नहीं किया है।

श्रीमन्, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने आंकड़ों की हेरा-फेरी करके दिखाने की कोशिश की है कि उनको बहुत ही जर्जर और बहुत ही खस्ता आर्थिक अवस्था में उत्तर प्रदेश मिला। मैं अपने वित्त मंत्री से चाहूंगा कि वे कृपया आज उनके दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, चौधरी चरण सिंह, चन्द्रभान गुप्त, श्री टी० एन० सिंह और बहुगुणा जी...

श्री अधिष्ठाता--

जो माननीय सदस्य यहां नहीं आ सकते उनको आप नाम से सम्बोधित न कीजिए। उनको उनके पद से, भारत के गृह मंत्री कह सकते हैं और इस प्रकार कहते हुए अपनी बात कह सकते हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

ठीक है। जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं और आपके दल के वरिष्ठ नेता हैं, मैं कहूंगा कि उनसे जाकर मिलें और पूछें कि क्या उनके कार्यकाल में विकास हुआ? मैं समझता हूं उनको सही ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ पिछली सरकार के जमाने में। मैं उत्तर प्रदेश की आय के विषय में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा।

१९७२-७३ में उत्तर प्रदेश में आय में ५.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब कि भारत की १.५ ही है। १९७३-७४ में हमारे यहां की २.५ है, जब कि भारत की ५.० है। १९७४-७५ में हमारे यहां प्रदेश में ३.५ हुई जब भारत की ०.२ है। १९७५-७६ में हमारे प्रदेश की आय का प्रतिशत है ७.५, जब कि भारत का है ६.६। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के काल में उत्तर प्रदेश की आय ५.५ प्रतिशत की दर से हर वर्ष बढ़ी, जबकि भारत की आय ४.४ की दर से बढ़ी। प्रति व्यक्ति आय में हमारे यहां वृद्धि ३.६ प्रतिशत तथा भारत की १.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

आज मान्यवर, हमारे सामने सबसे गम्भीर विषय चिंता का यह है कि वर्तमान सरकार उपलब्ध साधनों का भी पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। दिसम्बर तक शारदा, राम गंगा, व गंडक कमांड एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी केवल १७ प्रतिशत धन का ही उपयोग कर पायी है इसी प्रकार सिंचाई विभाग द्वारा ९० करोड़ रुपया वापस किया गया।

बिक्री-कर को समाप्त करने के विषय में भी कई बार सदन में घोषणा की गयी। कई बार कहा गया कि उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा। डीजल पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। पाम आयल पर टैक्स ८ परसेन्ट कर दिया। इस सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर देखने में आ रहा है। सस्ते गल्ले की दूकानों के बारे में भी कहा गया है कि विकेन्द्रीयकरण किया जायेगा, मगर हो उसका उलटा हो रहा है। अभी आगरा में जब माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी गये तो उनके निर्देश पर अनुसूचित जाति के दो आदमियों की दूकानें कैन्सिल कर दी गयीं, उन्होंने जनसंघ के एक नेता के यहां दावत खायी और उन दूकानों को उनके कहने पर कैन्सिल करवा दिया। वे चाहते थे कि सब कुछ आर० एस० एस० के हाथों में रहे।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठें। आपका समय समाप्त।

(श्री बाबूराम शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य--

जो लोग व्यवस्था का प्रश्न उठाकर खड़े हो जाते हैं उनको ही समय मिलता है, हम भी इसी तरह क्या खड़ा हुआ करें ?

श्री अधिष्ठाता--

ऐसा नहीं है। सब को समय मिलेगा। आप कृपया बैठें।

*श्री बाबू राम शुक्ल--

मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो सन् १९७८-७९ का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं मेरा निश्चित धारणा है कि पिछले ३० वर्षों के बाद इस सदन में पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ है, जिसमें ग्रामीण विकास और खेती के उत्पादन में वृद्धि तथा लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, जिन चीजों की व्यवस्था इस बजट में नहीं हो पायी उसकी ओर अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि कानपुर नगर में गंगा नदी है गंगा नदी कानपुर को छोड़ कर लगभग १० किलो मीटर उन्नाव की ओर चली गयी है। इस कटाव के कारण जहां एक ओर उन्नाव जिले के पचासों गांवों नष्ट हो गये हैं वहीं धारा के कटाव के कारण राष्ट्रीय सड़क मार्ग और रेल मार्ग को खतरा उत्पन्न हो गया है। इतनी ही नहीं श्रीमन् गंगा की धारा दूर चले जाने के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर नगर में जो रिवर साइड पावर हाउस है जिसको गंगा के जल की आवश्यकता रहती है और भैरों घाट पर जो वाटर पम्पिंग स्टेशन हैं, इन दोनों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। उनको पानी देने के लिये लाखों रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जाते हैं और ड्रेजिंग करके पानी लाया जाता है, जिससे किसी प्रकार से काम चलता है। तो एक खतरा बना हुआ है और किसी समय भी वाटर पम्पिंग स्टेशन को, रिवर साइड पावर हाउस को पानी मिलना बन्द हो जायगा और इससे कानपुर नगर में विद्युत् और पानी का संकट खड़ा हो जायेगा। मान्यवर, पिछली कांग्रेस सरकार ने एक योजना तैयार की थी। इस योजना के अन्तर्गत बिठूर के पास २५ करोड़ रुपये की लागत से एक बांध बनाया जाना था। उस बांध के लिये सर्वे किया गया और ५ लाख रुपया सर्वे पर खर्च हुआ। बांध बनने के लिये इंजीनियरिंग स्टाफ आ गया और कुछ सामान आ गया। कार्य प्रारम्भ हुआ लेकिन उसी कांग्रेसी सरकार ने न जाने किन परिस्थितियों में उस बांध बनाने की योजना को स्थगित कर दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वहां बांध नहीं बनाया गया तो कानपुर नगर के लिये संकट की स्थिति किसी समय पैदा हो सकती है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बांध बनने में अभी तो २५ करोड़ रुपये का खर्च पड़ा लेकिन उस बांध के बनने के बाद जो जमीन शासन को उपलब्ध होगी वहां पर एक इंडस्ट्रियल टाउन तैयार किया जा सकता है। लगभग १२ हजार एकड़ भूमि उपलब्द होगी जहां पर यह इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जा सकता है और इस जमीन को बेचकर ५० करोड़ रुपये सरकार को मिल सकते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बांध बनाने की योजना पर पुनर्विचार किया जाय।

मान्यवर, वित्त मन्त्री ने ग्रामीण विकास की बात कही है। लेकिन इस बजट में उन ग्रामों का जिक्र नहीं किया गया है जिन ग्रामों को नगर महापालिकाओं ने अपने अन्दर अधिग्रहीत करके ले लिया है। कानपुर नगर महापलिका और कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग २०० ग्राम आते हैं। इन ग्रामों की दशा किसी भी पिछड़े ग्रामों से खराब है। न वहां पर गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है और न स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गयी है और न इन ग्रामों में खड़ंजे लगाये गये हैं। इन ग्रामों में बरसात में जो पानी भर जाता है उसकी निकासी के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बरसात में यह गांव टापू बन जाते हैं और इन गांवों में जाने के लिये कमर-कमर भर पानी पार करना पड़ता है। मान्यवर, इन गांवों से नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण को टैक्स की लाखों रुपये की आमदनी होती है। लेकिन इस आमदनी का उपयोग इन गांवों के विकास के लिये नहीं किया जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन गांवों के विकास के लिये एक बड़ी योजना बनायी जाय। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेसी सरकार ने कानपुर नगर और कानपुर देहात क्षेत्र को अलग-अलग कर दिया था। और दो जिले बना दिये थे, दो जिलाधीश और दो पुलिस अधिकारी नियुक्त हो गये थे। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने दोनों जिलों को पुनः एक जिला करने की घोषणा कर दिया। हम कानपुर के विधायकों ने इस बात

[श्री बाबू राम शुक्ल]

का विरोध किया और मुख्य मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि कानपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया जायेगा और जो कानपुर के देहाती इलाके हैं, पांच तहसीलें हैं उनको पिछड़ा क्षेत्र माना जाय। लेकिन मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि न कानपुर महानगर को मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया गया है और न पांच तहसीलों को पिछड़ा क्षेत्र ही घोषित किया गया है।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बजट में माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों को पेन्शन और सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा दे दी गयी है। लेकिन एक बात में कहना चाहूंगा कि जो आवास भत्ता घोषित किया गया है वह माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को बेसिक शिक्षकों के बराबर घोषित किया गया है, जबकि होना चाहिये था कि राजकीय विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक हैं उन्हीं के समान माध्यमिक शिक्षकों को आवास भत्ता दिया जायेगा।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेच्युटी और बीमा की सुविधा नहीं मिलती है। इसलिये शासन से मैं कहना चाहता हूं कि अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की भांति माध्यमिक विद्यालयों के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको भी पेन्शन, ग्रेच्युटी और जी० पी० एफ० तथा बीमा की सुविधा दी जायं। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण को मैंने पढ़ा और सुना है इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं कि उनका इरादा और हमारी सरकार का इरादा गांव की ओर जाने का है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना यह है कि यह गांव की ओर चलने का इरादा सिर्फ कोरा नारा रहता है या यह कुछ कर सकेंगे। इसके लिये मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं यह सरकारी तंत्र ऐसा लगता है कि इस बात के लिये कटिबद्ध है कि हम चाहे जितनी सरकारी घोषणायें करें लेकिन हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। मैं जब यह कहता हूं तो इसके पीछे वे तथ्य हैं जो कि सदन के सामने जब आयेंगे तो सदन को हैरानी होगी।

मान्यवर, गांव की ओर बढ़ने का इरादा है तो हम सड़क, पानी और बिजली जो तीन समस्यायें प्रमुख हैं गांव के विकास के लिये उनको विशेष रूप से देखना होगा। सबसे पहले हम सड़क को लेते हैं। इसके लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से 'फूड फार वर्क' योजना के अन्तर्गत केवल सिंचाई विभाग को ९० हजार टन गेहूं स्वीकृत हुआ। इस गेहूं की स्वीकृति पर जब उनसे टिप्पणी मांगी गयी तो कह दिया कि हम ९० हजार टन गेहूं का उपयोग नहीं कर सकेंगे और सिर्फ १० हजार टन गेहूं इन्होंने मांगा। ८० हजार टन गेहूं वापिस कर दिया। इसलिये आप सोचें कि १० हजार टन से क्या हो सकता है। यदि सब मिल जाता तो इस प्रदेश में जितनी सड़कों की कमी है, हर माननीय सदस्य जो अपने भाषण में चर्चा करते हैं कि फलां सड़क बना दी जाय, वह न रह जाती।

यदि ९० हजार टन गेहूं ले लिया जाता। तो इस प्रदेश में १० हजार किलोमीटर कच्ची सड़कों का निर्माण हो सकता था। यदि कच्ची मिट्टी का काम न किया गया होता और नहर की पटरियों, माइनर्स पर अर्थ वर्क पहले से हो चुका है उन पर पेन्टिंग का काम हो जाता तो ४ हजार किलोमीटर पक्की सड़कें बन सकती थीं इन ९० हजार टन गेहूं के जरिये। लेकिन यह इनकी अकर्मण्यता और नपुंसकता है कि दस हजार टन ही इन्होंने लिया और ८० हजार टन गेहूं सरेण्डर कर दिया। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है। जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर जिम्मेदारी फिक्स करके एडवर्स एन्ट्री ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इन्होंने जो क्रिमिनल आफेन्स किया है उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। प्रशासन एक घोड़ा है, ब्युरोक्रेसी एक घोड़ा है। उस पर घुड़सवार कैसा है यह उसकी रानों की ताकत और एड़ लगाने से पता चलता है कि घुड़सवार अनाड़ी है या होशियार है। मैं आपके माध्यम से कहता चाहूंगा कि यह सरकार अपने को सक्षम बनाये और अपनी रानों और एड़ में ताकत पैदा करे जिससे कि ब्युरोक्रेसी नामक घोड़े को ठीक से चला सकें।

इसी प्रकार से मान्यवर एक और बात है जो हैरानी में डालने वाली है। सिंचाई विभाग को करोड़ों रुपया पिछले बजट में मिला था। आश्चर्य की बात है कि सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता और नपुंसकता के कारण ५० करोड़ रुपया उसने सरेन्डर कर दिया। अगर वह रुपया सरेन्डर न करते तो १० हजार ट्यूबवेल्स उसमें बनाये जा सकते थे। जब इस बात का जिक्र करता हूं तो निश्चित रूप से इस बात का जिक्र करता हूं कि मेरे जिले में ४० ट्यूबवेल्स मिले हैं। सात कांस्टीट्यूएन्सीज हैं। सब में बांटें तो पांच या छः हर एक में आता है। यह इलाका मध्य प्रदेश से मिला हुआ है जहां डाकुओं की समस्या है। हमारे यहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। गांव का आदमी सोचता है कि जो पड़ोस का सरसब्ज इलाका है उसको ही लूट लिया जाय। उसके सामने जीने के लिए चोर डाकू बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता क्योंकि वह क्षेत्र उपेक्षित है। सिंडोन, जाजीपुरा, चौरेला, बिन्डवा, मढ़ीगट, कचहरी करियावली, बंसरी, नीमरी, महुआसूंड, भड़ाकान्तदाभरे, हरोली की पट्टी व दासपुर मानपुर, खराका बसन्तपुर, सैहोली सडरापुर, बीमलपुर अपाना, जुहीखा की जमुना की पट्टी तथा गुदरी, जुआ मुडैना, फूटाताल, अजुआपुर, लल्लापुर, सौहरीगडिया, मदन सिंह का पुरवा, सताडी, धोहरा नवलपुर व पडरिया का सेंगर की पट्टी ऐसी हैं जो उपेक्षित रही हैं। यह पूरी की पूरी पट्टी ऐसी है जो असिंचित है। अगर यह १० हजार ट्यूबवेल लग जाते तो इसी साल के अन्दर केवल वही इलाका सरसब्ज हो गया होता बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी इलाके सरसब्ज हो गये होते। इसी तरह जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः सिंचाई का काम होता है। नैचुरल रिसोर्सेज पानी के हैं। सिंचाई विभाग को कई करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन वाह रे इनकी अकर्मण्यता और नपुंसकता कि २० करोड़ रुपया इन्होंने सरन्डर कर दिया। अगर यह रुपया इस्तेमाल कर लिया होता तो उससे २० हजार मेगावाट बिजली तैयार हो सकती थी। आप कल्पना कीजिये, २० हजार मेगावाट बिजली कितनी होती है। अगर वह बनती तो बिजली की समस्या भी हल हो जाती। टेहरी बांध परियोजना जो १९६४ में प्रारम्भ हुयी थी, उसकी मीटिंग १९७५ में हुयी। १९६४ से एक एडीशनल चीफ इंजीनियर और सैकड़ों इंजीनियर उसमें लगे हैं। लाखों रुपये इस परियोजना पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन उसकी मीटिंग हुयी १९७५ में और उसी मीटिंग को सिनट्स कनफर्म की गयी १९७८ में। अर्थात् १९६४

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट—]

में यह परियोजना प्रारम्भ हुयी और १४ साल बाद १९७८ में मिनट्स कनफर्म करते हैं। यह प्रशासन की नपुंसकता और अकर्मण्यता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? उसके लिये मैं निश्चित रूप से शासन को दोषी ठहराता हूं। लड़ाई किस बात पर है। वह कहते हैं कि उसमें आई० ए० एस० हो या इन्जीनियर। मेरा निवेदन है कि उसमें आई० ए० एस० को रख देना चाहिये क्योंकि उसमें जमीन आदि के जो मसले हैं, उनको कायदे से सुलझाया जा सकता है और समस्या हल हो सकती है।

दूसरी बात जो सबसे बड़े विडम्बना की है, वह गन्ना की समस्या के बारे में है। मान्यवर, यदि मैं मुख्य मन्त्री होता तो गन्ना विकास मन्त्री को अपने मन्त्रि मन्डल से तुरन्त बर्खास्त कर देता। मान्यवर, उनकी वजह से प्रदेश में गन्ने का विनाश हो गया। जिस लकड़ी से छप्पर बनता है, वह ८/१० रुपये क्विन्टल और जिस चीज से चीनी बनती है और जिससे देश और प्रदेश को करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा मिलती है, उस गन्ने के दाम ५, ६ और ७ रुपये क्विन्टल हो गये। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है। जलाने की लकड़ी २५/३० रुपये क्विन्टल और गन्ना जो कि ऐसी चीज है जिससे आप एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, उसके मूल्य इतने नीचे गिर गये। और सरकार की तरफ से कहा गया कि गन्ने में कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मान्यवर, गन्ना विकास मन्त्री बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और उन्होंने किसानों को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि किसान गन्ने की खेती के लिये अगले १० साल तक तक सोचेंगे।

मान्यवर, यह सामान्य नीति का विषय है कि जो मन्त्री होता है, वह अपने विभाग के कारपोरेशन का चेयरमैन नहीं होता। लेकिन इस सरकार के ऐसे दो मन्त्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने विभाग के, मुख्य मन्त्री जी की इच्छा के विरुद्ध उनको थ्रोटेन करके, कारपोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किये गये हैं। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है ?

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस सरकार में हर साल महोत्सव होते हैं। गर्मी में महोत्सव होता है कि फलां जगह सूखा पड़ गया। बरसात में महोत्सव होता है कि फलां जगह बाढ़ आ गयी। सर्दी में महोत्सव होता है कि ठंडी लहर से इतने लोग मर गये और गर्मी में महोत्सव होता है कि लू-लपट से इतना नुकसान हुआ। इस तरह से लाखों रुपया हर साल इन महोत्सवों पर खर्च किया जाता है सरकार द्वारा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और न समस्या का निदान होता है।

मान्यवर, क्यों नहीं इसमें सरकार एक गैर सरकारी और सरकारी आदमियों की एक समिति बना देती जो इस समस्या पर विचार करे और अपनी रिपोर्ट दे ताकि इस समस्या का निदान हो सके। इसी तरह से हरिजन उत्पीड़न की बात है। इतनी पुलिस लगी है, लेकिन फिर भी हरिजनों का उत्पीड़न होता चला जा रहा है। काश मुख्य मन्त्री जी का स्टेटमेन्ट सही होता। अखबार वाले तो वस्तु स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर लिख देते हैं। लेकिन इसमें उचित होगा कि सरकार एक समिति बना दे सरकारी और गैर सरकारी आदमियों की जिसमें डी० आई० जी०, हरिजन सेल को भी रख दिया जाय, जोकि पहले से इसमें काम कर रहे हैं और वह समिति अपनी रिपोर्ट दे ताकि इस समस्या का निदान हो सके और हरिजन पर उत्पीड़न बन्द हो सके। अगर इस तरह से

प्रयास हो, तो ऐसा नहीं है कि समस्या का निदान न हो सके क्योंकि यदि इस पर गम्भीरता से विचार न किया गया तो वक्त हमें माफ न करेगा । क्योंकि

वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है ।
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ॥
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कठिन हो ।
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ॥

इन शब्दों के साथ मैं दबे मन से इस बजट का समर्थन करता हूं कि :

न पूंछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर,
कि जब किसी ना-मेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है ।
हमारे सामने जिसने बहारें अन्जुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है ।
यह दुनिया है, यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लालेगिरां कहना ही पड़ता है ।

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट पर उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में जो दिशा दी है उस दिशा में बहुत कुछ सुधार की भी आवश्यकता है । मान्यवर, वित्त मंत्री ने अपने बजट में ११२ करोड़ रुपये दिखाया है ओवर ड्राफ्ट के रूप में जिसमें से २६ करोड़ रुपये के घाटे का बजट उन्होंने दिखाया है । विशेषज्ञों के अनुसार यह कह सकते हैं कि २६ करोड़ रुपये का जो घाटा दिखाया गया है वह अन्ततः बचत में हो जायगा । इसका कारण यह है कि विभिन्न मदों में जो धन-राशि स्वीकृति की गयी है उसको सरकार खर्च करने में सक्षम नहीं रहती है जिसकी वजह से जो मदे, बजट में घाटे के रूप में हैं बाद में बचत के रूप में हो जाती हैं । मान्यवर, अगर विभिन्न मदों में खर्च नहीं किया जाता है और हम प्लानिंग कमीशन से अधिक रुपया मांगना चाहें तो उसको मद्दे नजर रखते हुए वह रुपया हम को नहीं मिल पाता है । इसकी वजह से विकास का काम रुक जाता है ।

दूसरी चीज में यह कहने जा रहा हूं कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया गया था कि सवा छः एकड़ तक की जमीन का लगान माफ किया जायगा । मान्यवर, सवा छः एकड़ तक लगानी माफी के पीछे एक इतिहास है बहुत हो संघर्ष इसके लिए किया गया, हजारों लोग सत्याग्रह करके जेल गये और जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में सवा छः एकड़ तक लगान माफी का वायदा किया । पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री ने ३ १/८ एकड़ लगान माफी किया था । और उस समय मैंने कहा था ३ १/८ एकड़ तक माफ न हो करके सरकार सवा छः एकड़ तक लगान माफ करे । मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्याशंकर]

सवा छः एकड़ तक लगान माफी के पीछे एक सिद्धान्त है। आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, कि जिस प्रकार से दस हजार रुपये तक इनकम टैक्स माफ होता है उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता है वही सिद्धान्त सवा छः एकड़ तक के पीछे भी है क्योंकि सवा छः एकड़ की जोत अलाभकर होती है उनसे कोई लाभ नहीं होता है इसलिए उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। कानून की निगाह में सभी चीजें बराबर होनी चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सवा छः एकड़ तक जिसका जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी वायदा किया गया है और जो सिद्धान्ततः सही चीज है, लगान माफ किया जाय।

मान्यवर, दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि बजट में बहुत सी चीजें कही गयी हैं और उसमें एक नई दिशा दी गई है गांवों की ओर जाने के लिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर बेरोजगार बहुत अधिक है। इस तरह बजट में कोई ठोस चीज नहीं दी गयी है। आज सारे हिन्दुस्तान में ६० लाख, ७० लाख पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं। कालेजों, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में अशान्ति का वातावरण है। उसकी मूल तह में कोई जाना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है। इसके पीछे एक सिद्धान्त है। आप देखिये जो यूनिवर्सिटी स्टेज तक विश्वविद्यालय स्टेज तक, देहात का किसान अपने बच्चों को अपना पेट काटकर, सारे खर्चों मे कमी करके भेजता है ताकि उसका लड़का पढ़ कर निकलेगा और उसे कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा लेकिन देखा यह जाता है कि यूनिवर्सिटी स्टेज तक पढ़ने के बाद सारे विद्यार्थी, नौजवान जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनको अंधकार ही अंधकार नजर आता है तो उनमें एक अभिशाप की भावना पैदा हो जाती है कि इतना खर्च पढ़ाई-लिखाई में करने के बाद हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनके मन में एक निराशा पैदा होती है और वह तरह-तरह के तोड़-फोड़ के कामों में अपने को लगाते हैं। उनका कहना है कि जब सरकार उनको जीवन बसर के लिये कोई साधन नहीं देती है तो उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है।

आज विश्वविद्यालयों में सारे नौजवानों में एक ज्वाला भड़क उठी है। इसके मूल में असल समस्या बेरोजगार की है जिसकी ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। बजट में यह कहा गया है कि गांव की ओर चलो। मैं पूर्वी जिलों की बात कहना चाहता हूं। अगर आप किसी गांव में चले जायं तो वहां आपको मुश्किल से २, ४ अथवा ६ किसान ऐसे मिलेंगे जिनके पास ५ बीघे से लेकर १० बीघे तक खेत बकिया ८० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा अथवा १० बिस्वा के खेत होंगे। जो बड़ी जोत वाले किसान हैं, बड़े फार्म्स जिनके पास हैं उनका विकास तो सुख सुविधा देने से हो जायेगा लेकिन जिनके पास कोई खेत नहीं है, छोटी जोत वाले जो किसान हैं। ज्यादा साधन सुलभ नहीं हैं उनका विकास होना कैसे सम्भव है ?

आज देश के सामने छोटी जोत वाले और बड़ी जोत वालों की समस्या है लेकिन यह सरकार जातपात के आधार पर आरक्षण का मसला देश के सामने खड़ा कर रही है। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूं। संविधान के निर्माताओं ने यह समझकर कि हरिजन तथा अनुसूचित जनजातियां दबी हुई हैं, पिसी हुई हैं उनको १५ साल के लिये संरक्षण देना जरूरी समझा लेकिन उन्होंने इसे स्थायी रूप नहीं दिया, इसलिये उन्होंने केवल १५ साल का ही प्राविधान किया था। लेकिन आज तीस

साल हो चुके हैं तीस साल में देश कितना आगे बढ़ा, कितना विकास यहां किया गया लेकिन उस विष को आज भी फैलाया जा रहा है और वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ण संघर्ष पैदा किया जा रहा है। समाजवादी सिद्धान्तों को मानने वाले लोग गरीब और अमीर की लड़ाई के दरमियान यह सरकार छोटी-छोटी समस्यायें पैदा कर रही है, जात-जात में झगड़े पैदा करना चाहती है। इससे देश व प्रदेश का कोई सामाजिक कल्याण नहीं होगा। ८० फीसदी लोग हमारे देश व प्रदेश में गरीब हैं। तमाम गरीबों की सुख सुविधा के लिये सरकार चिन्तित हो तभी समाज का कल्याण हो सकता है लेकिन ये राजनीतिज्ञ सौदागर अपनी कुर्सी को बचाने के लिये जाति के नाम पर संरक्षण देकर अपना वोट सुरक्षित करना चाहते हैं। एमरजेंसी के दरमियान जब हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग मारे जा रहे थे उस समय राजनीतिज्ञ सौदागरों के दिल में कोई पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई। माडल जेल में जब बड़े-बड़े नेता प्रस्ताव पास कर रहे थे कि एमरजेंसी बहुत अच्छी है, जो काम हो रहा है वह ठीक है। आज वही नेता जनता पार्टी में हरिजनों के नाम पर, गरीबों के नाम पर जात पात के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार एमरजेंसी के दौरान इन्दिरा गांधी की सरकार में हरिजनों तथा गरीबों की दुहाई देकर जो लोग देश पर कहर बरपा कर रहे थे अगर उन्हीं की नकल यह जनता सरकार करेगी तो यह भी इन्दिरा गांधी की तरह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगी। क्योंकि जाति के नाम पर राज्य करना प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा कलंक होगा। इससे न समाज का विकास हो सकता है और न प्रदेश और देश का विकास हो सकता है। मान्यवर, चन्द बातें और कहना चाहता था किन्तु समयाभाव के कारण नहीं कह सकता किन्तु आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर वह विचार करे। हमारी सरकार छोटे-छोटे झगड़ों में न पड़कर जो मुख्य बेरोजगारी और भूमिहीनों की समस्या है उसकी ओर ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के बजट की सामान्य चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, निरन्तर ३ दिनों से इस बजट पर चर्चा चल रही है और बहुत से माननीय सदस्यों के विचार जानने का हमें अवसर मिला। बजट के गुण दोषों के सम्बन्ध में जो चर्चायें हुई हैं उसे भी मैंने सुना। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसे भी मैंने देखा और पढ़ा। विस्तार से जो कहने का मौका आप नहीं देंगे लेकिन संक्षेप में थोड़ा-थोड़ा मैं अपने विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

मान्यवर, जब मैंने बजट पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वित्त मंत्री जी ने उसी तरह से इसमें अपनी प्रशंसा की है जैसे पुराने रीति कालीन कवि राज घरानों की और अपने अन्नदाताओं के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। वे अपने शिवा जी एवं क्षत्रपाल की सराहना करते रहे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि बजट की सराहना करें या मुख्य मंत्री की सराहना करें। इसी प्रकार हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट में खुद अपनी ही सराहना की। जहां तक बजट का सम्बन्ध है विगत वर्ष में जो बजट रखा गया था और उसमें जो आंकड़े दिये गये थे वही आंकड़े उठाकर इसमें रख दिये गये हैं बल्कि उससे भी बढ़ाचढ़ा कर रखे गये हैं, उन्हीं जगहों पर उन्हीं कालमों पर ये आंकड़े रखे गये हैं, उस में और आज के बजट में कोई अन्तर नहीं है। यह बात सही है कि योजना आयोग ने इस वर्ष प्रदेशीय सरकार को कुछ ज्यादा रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इससे बजट का बढ़ना स्वाभाविक है और उतना ही वह बढ़ा है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

[श्री राज किशोर तिवारी]

वित्त मंत्री जी ने संकेत किया है कि १६ प्रतिशत परिव्यय इस वर्ष हम ज्यादा करने की स्थिति में हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि १६ प्रतिशत परिव्यय कोई अधिक नहीं है और वह इसलिये अधिक नहीं है क्योंकि महंगाई भी उसी औसत से लगभग बढ़ा है और साथ ही योजनाओं में काम आने वाले जो साधन हैं उन पर भी इस महंगाई का प्रभाव पड़ा है जैसे सीमेन्ट, लोहा, मजदूरी तथा अन्य चीजें जो भी योजना में लग सकती हैं उनके भावों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार करीब-करीब बजट का संतुलन वही हो जाता है जो विगत साल का था। जब पिछले साल बजट हमारे सामने आया था उसमें भी इसी तरह से कहा गया था कि हम गांवों की ओर बढ़ेंगे किसानों की मदद करेंगे, उन्हें ऊंचा उठायेंगे। लेकिन एक वर्ष बीत गया, हमारी भावना वही है और हमारे सामने जो बैठे हैं, सभी की यही भावना होगी कि एक वर्ष में जो काम होने वाला था या होना चाहिए था वह न के बराबर है। कोई जिला भाग्यवान हो सकता है जो कुछ आगे बढ़ा हो।

मेरे जिले में तो एक छटांक भी मिट्टी सड़क के नाम पर नहीं रखी गई है, नहरों की खुदाई नहीं हुई है, एक भी ट्यूबवेल मेरे जिले में नहीं लगा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे कुछ साथियों ने आपके सम्मुख बताया कि सिंचाई विभाग में करीब एक अरब ९० करोड़ रुपया वापस कर दिया गया है जिससे कोई काम नहीं हुआ। यह हमारे गौरी शंकर जी ने आरोप लगाया है कि यह सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण हुआ है। ऐसी बात नहीं है इसके लिए सरकार का संकेत रहा है कि काम मत करो और थोड़ा सा रुपया खर्च कर दो बाकी वापस कर दो ताकि दूसरे साल के बजट में थोड़ा काम हो जाय और इस प्रदेश के किसानों के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा सके। इसलिए वह रुपया वापस किया गया है। एक वर्ष के अन्दर जितनी भी चीजें देखने को मिली हैं उसमें किसानों के लिए आदर भाव दिखाया गया है और सवा तीन एकड़ तक की लगान माफी की बात कही गई।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है एक छोटा किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं कि उस लगान का उसके लिए कोई महत्व नहीं है, ८, १० सेर फसल की कीमत के बराबर लगान माफ कर देने से उसका बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। उसकी तो किसान परवाह भी नहीं करता है। लेकिन यह एक प्रचार करने के लिए किया गया और उसका ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन जिस लगान को १०, २० रुपये के रूप में जो कांग्रेस सरकार ने प्रपोज किया था और उचित न समझ कर बाद में वापस ले लिया था उसको इस सरकार ने डंडे मार-मार कर वसूल किया। किसान की दुर्दशा की गई जिसके बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं, किसान की बड़ी बेइज्जती की गई। तो यह किसान के साथ इनकी हमदर्दी है। दूसरी तरफ यह कहते हैं कि अभी तक बजट का ४१ प्रतिशत परिव्यय किसानों के हित में होता रहा है और हम ५० प्रतिशत कर रहे हैं। यह एक लुभावना चित्र रखा है ५० प्रतिशत का वह कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है वह ५० प्रतिशत जो है वह ४० प्रतिशत से भी घट कर रह जायेगा।

जहां तक किसानों के हितैषी होने की बात है उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि घाटे को पूरा करने के लिए किसानों पर टैक्स लगाया गया है। इन्होंने खजूर और ताड़ से जो तेल निकलता है उस पर भी टैक्स लगा दिया है। पाम आईल सस्ता होता है। जिसका प्रयोग गरीब लोग

करते हैं । यह दलील देते हैं कि क्योंकि यह सस्ता है इसलिए दूसरे तेलों में उसकी मिलावट हो जाती है । श्रीमन्, यह कितनी हास्यास्पद बात है किसी चीज म मिलावट रोकने के लिए गरीबों के इस्तेमाल होने वाली चीज के दाम बढ़ा दिय जायं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सोने में पीतल की मिलावट होती है इसलिये पीतल के भी दाम बढ़ा दिये जायं । जिसको गरीब अपनी शौक पूरा करने के लिए पहनता है उस पीतल के दाम भी बढ़ा दिये जायेंग तो गरीब पीतल के गहने भी नहीं पहन सकेंगे । तो इससे तो पूंजीपतियों का कल्याण होगा । जब १६ रु० किलो तेल बिकता था तो गरीब इन्हीं तेलों से अपना गुजारा करता था उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है । सिनेमा टिकटों पर भी आपने टैक्स बढ़ा दिया । सिनेमा कौन देखता है । हमारे जो मंत्री हैं या जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके घरों में तो टेलीविजन लगे हुए हैं वह तो सिनेमा देखने के लिए नहीं जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त ।

श्री राज किशोर तिवारी--

डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया, मिट्टी तेल पर टैक्स बढ़ा दिया जिसकी ढिबरी जला कर गरीब लोग रहते हैं । तो क्या यही किसानों की हितैषी सरकार है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि---

'रहब उठाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई'

आप इस प्रदेश को सम्भालने में समर्थ नहीं है । पुलिस के बल पर आप प्रदेश नहीं चला सकते हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । अधिष्ठाता महोदय, आचार्य नरेन्द्र देव और डाक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह मेरे विचार में कोई क्रान्तिकारी बजट तो नहीं है, लेकिन यह बजट सही मायने में पिछले ३० वर्षों में आए बजटों में उत्तम बजट है । विशेष कर ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग धंधों, कृषि के बारे में ध्यान देने की बात पहली बार आई है । लेकिन मैं उसके पूर्व उन योजनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं ।

मान्यवर, आप अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, आप जानते हैं कि किसी भी योजना के बारे में कुछ प्रारम्भिक तौर-तरीके होते हैं । किन्तु इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वित्त मंत्री ने या अन्य बड़े अधिकारी ने अपने घर में बैठकर बजट बना डाला है और उनको कोई प्रारम्भिक ज्ञान नहीं था । किसी योजना के लिए रूट या ग्रास चीज के रूप में रियलस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए । जैसे हमने मद्य-निषेध के बारे में बात कर डाली है, उससे २० करोड़ रुपये का हमारा राजस्व जाएगा । लेकिन हमने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया कि २० करोड़ राजस्व की प्राप्ति हम कहां से करेंगे । मैं कहूंगा जैसे पशु हैं, उसमें डेड कैटेल यूटीलाइजेशन की हमारी कोई स्कीम होनी चाहिए । जो हमारे पशु हैं उनके बारे में ले लें इस देश में २२ करोड़ पशु हैं जिसमें से ४४ लाख मरते हैं और इसमें से एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, किन्तु मरने के बाद कोई सदुपयोग नहीं होता है । उन्हें चील्ह-कौवे प्रायः खा जाते हैं और लाशें इधर उधर पड़ी-सड़ी बर्बाद हुआ करती हैं । जहां किसी प्लानिंग की बात आती है, उनको सबको सोचना चाहिये ।

[श्री राजेश कुमार सिंह]

मैं एक और बात पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कृषि की ओर दिलाना चाहता हूं । आप जानते हैं और इस सम्बन्ध में मैं पिछले कुछ आंकड़े पेश करना चाहत हूं। वर्ष ६१ को वेतन अगर १०० मान लीजिए, तो ६५-६६ में हरियाणा का एरिया ८१, उत्पादन ७२ और उत्पादकता ८९ थी, उत्तर प्रदेश में एरिया ९८, उत्पादन उत्पादकता ९४ थी, फिर भारत को देखें तो उसमें एरिया १०२, उत्पादन १०९ ९२ और और उत्पादकता १०७ थी । उसके बाद वर्ष १९७०-७१ में हरियाणा में एरिया १०३, उत्पादन १०२ और उत्पादकता १६७ थी, जब कि उत्तर प्रदेश में एरिया १०७, उत्पादन १३७, उत्पादकता १२८ थी और भारत में यह एरिया १०८ और उत्पादन १३९ और उत्पादकता १२९ थी । इसको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए क्या किया है ? पिछले सेन्सेस के अनुसार मैं बताना चाहता हूं पहले उत्तर प्रदेश की आबादी ९ करोड़, हरियाणा की १ करोड़ और पंजाब की १.३० करोड़ थी । अब इस जनसंख्या पर आप उद्योग धन्धों का वहां रजिस्ट्रेशन देखें। दिल्ली की ४० लाख जनसंख्या पर ११ हजार उद्योग धन्धों का रजिस्ट्रेशन और पंजाब में ३०,९००, हरियाणा में १०४८० और उत्तर प्रदेश में ३७ हजार ४०० उद्योग धन्धों का रजिस्ट्रेशन है । इस तरह से मोटे तौर पर देखने से उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड उद्योग धन्धों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक मालूम देती है, लेकिन यदि आप इनका औसत देखिये तो यह देहली में २७,५००, पंजाब में २३,१७५ और हरियाणा में १०,४८० उत्तर प्रदेश में ४१५५ ज कर पड़ता है । तो यह हमारे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक स्थिति है ।

आपने इस बार विशेष रूप से ग्रामीण उद्योग धन्धों की बात कही, पिछली बार भी बहुत बात आई । आप ने एनीमल या अन्य पशुओं की प्लानिंग के लिए पैसा दिया । लेकिन व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे कहीं-कहीं उस पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ है । ग्रामीण विकास के लिए एक बात सोचनी होगी । पहले आपको उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराना होगा कि किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग होना चाहिये कहां पर कौन सा रा-मिटीरियल मिलेगा । इसके अतिरिक्त पैसे का सही उपयोग होना चाहिए, देखने की आवश्यकता है । अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी मंशा पूरी नहीं होगी । उसमें ज्वाइंट स्टाक कम्पनी की तरह, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज या कृषि संघ बनाए जायं और सरकार गारन्टी ले कि बनाया हुआ माल बिक सके उसके बेचने के लिए मार्केट बने ।

प्रशासन के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । बहुत से जो नये आई० ए० एस० आते हैं उनको जिला का प्रशासन दे दिया जाता है । जब तक उनको वास्तविक तजुरबा न हो ऐसे लोगों को जिला अधिकारी न बनाया जाय । खास कर पांच नगरों में कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ में पुलिस प्रशासन को जिला प्रशासन से अलग कर देना चाहिए। हमने देखा कि बम्बई, कलकत्ता में जिलाधीश अलग है । पुलिस कमिश्नर अलग है अगर पुलिस में चुस्ती लाना चाहते हैं तो इन पांचों नगरों में नहीं सके तो कम से कम लखनऊ और कानपुर जैसे नगरों में अविलम्ब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।

अब थोड़ा सा आगरे के बारे में चर्चा करूंगा । आगरा जिला में लगभग ६४ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है । ३५५ हजार हेक्टर कृषि भूमि है जिसमें ७२ प्रतिशत पर खेती होती है । लेकिन आश्चर्य है कि सिंचाई क्षेत्र केवल १७९

हजार हेक्टर है, केवल ४० प्रतिशत पर सिंचाई की व्यवस्था है। ६० प्रतिशत पर कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के सम्बन्ध में यह हालत है कि आगरा मे ७६२ किलोमीटर सड़कें हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। बम्बई प्लान के अनुसार कम से कम १ हजार ७५ किलोमीटर सड़क बननी चाहिए। लेकिन नहीं बनी।

अब आगरे के उद्योग धंधों के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। आगरा जिले में खास कर फीरोजाबाद और टूंडला जैसे क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने चाहिए। वहां कांच का उद्योग, पशुपालन का उद्योग, बुनाई का उद्योग, दरी का उद्योग लगाये जा सकते हैं। इन पर अधिक से अधिक पैसा लगाया जाय। उसी से अधिक विकास हो सकता है।

आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। विश्वविख्यात ताजमहल को देखने के लिए हजारों लाखों लोग विदेशों से आते हैं। लेकिन वहां सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है। साथ ही साथ डी० एल० पी० की बसें दिल्ली से आती हैं। वहां के कुटीर उद्योगों को, जूते का उद्योग, मारबिल का उद्योग, होटल का उद्योग को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिस तरह से विदेशी पर्यटकों को अवैध रूप से ला रहे हैं, उद्योग धन्धों को नष्ट कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं प्रशासन के बारे में, खासकर डकैतों, चोरों, बदमाशों का बड़ा आतंक टूंडला में हो रहा है। आये दिन डकैतियां होती हैं। मैं खास कर कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार मुख्य मन्त्री के रुख से ही चलती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

श्री राजेश कुमार सिंह—

तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो यह चीजें बढ़ रही हैं उनको समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाये जायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वर्ष १९७८–७९ के बजट का समर्थन करने के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह बजट देखने में ग्रामोन्मुख मालूम होता है। यह पिछले बजट को देखने से मालूम होता है कि यह जो सरकार है और उसकी योजनाएं हैं, उनसे हम ग्रामों की ओर नहीं चल सकेंगे। मन्त्रीगण चाहे जितना हल्ला करें लेकिन जो कर्मचारीगण हैं और जो अधिकारी हैं वह उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जो धन गांवों के विकास के लिए डाइरेक्टर पंचायत राज को खर्च करना चाहिये था, उन्होंने खर्च नहीं किया और उसमें उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली और मंत्री जी को अंधकार में रखा। सच बात तो यह है कि जो धन खर्च करना चाहिये था, वह खर्च नहीं किया गया। आखिर वह धन क्यों खर्च नहीं किया गया? मैं यह जानना चाहता हूं। यह केवल विभाग की उदासीनता है।

[श्री बाबू राम वर्मा]

आपके अधिकारी आपको गांव की ओर जाने से रोक रहे हैं। सरकार को गांवों की ओर जाने के लिए एक बात पर सोचना पड़ेगा कि हर विभाग के अधिकारीगण यह समझते हैं कि बिना हमारी सहायता के यह सरकार नहीं चल सकती है, यह भावना उनके अन्दर है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह भावना उनमें रहेगी हमारी सरकार गांव की ओर नहीं जा सकती है। अधिकारी शहर के रहने वाले होते हैं और गांव की परिस्थितियों से बिल्कुल अपरिचित हैं। यह सोचते हैं कि अगर हमारा ट्रान्सफर हो भी जायेगा तो हमारी सुविधायें तो बनी ही रहेंगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी ५० साल से ऊपर हो गये हैं, उनका रिटायरमेन्ट कर दिया जाना चाहिए और उनके स्थान पर नये नये लोगों को रखना चाहिये और जब वे नये लोग आयेंगे तो गति आवेगी और वह गति गांव की ओर हमें ले जायेगी। बेकारी की समस्या है वह हल की जा सकती है अगर इन अधिकारियों और कर्मचारियोंको ५० साल में रिटायर कर दिया जाता है। उनको रखना एक प्रकार से विडम्बना है। जब यही अधिकारी रिटायर होंगे और शहर की सड़कों पर जायें तो पता चल जायेगा कि इनकी कितनी बुद्धि है। जो पुलिस के अधिकारी जनता पर अत्याचार आपातकाल में किये हैं वह किसी दूसरी जगह पर नहीं भेजे जायेंगे तब तक उनका अन्याय करना बन्द नहीं होगा और उसमें सुधार भी नहीं होगा। अगर यह सरकार इमानदारी के साथ गांव के विकास को करना चाहती है तो नौकरशाही जो रोड़ा बनी हुई है उसमें व्यापक सुधार लाना होगा। डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने भूमि सेनी बनाकर जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने का नारा दिया था। बजट भूमि के सेना के गठन का प्राविधान है। भूमि सेना के गठन के बाद अगर इसको ईमानदारी के साथ निभाया जाये तो जो बेकार भूमि पड़ी है वह उपजाउ हो सकती है और इससे प्रदेश में नयी क्रान्ति आयेगी। इसके साथ ही साथ आप शिक्षा विभाग को लें।

मान्यवर, हमारे गांव बिगड़ते चले जा रहे हैं, वहां पर जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें किसी में भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अध्यापकगण स्कूलों से गायब रहते हैं। विद्यार्थियों के बैठने के लिए टाट पट्टी और अध्यापकों के लिए कुर्सी और मेज की कोई व्यवस्था नहीं है। वे बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि इन स्कूलों में गर्मी हो तो छुट्टी, बरसात हो तो छुट्टी और सरदी के मौसम में यदि बदली छा जाय तो छुट्टी। इस प्रकार से गांवों में शिक्षा का मखौल उड़ाया जा रहा है। अब मैं गांवों में मिडिल स्कूलों और प्राइमरी की बात लेता हूं। उनमें जो अध्यापकगण हैं वे उतनी ही तनख्वाह पाते हैं जितने की शहरों में बाल विद्या मन्दिर के अध्यापक लोग वेतन पाते हैं लेकिन इन कालेजों के अध्यापक ठीक समय से जाते हैं, ठीक ढंग से पढ़ाई करते हैं। वही तनख्वाह पाने वाले हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के अध्यापक महीने में १५-१५ दिन गायब रहते हैं। इसके लिए सरकार को कोई नयी नीति बनानी चाहिए भले ही इन अध्यापकों को घर बार के दूसरी जगहों पर ट्रान्सफर करना पड़े।

जब तक गांवों में प्राइमरी शिक्षा को गतिशील नहीं बनाया जायेगा तब तक गांवों का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु विशेष धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी अध्यापकों के लिए मेज कुर्सी की जब तक व्यवस्था नहीं होगी गांवों का विकास कतई नहीं होगा क्योंकि गांवों का कोई बच्चा आज शिक्षित नहीं हो रहा है।

एक सुझाव, मान्यवर, आपके माध्यम से इस सचिवालय के कर्मचारियों के बारे में देना चाहता हूं । अखबारों में पढ़ा होगा कि माननीय राज्यमन्त्री का शैडो मार डाला गया, उसे गोली मारी गयी । सभी मंत्रियों के पीछे एक एक शैडो रहता है लेकिन उनके निवास की कोई व्यवस्था नहीं है । वह १२ बजे रात्रि तक मंत्री जी के पीछे लगा रहता है और जब उसकी एक बजे रात्रि में छुट्टी हो जाय तो वह जाय कहां । मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि अगर मंत्रियों को शैडो देने ही हैं तो उनके रहने के स्थान की भी उनके ही बंगले में या उसके नजदीक व्यवस्था होनी चाहिए, भले ही किसी प्रकार से हो । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं चाहूंगा कि मंत्रियों को साधारण नागरिक की हैसियत से शैडो को हटा देना चाहिए क्योंकि वे भी जन प्रतिनिधि हैं ।

इसके अलावा आप कृषि विभाग को ले लें । यह नियोजन विभाग के अन्दर करता है । जब तक कृषि विभाग को आप स्वतंत्र अस्तित्व कायम नहीं करते हैं तब तक कृषि में विकास नहीं हो सकता है । आज इस विभाग की जो दुर्गति है उसका मूल कारण यह है कि जो जिला विकास अधिकारी हैं उनके रहने से विकास नहीं हो पा रहा है । खेती का विकास करने के लिए गांवों में कोई अलग से आदमी होना चाहिए क्योंकि ग्राम सेवक के पास भी बहुत काम रहते हैं । देखने में आता है कि गांव के बारे में ५–५ आदमी आंकड़े देते हैं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि जो आरक्षण की बात करते हैं, डाक्टर लोहिया ने सवा ६ एकड़ पर लगान माफी और पिछड़े लोगों को ६० प्रतिशत की आरक्षण की बात कही थी, जो लोग इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं ये जाति संघर्ष पैदा करना चाहते हैं । वे लोग देश में जातिवाद की लड़ाई करवा रहे हैं । उनसे सरकार को सावधान रहना पड़ेगा । अगर सरकार सावधान नहीं रहेगी तो चंद आरक्षण के विरुद्ध लोग देश के अन्दर तहलका मचा देंगे । यह लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर हुआ क्या ? चन्द लड़के आरक्षण के विरोध में, जो लड़के पढ़ते हैं, उनको कक्षाओं से निकालते हैं, शीशा तोड़ते हैं, नारा लगाया जाता है परन्तु लड़कों की तीन दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई । आरक्षण के बारे में मोटे–मोटे अच्छरों में छप कर यह बात पैदा कर रहे हैं । अखबारों में वह चीज निकालते हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं । इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)––

अधिष्ठाता महोदय, विधान सभा में कुछ अराजक लोग प्रवेश किए, पुलिस में भगदड़ मची, उनको कस्टडी में लिया गया । उस समय हम लोग थे, जब कुछ अराजक लोग विधान सभा में प्रवेश कर रहे थे, जिनको पुलिस को दौड़ कर पकड़ना पड़ा ।

श्री अधिष्ठाता––

आपने सूचना दे दी, मैं अभी जानकारी कराऊंगा । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि नई–नई बातें कहें वही घिसी–पिटी बातें न कहें ।

श्री मुन्नूराम (जिला बलिया)––

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है इस प्रकार का बजट पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में कभी भी नहीं रखा । इस बजट में आप देखें कि ७५ प्रतिशत बिजली, सिंचाई और कृषि विकास पर खर्च करने का प्राविधान किया गया है ।

बाबा राम आधार यादव (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो यह व्यवस्था की है कि माननीय सदस्य नई-बात कहें, वही घिसी-पिटी बातें न कहें, यह बात लिखी न जाय। आप कोई बंधन थोड़ी लगा सकते हैं कि घिसी पिटी बातें न कही जायं। यह आपको कहने का अधिकार नहीं प्राप्त है।

श्री अधिष्ठाता---

मेरा कहने का मतलब यह है कि जो माननीय सदस्य एक बार अपनी कोई बात कह चुके हैं, उसको बार-बार न कहें, नई बातें कहें।

बाबा राम आधार यादव---

जो आपने व्यवस्था दी है, मैं आपसे बार-बार बतलाना चाहता हूं, यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पति यादव---

एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् माननीय सदस्य को हिन्दी भाषा में अपना विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। क्या माननीय अधिष्ठाता महोदय को माननीय सदस्यों के बोलने में कोई बंधन लगाने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता---

हम माननीय सदस्यों को सलाह दे रहे हैं, बंधन नहीं लगा रहे हैं, वह हमारा अधिकार है।

*श्री मन्नूराम---

मान्यवर, मैं बता रहा था, वैसे हमें समय कम देंगें, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात कह कर जल्द ही अपना भाषण समाप्त करूंगा बलिया में पटेल आयोग लागू करने की रिपोर्ट आई। ४-५ साल पहले शासन में यह रिपोर्ट आई, लेकिन वह लागू नहीं की गई। उसके न लागू करने के कारण हमारे यहां हर प्रकार की प्रगति रुकी रही। यह पूर्वांचल की बात है, केवल बलिया की बात नहीं है। मान्यवर, मिल्क प्लान्ट की जहां तक बात है, जहां तक शान्ति व्यवस्था की बात है, जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, मैं इस पर अपना सुझाव रखना चाहता हूं। ऐसी सरकार जनता पार्टी की सराहनीय नीतियों की वजह से जो शांति व्यवस्था में सुधार हुआ है १५ दिसम्बर, १९७७ तक डकैती में ८·६ प्रतिशत, लूट में ८·१ प्रतिशत, बलवे में १६·८ प्रतिशत, नकबजनी में १९·८ प्रतिशत और हस्तक्षेपीय अपराधों में ११·३ प्रतिशत की कमी आई है। इस तरह से सरकार ने शांति व्यवस्था का सराहनीय कार्य किया। लेकिन मेरा अपना सुझाव है कि जो गांव में अपराध हो रहे हैं ये जो तरह-तरह के लोग गांवों में बावेला मचा रहे हैं उनके लिए माननीय चौधरी चरण सिंह के जमाने में गुंडा ऐक्ट लागू हुआ था। उसे लागू किया जाय। उसे लागू करने पर जितने गुंडे हैं वह समाप्त होंगे ही, साथ ही यह भी होगा कि बहुत से लोग निरपराध भी कुचल दिये जायेंगे। इसलिए मेरा अपना सुझाव यह है कि उसके लिए आप सी०आई०डी०, सी०बी०आई० से रिपोर्ट लेंगे, क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों से, विधायकों से, एम०पीज० और एम०एल०एज० से रिपोर्ट लेंगे और छान-बीन करके यह अभियान लागू करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौथी चीज यह है कि अधिकारीगण अपनी बातों को रखने के लिए वहां लोगों को तरह-तरह के अभियोगों में फंसा देते ह । अगर इस तरह की बात होती है तो उनको भी कठोरता से दंडित किया जाय ।

आपके बजट में जो प्रस्तुत हुआ, हरिजन और समाज-कल्याण पर जो खर्चा दिखाया गया है वह बहुत कम है । मेरा अपना निवेदन है कि इसको बढ़ा द । यही नहीं, आप देखेंगे कि सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि हरिजनों पर अगर कोई अत्याचार होता है तो उनको ५ हजार से हजार रुपये तक दिये जायेंगे । मेरा अनुरोध है कि इसको बढ़ा करके १० हजार से २ हजार करें । यही नहीं, इसमें दिया गया है कि ३ वर्ष के अन्दर ५ करोड़ हरिजनों के लिए पेय जल पर खर्च होंगे । मेरा अनुरोध है कि यह कम है इसको बढ़ा करके कुछ और अधिक करें। और मकानों के लिए कहा गया है कि हरिजनों के लिए ३०० घर बनाये जायेंगे हर जिले में । मेरा अनुरोध है कि कम से कम १ हजार घर तक बनाये जायं ताकि उनको कुछ डेवलपमेंट मिले। इस तरह से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री संगम लाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में कोरम नहीं है और कार्यवाही चल रही है ।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है । संगम लाल जी, आप बैठें ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मुझे कब समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

मान सिंह जी, मैं इस तरह कभी प्रभावित नहीं होता ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)---

हम तीन हो गये हैं, श्रीमन् ...

श्री अधिष्ठाता--

आपके विरोधी पक्ष के लोग नहीं थे, सत्ता पक्ष के लोग आपका समय ले रहे हैं । अब आप आये हैं, आपको भी समय मिलेगा यदि बोलना चाहेंगे ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव---

व्यवस्था का प्रश्न है । संसदीय परम्परा यही रही है कि अध्यक्ष महोदय की दृष्टि जिस माननीय सदस्य पर पहले पड़ती है उसी को वे बुलाते हैं, पहले से कोई कमिटमेंट नहीं करते कि अगली बार आपको बुलाया जायेगा । तो क्या अध्यक्ष की तरफ से कोई इस तरह का कमिटमेन्ट किया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह मेरा विवेक है, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, बुलाऊंगा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

हमें समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें ।

श्री संगमलाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से यह हाय तोबा मचाई जा रही है कि सरकार लड़खड़ा रही है, अब गयी, तब गयी, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि नौकरशाही इस इन्तजार में है कि कब सरकार जाये और हम पुराने ढर्रे पर चलें । मैं मान्यवर, बतलाना चाहता हूं कि लड़खड़ाहट दो तरह की होती है-एक तो बूढ़ों की होती है और दूसरे बच्चों की होती है । बूढ़ा जब लड़खड़ाता है तो वह कुबरी का सहारा लेता है, उसके बाद कुछ दिन वह बिस्तर पर पड़ा रहता है, फिर धीरे-धीरे दम तोड़ देता है । बच्चा जब लड़खड़ाता है तो कभी अपनी मां का आंचल पकड़ कर चलता है फिर कुछ जान आती है तो दीवार के सहारा लेता है, फिर कुछ जान आती है तो अपने आप चलने की कोशिश करता है और एक दिन अच्छी तरह से चलने योग्य बन जाता है : कांग्रेस का लड़खड़ाना बूढ़ों के लड़खड़ाने की तरह है । इस चुनाव के बाद ही वह दो हिस्सों में बंट गयी । अब यह कांग्रेस दम तोड़ रही है । हम इस चीज को स्वीकार करते है कि जनता पार्टी की सरकार भी लड़खड़ा रही है, मगर उसका लड़खड़ाहट उसी बच्चे की तरह से है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

पंगु बच्चे की तरह से ।

श्री संगम लाल—

कुछ दिनों में यह लड़खड़ाहट अपने आप दूर हो जायेगी । और यह सरकार फिर मजबूती के साथ चलेगी । इस भ्रम में आज कोई न रहे कि यह सरकार जा रही है जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही रहेगी और यह लोग मुंह देखते रह जायेंगे ।

बजट के दौरान आरक्षण की बात कही गयी । काफी लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी भी की । जो लोग डाक्टर लोहिया के बताये रास्ते पर पिछले ३० सालों से चलते आ रहे थे उन लोगों ने भी आरक्षण का विरोध किया । मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण सही है, पर एक बात जरूर कहूंगा कि प्रोन्नति में प्रोमोशन में, आरक्षण नहीं होना चाहिये । प्रोन्नति में आरक्षण होने से यह होता है कि जो लोग २-२, ३-३ एडवर्स एन्ट्री पाये हुये होते हैं वे भी प्रोमोशन पा जाते हैं, किन्तु जो लोग ईमानदारी और अधिक कुशलता से काम करते है वे उससे वंचित रह जाते हैं जिसके कारण उनमें ईमानदारी से काम करने की भावना जाती रहती है । उनके मन में सन्देह की भावना बनी रहती है । वे सोचते हैं कि हमारा प्रोमोशन तो होने वाला है नहीं, हम ईमानदारी के काम क्यों करें । इसलिये प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिये ।

दूसरे, जो आरक्षण तकनीकी मामलों में होता है जैसे डाक्टरी पेशा है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें भी अगर आरक्षण न किया जाय तो ज्यादा बेहतर है। इस बात को मैं इसलिये कहता हूं कि मान लीजिये कि डाक्टरी पेशे में किसी कम समझदार, कम पढ़े लिखे आदमी को नियुक्त कर दिया जाय तो नतीजा यह होगा कि जितने भी उनके मरीज आयेंगे वह काल कवलित हो जायेंगे। तो मेरे आरक्षण के सम्बन्ध में दो सुझाव हैं एक यह है कि प्रोन्नति के मामले में आरक्षण न किया जाय और तकनीकी मामलों में आरक्षण कतई, हरगिज–हरगिज न किया जाय।

अब मैं प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में थोड़ी बातें कहना चाहता हूं। पिछले दिनों विधान मन्डल दल की बैठक में विचार आया और हम लोगों को लिखते रहे, लेकिन लगता है उस पर कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई। हमारे जिले में एक ट्रैक्टर का कारखाना खोला जाने वाला था, आटो ट्रैक्टर लिमिटेड। समूचे हिन्दुस्तान से बड़े–बड़े उद्योगों से ४०–४२ के करीब इंजीनियर जिनको २०–२२–१८ सालों का एक्सपीरियेंस, अनुभव है वह बड़े–बड़े उद्योगों से लिये गये, इस कारखाने के लिये। ६०–८० लाख रुपया भी इस पर खर्च हो चुका है। तमाम कमरे अफसरों के रहने के लिये बन चुके हैं। ११० एकड़ जमीन ली गयी है और उसका मुआवजा दे दिया गया है। लेकिन कारखाना अधर में लटका है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से सोचें और जैसे तमाम सदस्यों ने कहा है कि प्रतापगढ़ पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला है, यद्यपि वहां के राजा रानी मंत्री हुआ करते थे केन्द्र में और यहां भी लेकिन प्रतापगढ़ की तरक्की नहीं हो पायी है अब तक। जो काम शुरू हो चुका है आप उसको रोक देना चाहते हैं तो जनता पार्टी के नाम पर यह कलंक होगा। हम लोग कोई जवाब नहीं दे पायेंगे जनता को।

अपने जिले की एक दूसरी समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पिछले सत्र में भी मैंने इसको उठाया था। हमारा जिला छोटा है और उस छोटे से जिले में ६, ७ नदियां हैं यह नदियां इतनी टढ़ी–मेढ़ी बहती हैं कि ४–५ मील जाकर उसी बिन्दु पर फिर आ जाती हैं। कहीं–कहीं तो ४, ४ मील जाकर फिर उसी जगह पर आकर मिल गयी हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सारी उपजाऊ जमीन उबड़ खाबड़ हो गयी है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती। जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है और कंकड़ रह जाते हैं। पिछले सत्र में भी कहा गया कि इन नदियों के लिये कोई योजना बनाई जाय और इन नदियों को सीधा कर दिया जाय ताकि जो जमीन खराब होती है उनकी सुरक्षा हो सके और उस पर खेती हो सके और प्रतापगढ़ जो भुखमरी का शिकार हुआ करता है वह उससे बच सके।

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में एक बात मैं कह देना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां पर एक ब्लाक है, मान्धाता ब्लाक। जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि हर १५ सौ आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ दिया जायगा। लेकिन मान्धाता ब्लाक मुख्यालय सड़क से नहीं जुड़ा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी सड़कें जो बड़े–बड़े शहरों को जोड़ रहीं हैं, जिला मुख्यालय को, उनको तरजीह दी जाय और तत्काल उनको बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री संगम लाल—

मैं एक मिनट में कहकर अपनी बात खत्म करूंगा । प्रतापगढ़ में सीवरेज सिस्टम नहीं है । खुले में वहां पर नालियां बहती हैं । नतीजा यह होता है कि मच्छरों का भयंकर प्रकोप वहां पर है । कोई भी इंसान सो नहीं सकता है । संक्रामक रोग ज्यादा फैलते हैं । इस सम्बन्ध में योजना पिछले २ साल से खटाई में पड़ी है । मैं चाहूंगा कि इस योजना का कार्यान्वयन जल्दी से हो ताकि प्रतापगढ़ के निवासियों को राहत मिल सके ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट २२ मार्च को प्रस्तुत किया है वह आकार, प्रकार और कलर में तो बड़ा लुभावना है क्योंकि बिला चक्के का बजट भागता हुआ गांव में जायेगा । मान्यवर, किसलिये गांव में जायेगा इसलिये कि सिंचाई की सुविधा बढ़े, उद्योग, लघु उद्योग खुले, ज्यादा उत्पादन हो और विद्युत की समस्या हल हो तथा अन्य तमाम बातें बजट में जोड़ी गई हैं । यह भी कहा गया है कि हरिजन, कमजोर वर्ग की हर प्रकार से रक्षा और आर्थिक संकट से उनको बचाया जायेगा । जिस तरह से गांव की स्थिति को सुधारने की बात की जा रही है उस तरह से मालूम होता है कि गांव में कमजोर वर्ग इस लुभावने बजट से हराभरा हो जायेगा । दिघे जी, वित्त मन्त्री समाजवादी खेमे के हैं और भतपूर्व मुख्य मन्त्री तिवारी जी भी समाजवादी खेमे के थे । दिघे जी को मालूम नहीं है कि इन साधनों का उपभोग क्या पूंजीवादी भू-स्वामी जिनके पास जमीन अधिक हैं उनको नहीं मिलेगा । क्या ७५ फीसदी जिनके पास ३ १/८ एकड़ जमीन है और करीब ५८ लाख खेतिहर मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा ? मैं समझता हूं कि नहीं मिलेगा । मन्त्री जी भले कहें ।

मान्यवर, प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन के बारे में हमारे वित्त मन्त्री ने कहा है कि ३० वर्ष के शासन में हमेशा जो पैसा मिलता रहा उसको आवंटित करने में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया यानि सौतेला व्यवहार किया गया । यह आपने ही नहीं कहा बल्कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के जमाने से यह बातें कही जा रही हैं । यदि अधिक धन बजट में रखा जाय तो क्या मन्त्री जी और हमारी यह सरकार जो समाजवादी अपने को कहती है इस बात पर गौर करेगी कि अधिक धन खर्च करने के बाद गरीबी दूर हो जायेगी । दुनियां में जहां पूंजीवादी व्यवस्था है वहां अमीर और अमीर होता जाता है तथा गरीब और गरीब होता जाता है । इसका कारण यह है कि शासन साधन सम्पन्न और खुशहाल लोगों के हाथ में होते हैं क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर उनका सम्बन्ध सरकार से होता है और सरकार के ऊपर उनकी साया होती है । इसी तरह गरीब, बेरोजगार, पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर चाहे जितनी ही दौलत गांव की ओर झोंक दें लेकिन, पूंजीवादी भू-स्वामी व्यवस्था के अन्दर जो गरीब है वह और गरीब होता जायेगा तथा गरीबी को कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती है वह दुर्व्यवस्था बराबर बनी रहेगी । कृषि, बिजली तथा अन्य जो साधन आप देते जा रहे हैं उनसे फायदा उन्हें होगा जो ३० साल से नाजायज फायदा लेते रहे और शासन की नीतियों में परिवर्तन नहीं होने दिया ।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने बजट पर अधिकारियों पर चार्ज लगाये तो मालूम पड़ता है कि जो गाड़ी गांव की ओर जा रही है . .

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसको सारे सचिवालय के अधिकारी पकड़े हुए हैं। मान्यवर, उनका दोष नहीं है। दोष तो आपकी नीतियों का है। ऐसी अवस्था में आप देखें कि ७० प्रतिशत जो गांव में ३ १/८ के जोतदार हैं उनको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपकी गांव की ओर चलने वाली योजना खटाई में मिल जायगी। जैसे भूतपूर्व सरकार चाहे नारायण दत्त की रही हो या किसी और की वह भी इसी नारे को देती रही। आज आप भी वही बात करते हैं। लेकिन ७० फीसदी जो गरीब हैं उसकी गरीबी कैसे मिटेगी तब तक कि जो बड़े भू-स्वामी हैं, पूंजीवादी भू-स्वामी हैं उनसे जमीन लेकर उन कमजोर और खेतिहर मजदूरों को न दें जो कि अपने हाथ से काम करते हैं। इतना ही नहीं, आप देखें बढ़ा हुआ कर भार। आप कहते हैं कि कर भार नहीं बढ़ेगा। लेकिन डीजल पर ८ प्रतिशत से १२ प्रतिशत, ट्रैक्टर की ट्राली पर कर बढ़ाया, मोटरों पर जिसमें किसान का माल ढोया जाता है उन पर बढ़ाया लगान तो बढ़ा ही दिया।

हमारे उधर के साथी बार-बार लोहिया जी का नाम लेते हैं। लेकिन बड़े-बड़े भू-स्वामियों पर कर का बोझ न लाद कर गरीबों पर आपने लाद दिया। मैं जनसंघ और आर० एस० एस० की बात नहीं करता लेकिन जो लोग अपने को समाजवादी खेमे का कहते हैं उन्होंने कसम खायी थी कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ करेंगे। वह कसम कहां गयी। एक साहब ने कहा कि अधिकारी गांव की तरफ नहीं जाने देते। मैं कहता हूं कि हमारे मंत्रीगण और हम ए० एल० ए० लोगों का ही ध्यान उधर गांव की तरफ जा रहा है। गन्ने की ही बात लें। ज्यादातर लफ्फाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इस गन्ने के क्राइसिस पर भूतपूर्व सरकार के माननीय सदस्य इतनी लम्बी लफ्फाजी कर रहे हैं। नारायण दत्त की पार्टी के लोग इस पर ज्यादा लफ्फाजी कर रहे हैं। जब वह शासन में थे तो डिमान्ड की गयी कि किन उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए मगर उसको अनसुना कर दिया गया। वही आज हमारे सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं जो कि कभी राष्ट्रीयकरण की बात किया करते थे। आज वह उस बात को भूल गये आप भी तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। इस बजट को देखें। मालूम होता है कि प्रदेश में बड़ी अशांति और अराजकता है जैसे कोई गृह युद्ध फैल गया है। प्रशासन पर ज्यादा दौलत खर्च कर रहे हैं जो कि भूतपूर्व सरकार भी करती थी। पुलिस बजट को देखते हुये बड़ा क्षोभ होता है। मालूम होता है कि तानाशाही, अधिनायकवादी तानाशाही आप भी ला रहे हैं ...

आप देखें, मान्यवर, आप तो कम से कम समाजवादी हैं। आपको पुलिस की ज्यादा जरूरत है? कांग्रेस ने १९७१-७२ में २७.४६ करोड़ का बजट पुलिस पर रखा था। लेकिन आज जो हमारी समाजवादी सरकार है, जो डाक्टर लोहिया के दल के लोग बैठे हैं, उसमें पुलिस बजट पर १९७८-७९ में ७३.४९ करोड़ का बजट रखा गया है। गाली देंगे सचिवों को कि वे गांव की तरफ नहीं ले जायेंगे लेकिन आप गांव की तरफ जाने का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आप मदांध हो गये हैं। मुझे दुख है कि मैं ही एक ऐसा सदस्य हूं जो पिछली तानाशाही सरकार को याद करता हूं, नारायण दत्त तिवारी की अधिनायकवादी सरकार को याद करता हूं। दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या यह आपकी समाजवादी सरकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रही है? पुलिस बजट और कारागार बजट तो बढ़ा दिया

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

लेकिन आज भी कारागार में लैट्रीन नहीं है। हमारे मंत्री जी तो जेल में रह चुके हैं। तो आप भी उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो जो गांव की तरफ जाने का बजट है, वह केवल भुलावे का बजट है। जिस तरह से इन्दिरा और नारायण दत्त तिवारी की अधिनायकवादी सरकार ने हरिजनों के लिये तमाम बातें रखीं, लेकिन काम कुछ नहीं किया उस तरफ उसी तरह से मैं बता देना चाहता हूं कि यह सरकार भी जाति-बिरादरी के आधार पर प्रदेश में शासन चलाना चाहती है। आरक्षण की बात देश और प्रदेश के लिये बिलकुल अहितकर साबित होगी।

आपकी समाजवादी सरकार पर भी इस आरक्षण को करके वही चार्ज लगेगा, जो इन्दिरा सरकार पर हरिजनों के बारे में झूठा वायदा करने का चार्ज लगा था। जैसे इन्दिरा और नारायण दत्त तिवारी की सरकार हरिजनवाद का नारा देकर भी उनको कुछ नहीं दे पायीं, उसी तरह से आज भी आरक्षण की बात करके आप समाज को कुछ नहीं दे पायेंगे। उसके अलावा जातियों का बंटवारा करके इस प्रदेश की जो दुर्गति होगी और इस प्रदेश की दुर्दशा करवायेंगे, उसके बारे में वर्णन नहीं नहीं किया जा सकता। ऐसी दुर्दशा प्रदेश की होने जा रही है, मान्यवर, जैसी कि बिहार में हो रही है। इस बजट में पूंजीवादी भू-स्वामियों के हित का ही ध्यान रखा गया है, गरीबों के लिये कुछ नहीं। आपको ५६ लाख खेतिहर मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा। ३ १/८ तक लगान तो साफ कर दिया लेकिन छः-छः एकड़ तक वालों का भी लगान साफ होना चाहिये और गन्ने की क्राइसेस समाप्त होना चाहिये।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुग्रहीत हूं कि मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया। मान्यवर, पिछली सरकार ने कुछ..

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मुझको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

*बाबा राम अधार यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को न तो गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने के अवसर मिला और न इसमें बोलने का अवसर मिल रहा है। जबकि जो लोग दो-दो बार बोल चुके हैं और जिनको हम मानते हैं कि वे बोल चुके हैं, उनको बोलने के अवसर दिया जा रहा है। तो आप मान्यवर, समझ लें कि इस तरह से कैसे काम होगा? आखिर हम लोग यहां किस लिए आते हैं। कई बार खड़े हुये, लेकिन हमको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। एक मर्तबा भी बोलने का अवसर नहीं मिला जबकि कुछ लोग दो-दो बार बोल चुके हैं और उन्हें फिर भी बोलने का मौका दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

रामरति जी, क्या आप सामान्य विवाद में भाग ले चुकी है?

श्रीमती रामरति देवी—

मान्यवर, मेरा अनुरोध था....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं मालूम करना चाहता हूं कि अगर आप एक बार भाग ले चुकी हैं तो मुझको माफी दीजिए। मैं लिस्ट में नाम देखे लेता हूं। आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलीं। इस पर आप दुबारा बोल रही हैं। आप बैठिये, दो दफे नहीं बोलना होगा। आप बैठें।

श्रीमती रामरति देवी—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य।

श्री अध्यक्ष—

एक मरतबा आपने विवाद में भाग लिया है। यह अत्यन्त अनुचित है।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभरी हूं कि मुझे इस बजट पर आप ने बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, उधर के भाषण को जब मैं सुनता हूं और अभी एक माननीय सदस्य का भाषण हो रहा था तो बड़ा अफसोस होता है। सरकार हमारी इतना कर रही है जितना कभी २० साल में....।

एक सदस्य—

अध्यक्ष जी, मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने रूलिंग दी कि जो माननीय सदस्य गवर्नर के अभिभाषण में बोल चुके हैं (व्यवधान) तो इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। माननीय सदस्य भी बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

लक्खी सिंह बजट पर नहीं बोले हैं।

श्री लक्खी सिंह—

राज्यपाल के भाषण पर बोला हूं। श्रीमन्, मेरी भूमिका भुला दी इन्होंने। इनकी आदत खड़े होने की और शोर मचाने की है।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिए लक्खी सिंह जी।

श्री लक्खी सिंह—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि उधर के लोग अनर्गल बात कहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि विरोधी दल के लोग सरकार का विरोध न करें लेकिन ये लकुवा मार क्या विरोध करेंगे जिनको विरोध करना नहीं आता। हम खूब विरोध करते हैं अपनी सरकार का। जो आप का काम है उसको नहीं छोड़ते। फिर भी ये अनर्गल बात करते हैं बिल्कुल असम्भव बात कहते हैं। एक बात जरूर है "गरजने वाले बादल बरसते नहीं"। इन्दिरा जी ३० साल गरजती रहीं, कुछ हुआ ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्खी सिंह]

यह पुस्तिका है। पुस्तिका में मथुरा और आगरे की बाढ़ के बारे में बताया गया है। मेरी सरकार को ज्ञात है कि वहां बाढ़ नहीं आती है भूचाल आता है जिससे मथुरा जिले के गरीब किसान बरबाद हो गए हैं, बिल्कुल तबाह हो गए हैं और अगर इस सरकार ने बरसात से पहले बाढ़ का समाधान नहीं किया तो मैं अध्यक्ष जी आप को विश्वास दिलाता हूं कि उन गांवों के लोग ५०-६० प्रतिशत लोग गांवों को छोड़कर हरियाणा या राजस्थान भाग जायेंगे। श्रीमन्, मेरे जिले की दो तहसीलों में बड़े-बड़े गांव हैं जिनकी आबादी पांच हजार, छः हजार, सात हजार, आठ हजार तक की है। सरकार से रोते-रोते मुझे इतना समय हो गया। ३० साल से रो रहा हूं। सन् ४७, १५ अगस्त को यह सरकार बनी तब से रोते-रोते खीझ गया हूं लेकिन अपनी सरकार से कहूंगा, स्वास्थ्य मन्त्री से कहूंगा कि कुम्भकर्ण की जैसी नींद नहीं सोइये नहीं तो हम तो मरेंगे ही, बचेगी, यह सरकार भी नहीं।

श्री श्याम धर मिश्र—

अभी थोड़ी देर रोते रहिये।

श्री लक्खी सिंह—

श्रीमन्, ६-७ हजार जनसंख्या वाले गांव मेरे जिले में लगभग दो सौ होंगे...जब वहां बाढ़ आती है तो उसकी वजह से बीमारी फैलती है क्योंकि वहां डाक्टर, दवा अथवा किसी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है और न मरीजों को लाने के लिए कोई रास्ता ही रह जाता है। वहां की जांच कराइये और मैं उन गांवों को गिना भी सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

गिनाने की जरूरत नहीं है।

श्री लक्खी सिंह—

गांव गिनाने की जरूरत नहीं है तो मेरी बात पर विश्वास करिये और इस सरकार से कहिये कि तत्काल बाढ़ की समस्या को ले कर जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं और पानी में डूब जाते हैं उनमें एक-एक डाक्टर तथा एक-एक कम्पाउंडर का अस्पताल कायम किया जाय क्योंकि वहां सैंकड़ों आदमियों की अकाल मृत्यु हो जाती है।

अब मैं सड़क मन्त्री से कहना चाहता हूं। पिछली सरकार के बड़े-बड़े मन्त्री श्री लक्ष्मी रमण आचार्य और आचार्य जुगल किशोर आदि सड़कों का उद्घाटन तो कर दिया करते थे लेकिन उन सड़कों पर एक कंकड़ तक नहीं पड़ता था। मेरी सरकार ने नई नीति अख्तियार की और मन्डी समिति के तरफ से सड़क बनवाई है लेकिन मुझे भय है कि बरसात के पहले अगर वह सड़क पक्की नहीं की गई तो इस बरसात में वह मिट्टी बह जायगी। ग्राम्य विकास मन्त्री से मैं कहूंगा कि वह अपने जिला विकास अधिकारी को तेज करें, करंट लगायें ताकि वह तेजी से काम करे। जो गेहूं भारत सरकार ने दिया था बेरोजगार लोगों के लिए ताकि सड़क भी बन जाय और गेहूं से मजदूरी दे दी जाय उस सम्बन्ध में कोई काम नहीं हो रहा है। फौरन मथुरा जिले में खबर भेजी जाय जहां सड़कों की जरूरत है वहां सड़कें बनवाई जायं। सरकार ने नारा दिया

था 'चलो गांव की ओर'। अगर गांव की ओर बिना कुछ किये चलेंगे तो वह दक्षिणा भी अच्छी देंगे जैसे मिश्रा जी की पार्टी को दी है। वह चूकेंगे नहीं और पूरी तरह से स्वागत करेंगे। लिहाजा सड़कों की व्यवस्था यह सरकार तत्काल कर दे। सुरक्षा की बात इस किताब में कही गई है। सुरक्षा बहुत जोर से हमारी सरकार कर रही है? श्री राध श्याम जी के क्षेत्र में सोमा ब्लाक में अगराला गांव है। जहां गांव प्रमुख को दिन दहाड़े भगा ले गए और उसकी आंख फोड़ दी और दिन दहाड़े जमुना पार जाकर उसका कत्ल कर दिया। वहां के थानेदार का हाथ उसमें था। उसके पास गुंडे रहते थे जो उसकी रोटी बनाते थे। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा और उस ब्लाक प्रमुख उदय सिंह का कत्ल कर दिया। जो दो-एक गुन्डे पकड़े भी गये वे छोड़ दिए गए। वे आज खुले आम एलान कर रहे हैं हम २५ प्रधानों को और मारेंगे। श्रीमन्, अगर ऐसी सुरक्षा रही तो हम जो ५-६ एम० एल० ए० वहां से आते हैं, एक भी नहीं बचेंगे। राधेश्याम जी तो जवान हैं, लेकिन मुझ जैसा वृद्ध आदमी पर हमला कर दिया जायेगा। श्रीमन्, दो मिनट का समय और दे दें तो मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। आप कृपया बैठें।

श्री मोती राम—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो सूची जनता पार्टी की ओर से आपको भेजी गई है उसमें मेरा नाम ७वें नम्बर पर है। मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं लेकिन मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। म जानना चाहता हूं कि क्राइटेरिया क्या है? कैसे आप बुलवाते हैं?

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो लोग खड़े होते हैं....

श्री मोती राम—

राज्यपाल के अभिभाषण में भी मैं नहीं बोला और इस पर भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहता हूं कि जब आप इस तरह से आग्रह करेंगे तो इसका मतलब होगा कि मैं उन्हीं को बुलाऊंगा, जो आग्रह करेंगे। उसमें मेरे लिए मुश्किल होगी। लिस्ट मेरी मदद के लिए है....

श्री मोती राम—

नियम क्या है?

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जिस पर मेरी नजर पड़े।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, प्रदेश की जिस खस्ता हालत में जनता पार्टी ने बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। मान्यवर, जब कांग्रेस सरकार सत्ताच्युत हुई थी तो सरकार के रूप में उसको एक दिवालिया दुकान मिली थी। मेरी इस बात को आंकड़े सिद्ध करते हैं। जब केन्द्र में कांग्रेस सरकार हटी तो उस समय साढ़े सत्रह अरब रुपया भारत सरकार पर विदेशी कर्जा था जिसका कि केवल ब्याज ही भारत सरकार को ८० करोड़ रुपया सालाना देना पड़ता है। इसके माने यह हुए कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति ३२१ रुपये का विदेशी कर्जदार है और जब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सरकार पिछले साल मार्च में हटी तो उस समय एक अरब ६० करोड़ रुपये का तो सीधा ओवर ड्राफ्ट छोड़कर वह गई थी और साढ़े तीन अरब रुपये का कर्जा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर था जिस समय जनता पार्टी को चार्ज मिला। तो इन खस्ता हालात में जो बजट पेश किया गया है वह गनीमत है। विरासत में हमें क्या मिला एक जीर्ण-शीर्ण आर्थिक ढांचा तथा भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा। भ्रष्टाचार और अशिक्षा पर मैं बाद में कहूंगा लेकिन गरीबी की दशा सरकारी आंकड़े के अनुसार यह है कि आज भी हमारे देश में ४० प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। ३० साल की आजादी के बाद ये ४० प्रतिशत के आंकड़े बड़े भयावह हैं। ३० साल में किसी देश की कायाकल्प हो सकती है। जर्मनी और जापान ये पिछले महायुद्धों में ध्वस्त हो गए थे लेकिन वे आज अमरीका और रूस का मुकाबला कर रहे हैं। यह दोष किसका है यह तो एक जांच की बात है लेकिन ४० प्रतिशत लोगों का गरीबी की रेखा के नीचे होना चिन्ता की बात तो है शर्म की बात नहीं है। दूसरा है अशिक्षा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी हमारे देश में ३३ करोड़ ६० लाख लोग निरक्षर भट्टाचार्य अंगूठा टेक हैं। जिस देश में २-३ आबादी निरक्षर हो, जनतन्त्र कैसे चलेगा। एक विद्वान ने कहा है "एबी वोट आफ इगनोरेंस इज ए वोट अगेन्स्ट डिमोक्रेसी"।

श्री अध्यक्ष—

जोशी जी आप अंग्रेजी में कोट नहीं करेंगे उसका हिन्दी अनुवाद करें। यह जो अंग्रेजी में बोलेंगे यह नोट नहीं होगा।

श्री राम दत्त जोशी—

कोटेशन है मान्यवर, मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर रहा हूं। "निरक्षरता का प्रत्येक मत जनतन्त्र के विरुद्ध मत है।" हमारे देश में ३३ करोड़ ६० लाख लोग निरक्षर हैं। इसी निरक्षरता के कारण इन्दिरा गांधी को तानाशाह बनने की प्रेरणा मिली यह समझ कर मिली कि देश की जनता बुद्धू है।

श्री श्याम धर मिश्र—

उसी वजह से आप आये हैं।

श्री रामदत्त जोशी—

हम आये हैं आपके जुल्म और अत्याचारों के कारण। आपको तानाशाही करने का मौका तब मिला जब आपने देखा कि २-३ प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। यह शिक्षा की दशा हमारे यहां रही है। मान्यवर, भ्रष्टाचार एक पुराना भयंकर और संक्रामक रोग है जो न केवल प्रशासन में व्याप्त है बल्कि समाज के प्रत्येक अंग में व्याप्त है। भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्र का कलंक पोयजन हो गया है,

हमारे खून में जहर घुल गया है। केवल लोकायुक्त और लोकपाल ऐक्ट पास कर देने से उसका उपचार नहीं होगा। इतना पुराना रोग है यह केवल ऐक्ट बनाने से नहीं समाप्त होगा, टैपिंग मैजिस्ट्रेट से नहीं समाप्त होगा। मान्यवर, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। इसके उत्पन्न होने के तीन कारण हैं एक तो सन्तागत ऐश्वर्य और पूंजीगत वैभव की चकाचौंध, दूसरा फिल्मी दुनियां द्वारा अप्राकृतिक अयथार्थता अस्वाभाविक ऐशो आराम के जीवन का प्रचार किया जाता। तीसरा है आपकी स्टेट लेटरी। इसे हर आदमी रातों रात लखपति बनने का स्वाप्न देखता है। सैंकड़ों लाउडस्पीकर मान्यवर, आप लमनऊ में लगे हुए देखेंगे जो एक रात में लखपति बनने का स्वप्न दिखाते हैं। फिल्मों की चकाचौंध और पूंजीगत सत्ता वैभव तथा लाटरी जो हैं हर इंसान को येनतेन प्रकारेण जायज या नाजायज तरीके से पैसा कमाने की प्रेरणा देती हैं। दुनियां में ऐशोआराम की हविश पूरा करने के लिए जैसे भी हो पैसा कमाने के लिए प्रेरित करती है भ्रष्टाचार को समाप्त कौन करेगा? कौन इसके विरुद्ध लड़ेगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन में इधर के और उधर के बैठे हुए सदस्य इस पर सोचे यह कोई राजनीतिक बात नहीं है।

भ्रष्टाचार सारे देश की समस्या है। लोकनायक जयप्रकाश ने कहा था कि भ्रष्टाचार से सारा जनजीवन त्रस्त हो गया है। बजट आते हैं लेकिन जब तक यह जहर समाज से दूर नहीं होता है: हमारा नैतिक स्वास्थ्य नहीं सुधरता है स्वच्छ प्रशासन की बात करना व्यर्थ है, वह केवल कल्पना है। उसके लिए जयप्रकाश जी ने आवाज दी और सारे त्रस्त जनमानस ने उनका उमड़ कर साथ दिया इस आशा से कि शायद जन-जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। आपको याद होगा मैंने याद दिलाई थी और आपने कहा था कि महात्मा गांधी को चैन से बैठने दीजिये। मैंने और जनता पार्टी के लोगों ने राजघाट पर कसम खाई थी कि हम सादगी और मितव्ययिता से करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार के ठाट-बाट में कोई कमी नहीं आई। हमने कभी सोचा नहीं कि हम कहां से आते हैं, किसके हम प्रतिनिधि हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति नीलम संजीवैय्या रेड्डी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहली मिसाल कायम की कि उन्होंने अपने वेतन में से ७० प्रतिशत की कटौती की। लेकिन क्या उसका किसी ने अनुसरण किया? क्या हममें से उसके लिए कोई तैयार हुआ? नहीं हुआ कि अपने वेतन में से कटौती करें।

आपका यह अदना सिपाही जून २१ से जब से यह असेम्बली बनी है, चली है, तब से आजतक केवल आधी मासिक उपलब्धि लेता है अर्थात् केवल ५०० रुपये और मान्यवर, मैं थर्ड क्लास में चलता हूं अपनी गांठ से, क्योंकि मैं सरकारी फर्स्ट क्लास के कूपन्स नहीं लेता हूं। यह क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि हम किसके प्रतिनिधि हैं? ४० प्रतिशत जनता देश की गरीबी रेखा के नीचे रहती है, हम उसके प्रतिनिधि हैं। यह क्या माजरा बात है कि वोट मांगते समय हम गरीबों के प्रतिनिधि और उनके मसीहा बनते हैं, लेकिन लखनऊ पहुंचते ही कुंवर और राजकुमार बन जाते हैं। फ्री यात्रा, फ्री बंगला, बिजली पानी फ्री, फर्नीचर आदि की तमाम सुविधायें फ्री और ऊपर से १ हजार रुपया महीना। मैंने हिसाब लगाया है, प्रत्येक एम० एल० ए० पर ५ साल में जनता को अपनी गाढ़ी कमाई का ढाई लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। यानी एक साल में ५० हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। मैं पूछता हूं कि जब हम एम० एल० ए० नहीं थे, तो कितनों की हैसियत थी कि वह ५० हजार रुपया सालाना खर्च करे। जो हम फर्स्ट क्लास में वैभवपूर्ण ढंग से यात्रा करते हैं, तो फर्स्ट क्लास में कितनी जनता चलती है, मुश्किल से केवल २ प्रतिशत। तो

[श्री राम दत्त जोशी--]

क्या हम उस दो प्रतिशत जनता के प्रतिनिधि हैं। यह कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार और त्याग दोनों ऊपर से चलते हैं, ऊपर से शुरू होते हैं और उनका निराकरण भी ऊपर से ही शुरू होना चाहिये। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हम सबको त्याग करना पड़ेगा।

मान्यवर, हमसे हमारे दोस्त कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो। मैं थर्ड क्लास में टू-टायर में आता हूं तो वहां हमें अनेक फर्स्ट क्लास अधिकारी मिल जाते हैं, वह मुझसे तकल्लुफ में आकर कहते हैं कि अरे जोशी जी आप यहां कैसे। वह मेरे ऊपर आश्चर्य करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप फर्स्ट क्लास का टी० ए० नकद लेकर थर्ड क्लास में यात्रा क्यों कर रहे हैं। हम जन साधारण के प्रतिनिधि है क्या हमारी हैसियत है फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की। श्रीमन्, जब यह विधायकों को फर्स्ट क्लास का नकद टी० ए० मिलता था, तो उस समय कितने लोग फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे। अधिकतर लोग (थर्ड) क्लास में चलते थे। राजकपूर ने एक पिक्चर बनाई है। 'हम सब चोर हैं' तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम सब लोग भी वास्तव में चोर हैं? जनता के प्रतिनिधियों को सही मायने में जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए और उनका जीवन साधारण और सीधा, त्यागपूर्ण होना चाहिए। हमारे शुभ चिन्तक लोग कहते हैं कि आप हिन्दुस्तान में अकेले विधायक ऐसे हों, जो आधी तन्ख्वाह लेते हो, यह पागलपन है। लेकिन मेरा उनको जवाब होता है:

मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग आते ही गए और कारवां बनता गया।"

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्ष ७८-७९ के बजट का जो फाइनेन्स मिनिस्टर ने पेश किया है, उसका स्वागत करते हुए सदन के सामने अपने विचारों को रखता हूं। मान्यवर, इस बजट में यह साफ शब्दों में कहा गया है कि हम गांवों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान ग्राम की समस्या शिक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में वहां शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि कोई भी प्राइमरी पाठशाला का अध्यापक भवन के अभाव में या टाट पट्टी के अभाव में स्कूलों में शिक्षा देने की नीयत में नहीं बैठता है। अक्सर गांवों में बच्चे इधर-उधर घूमते हैं और अध्यापक चूंकि उसी गांव के हैं, वे पढ़ाने में कोई रूचि नहीं लेते हैं। वे सदैव अपने घर के अन्य कामों में समय बिताते हैं। यहां तक कि जिन स्कूलों में भवन की व्यवस्था है, जो पुराने हो चुके हैं, जो आज ध्वस्त हो चुके हैं, इस बजट में उनके निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है। शासन हर साल नए स्कूल खोलने की बात तय करता है, लेकिन वर्तमान स्कूलों के लिए आवास, उनकी पढ़ाई, उनके टाटपट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की यह प्राथमिक इकाई है। इनकी पढ़ाई अगर मजबूत है तो आगे चलकर यहां के विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि आप पूर्णरूप से शासन का ध्यान दिलाएं कि इकाई स्तर की शिक्षा को मजबूत किया जाय।

इसी तरह से पेयजल व्यवस्था है। गांवों में अक्सर देखा जाता है, गांव के पास शहरों में, नगरपालिकाओं में पेयजल की व्यवस्था पर लाखों रुपया खर्च

किया जाता है। नागर क्षेत्र समिति में हर तरह से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ है। लेकिन उसके बगल में ही जो गांव है, वहां पर ग्राम गरीब जनता के लिए गांव के सम्पन्न लोगों न जो कूप निर्माण किए थे, उनको हालत जर्जर हो चुकी है। उसको मरम्मत किसी शासन ने नहीं किया। उनकी जगत जमीन के लेविल के बराबर हो गयी है। बरसात में गंदा पानी बहकर उसी कुएं में जाकर मिलता है जिसको आम जनता पीती है, जबकि हम गांवों की ओर बढ़ रहे हैं, कोई कुएं का निर्माण नहीं हो रहा हैं। गांवों में जो गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, कृषक बसते ह, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए पूरे क्षेत्र के गांवों में तकनीकी जांच करा ली जाय। यदि पुराने कुएं हैं, खराब हैं तो उनका पुनर्निर्माण कराया जाय।

इसी प्रकार से लिंक सड़कों की बात है। मंडी समितियों द्वारा जो सड़कें बनायी गयी हैं वह सड़कें किसी क्षेत्र में शायद ऐसी नहीं बनायी गयी हैं, जो दो चार गांवों से सम्बन्ध जोड़ती हों। जो भी धन उसमें खर्च किया गया । कोई भी एस्टीमेट नहीं । न डेली वेजेज, मजदूरी का हिसाब है, न मजदूरी दी गयी है। वहां जिला स्तर के अधिकारियों ने सड़कें बनाने में काफी लूट-खसोट की है। जबकि १४ रुपया सैकड़ा मिट्टी कटाई का हमें पेमेन्ट करना चाहिए वहां १०० रुपए मिट्टी कटाई खर्च किया है। जितने में दो किलोमीटर सड़क बनायी गयी हैं उतने में आठ किलोमीटर सड़क बनायी जा सकती है। जिन गांवों से मंडी समिति द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया है, उन गांवों में न खर्च करके दूसरे गांवों में खर्च किया गया है। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने जानबूझ कर सिरवा क्षेत्र की मंडी समिति की आमदनी जो दो लाख प्रति वर्ष होती है वहां एक भी सड़क नहीं बनायी। जो आजकल घटक की नीति चल रही है, चाहे माननीय राजस्व मंत्री हों, या फाइनेन्स मिनिस्टर हों या गन्ना मंत्री हों, अगर यह समाप्त न की गयी तो यह शासन नहीं चलेगा। इसी तरह से जितनी समितियों का गठन किया गया, माननीय मधुकर दिघे जी ने मनमाने तौर पर की है इन्होंने समझ लिया है कि मैं इस शासन में फाइनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से सदा रहूंगा। अगर इन मंत्रियों की यही रवैया रही तो हम विधान सभा के सदस्य कभी बरदाश्त नहीं करेंगे। इनके रवैये में सुधार लाने लिए आप निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष--

शारदा प्रसाद जी, मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दे सकता। यह आपकी पार्टी का मसला है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात कही गयी। बेरोजगारी इस तरीके बढ़ रही है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी आज सड़कों पर घूम रहे हैं। आरक्षण की बात है। सही आरक्षण किया जाय। लेकिन नौकरी देने में जो कम्पेटीशन होता है उसमें आरक्षण की व्यवस्था न रखी जाय। प्रमोशन म व्यवस्था न रखी जाये। ऐसा करने से बुद्धिजीवी पिछड़ जायगा और जो बुद्धि-जीवी व्यक्ति नहीं हैं उनको आगे जाने का अवसर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने रेलवे में उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आर० पी० एफ० बनाया है उसी प्रकार से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी एक फोर्स बनावे। इसमें जो भी बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनको भरती किया जाए। इससे जो बेरोजगारी है वह दूर होगी और इसके साथ ही साथ प्रदेश की जो शान्ति और व्यवस्था खराब रहती है वह भी सुधर जायेगी। बेकारी

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—]

बढ़ने से लोगों के दिमाग में तरह तरह की भावनाएं पैदा होती हैं जिसके फल-स्वरूप बसें फूंक दी जाती हैं, रेलों में चोरियां होती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शासन का ध्यान इस ओर नहीं गया है। जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तक जो टाउन एरियाओं हैं, उनकी जमींदारी नहीं समाप्त हुई है। इस चीज के लिए मैंने सदन में कई बार कहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार कहती है कि आर्थिक स्थिति खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी टाउन एरियाज है जिनकी आमदनी २ लाख रुपए तक होती है। इन टाउन एरियाओं से जमींदारी उन्मूलन नहीं किया गया है। सड़कों पर जो लोग दुकानें लगाते हैं, उनसे तहबाजारी ली जाती है। मैं सिसवा बाजार की बात बताता हूं। यहां पर तहबाजारी वहां के राजा [× ×] द्वारा ली जाती है। वह इस माननीय सदन के सदस्य थे और मंत्री भी थे। वह लगभग ढाई लाख रुपया तहबाजारी से वसूल करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप किसी का नाम लेकर नहीं कह सकते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जो शब्द आक्षेप के हैं उन्हें निकाल दिया जाए।

आय-व्ययक की चर्चा के मध्य मंत्रियों तथा सचिवों के सदन से अनुपस्थित रहने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री बाबू बबरे (जिला कानपुर)—

कोई मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है।

एक सदस्य—

पीछे बैठी हैं।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर कोई मंत्री नहीं है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप यहां पर क्यों नहीं बैठती हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सचेतक से कहना चाहूंगा कि अगर कोई मंत्री नहीं होगा तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। मंत्री हैं तो आगे आकर बैठना चाहिए। अगर विवाद के समय में नहीं होंगे, तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

एक सदस्य—

मंत्री जी पीछे से आ रही हैं।

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

कहां हैं ?

एक सदस्य--

वह आ रही हैं।

*श्री श्यामवर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मंत्रीगण की तख्ती लगी हुई है। उनको रहना चाहिए। कम से कम ऐसे अवसरों पर जो महत्वपूर्ण विषय हों। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप और भी सदनों में रहे हैं मैं भी रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस सदन के विचाराधीन है, सदन के सामने है। मान्यवर, आप जानते हैं और कम से कम मैं कहता हूं कि मैं तो जानता हूं और वह यह है कि यहां पर २२ मंत्री हैं, राज्य ६ मंत्री हैं और १३ या १४ डिप्टी मिनिस्टर्स हैं। केन्द्र में यह होता है कि ४-४ या ५-५ मंत्रीगण रोटेशन से बैठते हैं और सदन के माननीय सदस्यों की बातें सुनते हैं। यहां पर हम लोग आपसे बोलने के लिए समय मांगते हैं, माननीय सदस्य भी समय मांगते हैं और आप हम लोगों को समय भी देते हैं लेकिन माननीय मंत्रीगण यहां पर रोटेशन में बैठकर उनकी बात नहीं सुनते हैं जो उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि यहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे यहां पर रोटेशन में बैठें और सदस्यों की बातों को सुनें। कम्पलायन्स के रूप में एक मंत्री जी कहीं पीछे बैठ जायं इससे हमको संतोष नहीं होता है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष जी, मैं २ दिन से यहां पर एक बात देख रहा हूं और उसको विशेषकर आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आपको विदित होगा कि कल भी जब यहां पर आम बजट पर चर्चा हो रही थी ३ बार कोरम का अभाव पाया गया और आज भी मान्यवर, २ बार कोरम की कमी रही। सदन का बहुमूल्य समय, जिस पर जनता का पैसा खर्च होता है, इस प्रकार से कोरम के अभाव में नष्ट हो, उचित प्रतीत नहीं होता है। आपने कई बार यह व्यवस्था दी है कि कम से कम १-२ मंत्री सदन में यहां पर मौजूद रहें ताकि वे लोगों के विचार जान सकें। कल भी सदन में कोई मंत्री मौजूद नहीं था और आज भी नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान मैं विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री भी हैं। आज मंत्रियों में से कोई भी मंत्री इस विवाद में मौजूद नहीं था। जब मैंने संकेत किया तो माननीय गन्ना विकास मंत्री, जिन पर मेरी दृष्टि नहीं थी, बाद में उठकर आयी। यह संसदीय प्रणाली है कि जब बजट पर सामान्य चर्चा हो रही हो, मैंने उस दिन भी कहा था कि यहां पर वित्त कमिश्नर मौजूद हों। कुछ परम्परायें होती हैं, सदन की मान्यतायें होती हैं। तो कम से कम बजट पर सामान्य विवाद के समय, जब तक मंत्रियों के लिए दूसरे सदन में जाना अनिवार्य न हो, उस समय यहां पर मौजूद रहना चाहिए, और खासकर वित्त मंत्री को। आपके अधिकारी तो लिखते ही हैं लेकिन मंत्रियों से सम्बन्धित भी माननीय सदस्य कुछ सुझाव देते हैं और उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष—]

स्वयं मंत्रियों को देखना चाहिए क्योंकि उनके उत्तर में, जो सदन में बहस होती है, उनके जो सुझाव होते हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। यह तो सदन के सम्मान का प्रश्न है। मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं बार-बार उनका ध्यान आकर्षित करता हूं लेकिन सरकार की ओर से उनकी उपेक्षा होती है। यह समझना कि एक रूटीन बहस चल रही है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के सुझावों की उपेक्षा है। आप उनके विचारों से इत्तिफाक करें या न करें, पर उनके सुझावों पर विचार अवश्य होना चाहिए। मैंने पार्लियामेन्ट में देखा कि यह परम्परा है और यह सभी जगह होता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि कम से कम जब सामान्य बजट पर विवाद हो चूंकि अधिकतर आलोचना गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग की होती है तो उनके प्रतिनिधियों को और ज्यादा अच्छा हो, मैंने कहा था, कि मुख्य सचिव यहां पर उपस्थित रहें। जनता पार्टी की सरकार से पहले भी यहां पर सरकार थी पर इस प्रकार से उपेक्षा कभी नहीं होती थी कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव यहां हर मौजूद न हों। तो मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री बतलायें कि या तो वे समझते हैं कि इस बहस में किसी की आवश्यकता नहीं है। मेम्बर्स बोल रहे हैं, रिपोर्ट रिकार्ड करते जा रहे हैं। यह इसलिए आपत्तिजनक और सोचनीय स्थिति है और मैं समझता हूं कि इस कुर्सी पर बैठकर मैं भी अपनी गरिमा के विरुद्ध समझता हूं। यहां पर २८ मंत्री हैं और चेयर्स खाली रहती हैं। जब सदन बैठता हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता सदन को देना चाहिए। मुख्य सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव हैं, अगर ये नहीं होते तो कहीं कोई जरूरत नहीं ६ दिन के विवाद की, इसको एक दिन में समाप्त किया जाय और सब ग्रान्ट्स एक दिन में पास कर दी जाय। मैं इसको अत्यन्त खेदजनक, आपत्तिजनक स्थिति समझता हूं। इस पर विचार करें।

श्री बाबू बदरे—

मान्यवर, जो आपने मेरे प्रश्न पर यह व्यवस्था दी, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

नगर विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मान्यवर, यहां पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी मंत्रिपरिषद् का सदस्य न रहा हो।

श्री अध्यक्ष—

सारी बेन्चेज खाली रहती हैं, एक भी मंत्री यहां पर इन बेन्चेज में नहीं।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, जहां तक आपके निर्देश का सवाल है, जो आपकी आज्ञा है, उसका पालन तो होना ही चाहिए और माननीय सदस्यों की किसी भी प्रकार की अवमानना को मैं भी नहीं पसन्द करता हूं और इसे किसी को भी नहीं पसन्द करना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मंत्री सामने न बैठकर पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने निर्देश दिया, उसका पालन होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, ऐसे मौके पर अधिक से अधिक मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिए इस बारे में आपकी आज्ञा और इच्छा का पालन किया जायगा।

१९७८-७९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन नगर समितियों की जमींदारी नहीं तोड़ी गयी है, उसके तोड़ने की व्यवस्था शासन को करनी चाहिए, जिससे कि नगर क्षेत्र समितियों की आमदनी बढ़े वहां के विकास के लिए, वहां के निर्माण के लिए, वहां के विद्युत् व्यवस्था के लिए, वहां की जल व्यवस्था के लिए धन की उगाही की जा सके। मान्यवर, इसके प्रति मैं चाहूंगा कि कृषि के लिए सिंचाई सम्बन्धी जो तत्कालीन शासन ने रेट निर्धारित किया था, उस रेट से कोई कमी नहीं की गई है और इधर आप देखें सिंचाई को लेकर काश्तकारों के अन्दर एक असंतोष है। मैं इस सम्बन्ध में यह चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी, सिंचाई सुविधा जो आज दे रहे हैं, उसका रेट जो ५ साल पहले २७ रुपए प्रति एकड़ था वह अब आज ६०-७० रुपए प्रति एकड़ हो गया है। मैं चाहूंगा कि सिंचाई के रेट में कमी की जाय। सिंचाई की दरों में कमी होना नितांत आवश्यक है।

मान्यवर, कृषकों के लिए जो भी व्यवस्था ब्लाक स्तर से की जाती है, उसके लिए श्रम और समय का मूल्यांकन किया जाय। एक काश्तकार अपने खेत के बीज के लिए सीड स्टोर जाता है, जो वह कोआपरेटिव से सम्बन्धित है। दूसरे वह कीटनाशक दवाइयों के लिए जाता है। तो उसको कीटनाशक इकाई रक्षा केन्द्र में जाना पड़ता है। कृषि सम्बन्धी खाद, बीज आदि के लिए उसे ऋण की आवश्यकता होती है। तो ऋण के लिए उसको सहकारिता विभाग से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। खंड विकास अधिकारी के नीचे ग्राम सेवक होता है, जिसकी ड्यूटी होती है कि वह काश्तकारों से सम्पर्क स्थापित करे और काश्तकारों को बतावे कि इस खाद, में कितनी यूरिया, पोटास आदि है।

मान्यवर, मैं चाहूंगा, कृषि मंत्री जी से जितना सामान हो वह या तो कृषि विभाग से दिये जायं और यदि नियोजन विभाग से दिए जाते हैं तो खाद बीज के सामानों का वितरण भी नियोजन विभाग से होना चाहिए ताकि समय की बचत हो और बाकी समय को लोग खेती में लगा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया है उसके सम्बन्ध में आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष जी, बजट राज्य का मूलाधार होता है। इसलिए इसपर बड़ी गम्भीर चर्चा और बड़ा गम्भीर विचार चलना चाहिए। बजट जो प्रस्तुत है, कैसा है, विचारणीय है। मैं तो नहीं कहता कि यह पूर्णतः समाजवादी है, लेकिन इतना अवश्य है कि आज तक जितने बजट प्रस्तुत किए गए हैं उन सभी की अपेक्षा यह

[श्री राम देव दुबे—]

अधिक समाजवादी है। अब स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस बात को कि यह बजट क्योंकि इस बजट में कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जिनके आधार पर हमको कहना चाहिए, विवाद चाहे लोग जैसा कर कि समाजवादी परिप्रेक्ष्य में यह बजट बनाए जाने का प्रयास किया गया है।

एक और इंगित करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि मैं कई बार इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं। मैंने बजट भी पढ़ा है, लेकिन मुसहर जाति का नाम किसी भी बजट में कभी भी नहीं लिया गया। इसमें है। और यह जाति है, जिस पर तरस आना चाहिए मानवता को। राज्य को भी, हमको और सब को। आज भी जहां भोज होता है यह जाति पत्तलों के लिए दौड़ती है। आज भी उसकी यही स्थिति है। लेकिन उसके विकास के लिए, उत्थान के लिए इसमें कल्पना की गयी है, प्रस्ताव किया गया है। जन-जातियों, अनुसूचित जातियों को छूट अवश्य दी जाती रही है, विशेष अवसर अवश्य दिया जाता रहा है, लेकिन पी० एम० टी० में या दूसरी सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षण की इनके लिए व्यवस्था नहीं थी। इस बजट में इस प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था है, इसलिए हमें कहना चाहिए कि अधिक प्रयास किया गया है इसको समाजवादी बजट बनाने का।

ग्राम की ओर लक्ष्मी का मुहाना (मुखड़ा) किसी भी बजट में नहीं फेरा जाता रहा। आप लोग विचार करते रहे, लेकिन इस बजट में गांव की ओर लक्ष्मी को फेरने का दृढ़ किया गया है। शहर ही सम्मिलित होते थे और उनके लिए ही बातें की जाती थीं, लेकिन ग्रामों के लिए नहीं। इसमें लघु कुटीरोद्योग धंधों की बात और ग्रामीण उद्योग-धंधों की बात की गयी है। अब मैं आपसे कहूं कि आज जो यह समस्या है बेरोजगारी की, उसको भी कम करने की बात इसमें है। अब कम हो पाएगी या नहीं, यह प्रश्न है लेकिन कम करने की बात है इसमें। उसका कार्यान्वयन होगा, यह भी प्रश्न है। आत्मा इसकी क्या है, नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन भाषा से ऐसा लगता है कि शोषित, पीड़ित, गरीब इनसान की ओर यह बजट झुका हुआ है। इसलिए मैं इसको समाजवादी कह रहा हूं।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में डाक्टर राम मनोहर लोहिया का बार-बार नाम लिया गया। वे समाजवाद के मसीहा थे। उन्होंने ६० प्रतिशत की जो बात कही थी उसमें नारी जाति भी सम्मिलित थीं और नारी सभी जातियों की सम्मिलित थीं। कुछ लोग उनकी कुछ चीजों को तो ले लेते हैं और कुछ चीजों को नहीं लेते। डाक्टर लोहिया ने पिछड़े वर्ग की ही बात कही है, पिछड़ी जाति की ही बात कभी नहीं कही है। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग की परिभाषा की है उसके अनुसार जब एक ही प्रकार की आजीविका कोई समूह विशेष अर्जित करता है तो उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग आर्थिक आधार पर होता है, वर्ग वर्ण के आधार पर नहीं होता। वह जाति के आधार पर नहीं होता। आप बहस के लिए चाहे कुछ कहें। जितने भी राजनैतिक विचारक आज तक हुए हैं सभी ने अर्थ ही इसका आधार माना है। इसलिए आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। मैं इस आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। हमारे संविधान में भी किसी जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया है। अगर जाति के आधार पर आरक्षण किया गया तो समाज इसे बरदाश्त नहीं करेगा। गरीबी और अमीरी के आधार पर जो कुछ संघर्ष हुआ है वह सृष्टि के आदि से आज तक चला आ रहा है। या यों कहिए कि गरीबी और अमीरी के बीच संघर्ष शुरू से रहा है। इसी ने दो वर्ग

पैदा किए हैं। अब पता नहीं वर्ग की क्या परिभाषा की जा रही है। राजनीति के इतिहास के चिंतनशील छात्र इस बात को स्पष्ट जानते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर ही होना है। वरना समाज इसे बरदाश्त नहीं करेगा विद्रोह तथा विरोध का ज्वालामुखी फूटेगा और फिर पता नहीं क्या स्थिति होगी।

इसके अलावा मैं कुछ बातें अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा प्रतापगढ़ जनपद प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसका सदा ही यह दुर्भाग्य रहा है कि जब भी पूर्व की जिलों में सुविधायें देने की बात कही जाती है तब इसे पश्चिम में गिना जाता है, जब पश्चिमी जिलों में सुविधायें देने की बात होती है तो इसे पूर्वी जिलों में गिना जाता है। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि यह पूर्व में है या पश्चिम में है कभी पूर्व में और कभी पश्चिम में। इसलिए सारी मार हमारे जिले पर ही पड़ती है। अंग्रेजी शासन काल में ईस्ट इन्डिया कम्पनी की छावनी जब इलाहाबाद में पड़ी रहती थी तो हमारे यहां गंगा पार करके आती थी और अन्याय करती थी। जजिया कर जब लगाया गया था तो सबसे पहले हमारे जिले में ही लगाया गया था। जितने भी अत्याचार उस समय ढाये जाते थे वे सब हमारे जिले में ही ढाये जाते थे। लेकिन वह जिला आज न पूर्व में है, न पश्चिम में है। उसकी उपेक्षा हो रही है।

वहां सड़कों का प्रश्न है, पुलों का प्रश्न है, उद्योग धंधों का प्रश्न है। उद्योग धंधों के बारे में मैं ट्रैक्टर फैक्टरी की बात कहना चाहता हूं। ८०, ९० लाख रुपया इस सम्बन्ध में व्यय हो चुका है और तमाम प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है लेकिन आज भी कोई निश्चित नहीं है कि ट्रैक्टरी फैक्टरी किधर जा रही है, कहां जा रही है? रहेगी या नहीं? अधर में लटकी हुई है।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बीरापुर है। १००, १५० सालों पूर्व जो सड़कें सामंतों ने बनवायीं थीं वह वैसे ही पड़ी हैं। सड़कों की बड़ी बुरी हालत है। फतनपुर से बीरापुर, गाजीबाग से कनेवरा, रखहा से कन्धई, जगनीपुर से बीरापुर, जामताली होते हुए प्रतापगढ़, दीवानगंज से कोहड़ौर सड़कें आज तक नहीं बन पायीं हैं। इनको बनवाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामदेव दुबे—

५ मिनट मुझे और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपके १० मिनट हो चुके हैं।

श्री रामदेव दुबे—

मान्यवर, २ मिनट और दे दें। एक विशिष्ट समस्या की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरे यहां जामताली एक स्थान है। सई नदी वहां पर बहती है। लेकिन जामताली पुल बनाने के लिए निरंतर कहे जाने के बावजूद भी वह पुल नहीं बन सका है। न बनने के कारण नुकशान क्या है? आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीरापुर क्षेत्र त्रस्त है, परेशान है। मैंने बराबर इस सम्बन्ध में कहा है। लेकिन पुल कहीं और बन जायेंगे, मंत्रियों के यहां बन

[श्री राम देव दुबे—]

जाएंगे किन्तु लेकिन जहां पर वास्तविक आवश्यकता है, सचमुच आवश्यकता है वहां पुल नहीं बनेगा। मैं मांग करूंगा कि जामत ली का पुल अविलम्ब बनवाया जाय। अगर अतिशीघ्र नहीं बनाया जाता है तो यह जनतन्त्र पर कलंक है और जनता पार्टी पर कलंक है। इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेसियों ने ३० वर्षों तक यह काम नहीं किया है। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। प्रत्येक वर्ष पुल बनते हैं लेकिन पता नहीं कि यह पुल क्यों नहीं बन रहा है। तो निकट भविष्य में सरकार इस पुल को बनवाये।]

श्री अध्यक्ष—]

अब आप समाप्त करें।

श्री रामदेव दुबे—

शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वीरापुर क्षेत्र में एक भी कन्या हाई स्कूल नहीं है। फलतः कन्याओं की शिक्षा अवरुद्ध हो। इसके निर्माण की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, वित्त मंत्री का भाषण सुनने का सुअवसर तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ परन्तु उनके भाषण को मैंने पढ़ने की चेष्टा की है। जो भूमिका उन्होंने प्रारम्भ में की है कि प्रति व्यक्ति आय सन् ६०–६१ से सन् ७६ तक हमारे प्रदेश की देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम रही है। २.३ हमारे प्रदेश की रही जबकि देश के विभिन्न प्रदेशों की आय ३.३ तक थी। यह तो मान्यवर, सही है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। हमारे शासन में इससे हम इंकार नहीं करते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी के भाषण को बहुत कद्र की निगाह से देखता अगर उन्होंने इस वर्ष यह बतलाया होता कि प्रति व्यक्ति आय को हम अपने संसाधनों को काम में लाते हुये इतने प्रतिशत बढ़ायेंगे। किसी जगह पर इसकी चर्चा नहीं की गयी है।

मान्यवर, मेरा यह विश्वास है कि पिछले कांग्रेस के शासन काल में जो प्रति व्यक्ति आय २.३ हम रख सके। लेकिन जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद मुझे तो यह लगता है कि वह इस प्रतिशत को कायम नहीं रख सकेंगे। आज ८० प्रतिशत लोग किसान हैं मजदूर हैं, गांवों में रहते हैं। मान्यवर, इस विधान सभा के चलते हुए, इस सत्र में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। जनता पार्टी के सदस्य भी कबूल कर चुके हैं और हम लोग भी कहते हैं कि जो किसान रीढ़ की हड्डी है उसकी हालत जरजर हो चुकी है। मान्यवर, अभी नहीं आगे आने वाली फसल में लगता है कि उसकी जो हालत है उससे और भी गिरने वाली है। इस पर मुझे एक शेर याद आती है—

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरा खूं न निकला।

किसान के बारे में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसान को गन्ने की जो कीमत दिया है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ सवा ३ एकड़ किसानों की लगान माफी करके उसका ढिंढोरा पीट रखा है जबकि सवा ३ एकड़ के ऊपर के काश्तकारों की रेवेन्यू की दर वही कायम करना चाहते हैं जो किसान कर और लगान हम वसूल करते थे उसके बराबर यह सरकार वसूल करने जा रही है।

श्रीमन्, इसने एक और कृपा की है किसानों पर कि ट्रैक्टर या दूसरी मशीनों में काम आने वाले डीजल की कीमत को बढ़ाया है। इसके अलावा एक और मेहरबानी किया है, जबकि ३० साल में हमारी सरकार ने उस पर निगाह तक नहीं उठायी थी कि जो किसान अपने उत्पादन को उठाने में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते है या ब्याह शादी में उसका इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। इस प्रकार किसान की पैदावार को बढ़ाते हुये यह किसान की हालत सुधारने का दावा यह सरकार कर रही है।

मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री जी तथा सत्ता पक्ष के लोग जबरदस्ती दोहाई देते हैं कि हमारे शासन में जो जनतन्त्र और लोकतन्त्र का गला घोंटा गया था इस सरकार के आते ही प्रजातन्त्र चमक उठा है। इसके लिए पहला कदम उठाया था कि विधान सभा जो हमारी इलेक्टेड बाडीज थीं जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो पाया था उनको भंग किया। उसके लिए कबूल किया कि जनता का विश्वास लोकसभा के चुनाव में हमारे ऊपर नहीं रहा था, तो हमने उसको मान लिया था। यही जब सत्ता में आये तो इल्जाम लगाया कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये। मंत्री जी ने एलान कराया कि फरवरी में चुनाव हो जायेंगे। लेकिन आजतक नहीं हो पाए। इसके बाद जनतन्त्र का एक और उदाहरण पेश किया कि जो जिला परिषदें थी, जो एक तरह इलेक्टड बाडीज थी उनको समाप्त किया और एलान किया कि जल्दी ही चुनाव कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक और नया उपहार दिया है जनतन्त्र की रक्षा के लिए कि जो क्षेत्रीय समितियां बनी थीं उनको समाप्त कर दिया। इससे भी बढ़कर लोकतन्त्र और जनतन्त्र का उदाहरण प्रदेश में पेश किया कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में, मान्यवर, आप भी सहकारिता मंत्री रहे हैं कभी भी इस प्रकार के कदम नहीं उठाये हैं कि, एल० एस० एस० या एफ० एस० एस० और दूसरी जो सोसाइटीज हैं उनमें नामिनेशन किए जायं। लेकिन इन्होंने उदाहरण पेश किया है कि तमाम कोआपरेटिव एल० एस० एस० को एफ० एस० एस० में परिवर्तन किया और नामिनेशन यहां हो रहे हैं। यह लोकतन्त्र और जनतन्त्र का खुला प्रमाण है।

मान्यवर, मंत्री जी दोहाई देते हैं कि इस प्रदेश को आगे ले जायेंगे और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्कीमों का जिक्र किया और बताया कि ४ लाख लोगों को रोजगार दे पायेंगे। मान्यवर, थोथी दलीलों से विधान सभा और लोकसभा के चुनाव में तो जरूर कामयाबी हासिल की लेकिन इस थोथी दलील से किसान अब यहां का रहने वाला, बहकावे में आने वाला नहीं है। वह कहीं नेताओं से आगे है। वह आपसे बढ़ चढ़ कर है। अगर आपको लोकतन्त्र में आस्था और विश्वास हो तो मेहरबानी करके चुनाव करवा दीजिये। आपको पता चलेगा कि वह किस प्रकार से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।

* श्री मोती राम—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि छः-सात दिन के प्रयत्न के बाद मुझे अवसर मिल गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपके धैर्य की परीक्षा है ।

श्री मोती राम—

आभार प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य है । जो सामान्य चर्चा बजट पर चल रही है उसी के समर्थन में मैं भी खड़ा हुआ हूं । बहुत सी बातें यहां कही गई उसको मैं दोहराना नहीं चाहता । लेकिन मैं कानपुर जनपद के माननीय सदस्य बाबू राम शुक्ल ने गंगा नदी पर बैराज वाली बात कही उसका समर्थन करता हूं । कानपुर जनपद जो बिजली और पानी के संकट से गुजर रहा है और उन्नाव जो बाढ़ के चक्कर में फंसा हुआ है जब तक यह समस्या हल नहीं होगी तब तक उस बांध के लिए सरकार कदम नहीं उठाती । मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने अभी कुछ देर पहले एक बड़ी जोर की बात उठायी थी कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोमोशन में रिजर्वेशन देकर प्रशासन में एफीसिएन्सी में कमी आती है । मैं एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश की अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति इस आरक्षण की भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है बशर्ते कि इस तरह की बात कहने वाले लोग, भूतपूर्व सरकार हो या यह सरकार, इस समाज के लिए समान अवसर प्रदान कर दें ।

मान्यवर, आप भली प्रकार परिचित होंगे कि एक वर्ग का वह छात्र जो कान्वेन्ट में पढ़ता है, लरेटों में पढ़ता है, जिसके घर पर ट्यूटर लगा हुआ है, जो एयर कंडीशन्ड में पढ़ता है और दूसरी तरफ गरीब की वह झोपड़ी है जिसमें गाय और भैंस बंधती है, वहीं उसकी मां चक्की पीसती है और वहां वह शिक्षा प्राप्त करता है । किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है बशर्ते कि लखपति और गरीब व दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ाए जायं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व सरकार या इस सरकार ने समानता के अवसर प्रदान करने के लिए कोई प्रयास किया गया । एक समाज को आप हजारों साल से पीछे रखते रहे और फिर एफी-सिएन्सी की बात करते हैं । आई० ए० एस० में टाप करने वाले और बाटम पर जो छात्र हैं उनके नम्बरों में ३०० का फर्क रहता है । अगर यह अंक ही मापदन्ड है तो किसी भी वर्ग का आदमी एक स्टैंडर्ड का नहीं आ सकता ।

मान्यवर, मेरी निश्चित सूचना है कि अनुसूचित जाति का छात्र जब पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठता तो उसकी कापी पर लाल निशान लगा दिया जाता है । उसको देखते ही एग्जामिनर सोचता है कि यह शिड्यूल्ड कास्ट का होगा । क्यों यह लाल निशान लगाया जाता है ? जब यूनिवर्सिटी में उसकी कापियां सामान्य तरीके से जांची जाती हैं तो फिर आयोग में यह लाल निशान क्यों लगाया जाता है और उनकी अलग लिस्ट क्यों तैयार की जाती है । पिछले वर्ष हमने सरकार से कहा था, इसी जनता पार्टी की सरकार से जिसका कि मैं भी एक सदस्य हूं कि ७ मेडिकल कालेजों में जो भर्ती हुई थी उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लड़कों के लिए, मायनिरिटी के लड़कों के लिए क्यों सेन्टर अलग थे, रोल नम्बर अलग थे। उनका एग्जामिन अलग किया गया था । क्या यह सिर्फ यह दिखाने के लिये किया गया, यह धारणा पैदा करने के लिये किया गया था, यह मनोवृत्ति पैदा करने के लिये किया गया था, कि उनके अन्दर कमजोरी है । मैं, मान्यवर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप शिक्षा के केन्द्रों में, शिक्षा के वातावरण में, सभी वर्गों के लिये एक तरह का शिक्षा का वातावरण दे दें तो हम आरक्षण की बात समाप्त कर देंगे ।

समाज कल्याण मंत्री ने ३० सालों का जिक्र किया । वह आपके रिकार्ड में है । ३० साल में अभी क्लास-१ का केवल एक परसेंट व्यक्ति आया है इन वर्गों से । क्लास-२ में ३ १/२ प्रतिशत आया है । लेकिन यह राजनैतिक लोग जिस वक्त चुनाव मीटिंगों में जाते हैं, तो जनता के बीच में इनके उत्थान की बात करते हैं । बाद मे उनको भूल जाते हैं । तो इस तरह का ढिंढोरा किस लिये है ? मान्यवर, अनुसूचित जाति का जो आधार है, वह शुद्ध रूप से आर्थिक है । यहां पर इनकम के दो ही स्रोत हैं-या तो प्रकृति की दी हुयी या मनुष्य की दी हुयी । प्रकृति के जितने स्रोत हैं, उस पर तो एक वर्ग का कब्जा है । जितने मनुष्य के बनाये हुये है, चाहे मिल, चाहे कारखाना, उस पर दूसरे वर्ग का कब्जा है । इन्होंने ३० साल तक शासन किया । तो जो प्रकृति के स्रोत हैं--पहाड़, सम्पत्ति, जमीन, नदी और नाले--इनमें बराबर का हिस्सा दिलाइये । आप मनुष्य के बनाये हुये कल-कारखानों में हिस्सा दिलाइये । तब हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है । इस देश की सम्पत्ति के हिस्सेदार हम भी हैं । लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पाये । आप हमको उनके उपभोग का अवसर दें, उसके बाद हम आरक्षण की बात खत्म कर देंगे । तब हमें आरक्षण के मांगने की आवश्यकता नहीं है ।

अब, मान्यवर, मैं सामान्य बजट के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं । बहुत बातें कही जाती हैं ला ऐण्ड आर्डर के बारे में ? मान्यवर, ऐसा लगता है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार और नौकरशाही में कुछ आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है । मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि नौकरशाही कुछ ऐसा महसूस कर रही है कि मेरे ऊपर कोई सवार नहीं है ।

मान्यवर, मैं कानपुर जिले से आया हूं । पिछले ८ महीने के अन्दर कानपुर में कितने कत्ल हुये । कितने बार लाठी चार्ज हुआ । तीन/चार बार लाठी चार्ज हुआ और कानपुर शहर का पुलिस अधीक्षक, जब उससे कोई बात कही जाती है, तो हम उसे आंकड़ों में प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं । क्या यह सरकार आंकड़ों से चलेगी ? या सरकार इतने खून होने के बाद, इतनी लाठियां चलने के बाद कुछ निर्णय भी लेगी ? अभी कालेज का झगड़ा था । लड़के मांग-पत्र पेश करना चाहते थे । क्या बिगड़ रहा था उसमें इस सरकार का ? क्या बिगड़ रहा था उसमें डी० एम० और एस० पी० का ? क्या हो जाता अगर मांग-पत्र पेश कर देते ? वे मांगपत्र लेकर गये ? क्या प्रजातन्त्र के मायने यही है कि मांगपत्र की इजाजत नहीं दी जायेगी ? क्या प्रजातन्त्र के मायने हैं कि प्रदर्शन न हो ? अगर मांगपत्र ले लिया गया होता और उस पर विचार हो गया होता तो शायद लाठी चार्ज न होता । वहां पर मुझे निश्चित सूचना मिली है कि कानपुर के नगर पुलिस अधीक्षक ने १० बजे घटना के बाद शाम ५ बजे तक ढूढ़-ढूढ़ कर लड़कों को बन्द किया है । मैंने जेल में जाकर छात्रों से मुलाकात की । उसमें ३० में से केवल २ लड़के वहां पकड़े । बाकी सभी लड़कों को शाम तक ढूढ़-ढूढ़ कर पकड़ा गया था । इसमें तो, मान्यवर, यही प्रतीत होता है कि यह नौकरशाही साजिश कर रही है सरकार के साथ में किसी तरह सरकार के चलने में अवरोध पैदा किया जाय ।

एक बात और कहना चाहूंगा । कानपुर एक श्रमिक बस्ती है । वहां पर पिछले नौ महीने से इस सरकार से निवेदन करते आये हैं कि स्वदेशी काटन मिल चले । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि आज ११ मरे, १३ मरे या दो सौ मरे लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर पहले घेराव हुआ था । मजदूरों ने महसूस किया कि हम सरकार के पास ज्ञापन लेकर गये विधायक ने कहा, लेकिन वेतन नहीं मिला लेकिन घेराव करने के बाद २५ लाख रुपये वेतन के बांट दिये गये । इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने उनको उकसाया और मजबूर किया घेराव करने के

[श्री मोती राम--]

लिए । दूसरी बार गोली चली लेकिन कुछ नहीं हुआ । बड़े शर्म की बात है कि घेराव करने पर २५ लाख रुपये बांटे गये लेकिन दूसरी बार गोली चलने पर कुछ भी नहीं किया गया । मान्यवर जे० के० काटन मिल....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री मोतीराम--

मिल के बारे में और कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक पांच बजे आपको समाप्त कर देना होगा ।

श्री मोती राम--

जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार के जमाने में बन्द हुई । सरकार ने मिल को चलाने की कोशिश की लेकिन नफ़ा नहीं चला सके । वह बन्द हुई । साढ़े तीन हजार आदमी बेरोजगार हो गये....

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब विवाद समाप्त किया जाता है ।

श्री मोतीराम--

मान्यवर, एक वाक्य कहना चाहता हूं । यहां पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट लाया गया कि जिस आदमी पर एक लाख रुपये से ज्यादा है उसका प्रोस्यूक्यूशन होगा तो उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने एक मुकदमा दायर किया । मिल बन्द करने को अवैधानिक घोषित कर दिया सिर्फ इसलिये कि उसका प्रोस्यूक्यूशन न हो और हमने यहां पर प्रश्न उठाया तो कह दिया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है । सदन के बाहर है । मुझे आशा है कि सरकार इस पर देखेगी । मैं आपको जितना समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विवाद कल के लिए स्थगित किया जाता है ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री फतहबहादुर, श्री त्रिवेनी सिंह, श्री विष्णु प्रताप सिंह जी ने जो प्रश्न दिया है उसको मैंने स्वीकार किया है पिछले तीन महीनों से जिला गोंडा में लकड़बग्घा का आतंक तथा जिलाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किया जाना । मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कब वक्तव्य दिया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, इसके लिए दो दिन का समय दे दिया जाय । यानी १३ तारीख तक ।

श्री अध्यक्ष—

१३ तारीख निश्चित की जाती है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैंने भी नियम ५१ में दिया था जूनियर डाक्टरों के सिलसिले में उसको आपने ३०१ में लिया है उसको भी इसी में जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आपने ५१ में दिया है ३०१ में कैसे जोड़ें । मैं देखूंगा अगर हो सकता है ।

सरकारी नियन्त्रण में चल रही चीनी मिलों में हानि के विषय में दिनांक २० मार्च, १९७८ को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि १९७६-७७ में जिन चीनी मिलों का अधिग्रहण सरकार ने किया था उनमें कुल कितना लाभ या हानि हुई और अगर हानि हुई तो वह किस कारण से हुई । अध्यक्ष महोदय, आठ करोड़ से ऊपर की हानि उस वर्ष में हुई और उस समय हानि हुई जब उस समय की सरकार मौजूद थी । जो लोग आज विरोध पक्ष में बैठे हैं उनकी सरकार थी और उन्होंने जनता पार्टी की सरकार को ८ करोड़ की धनराशि का ऐसा सिलसिला दिया अगर वह सिलसिला चलता रहा तो इससे ज्यादा हानि होने की संभावना है । कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण यह चीनी मिलों में घाटा हुआ । मौजूदा सरकार ने जो उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि बीमार चीनी मिलें थीं । मालिकों द्वारा मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे मिलों पर अत्यधिक खर्च करना पड़ा । इन कारणों के साथ चीनी मिलों का कुप्रबन्ध भी था जो एक बहुत बड़ा कारण था । भ्रष्टाचार और सामान की खरीददारी में गड़बड़ी भी बहुत बड़े कारण थे । लिहाजा मौजूदा सरकार इस बात को देखे कि किन-किन कारणों से इन चीनी मिलों को घाटा हुआ । जिन १८ चीनी मिलों का जिक्र है उनके अलावा भी चीनी मिलें गये हैं । यदि उनके तर्क को मान लिया जाय पुरानी तथा बिना मरम्मत के कारण घाटा हुआ तो किच्छा शुगर मिल तो नई थी उसमें घाटा नहीं होना चाहिये था । बाजार में मंदी आ गयी एक कारण यह था । जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चीनी के मिलों में गिरावट आई लेकिन पिछली सरकार के जमाने में तो गिरावट नहीं आई थी तो उस समय इस प्रकार का घाटा दिखाने का यह कोई तर्क नहीं है । लिहाजा जिस प्रकार का घाटा चीनी मिलों के द्वारा उठाया जा रहा है जिसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश के एक्सचेकर से की जा रही है उसमें कमी करने के लिये सरकार को क्या-क्या तरीके अख्तियार करने चाहिये इस पर उसे विचार करना चाहिये ताकि अगले साल ये चीनी मिलें मुनाफे में चलने लगें और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर का फर्क लोगों को मालूम हो जाय और प्रदेश की जनता यह महसूस करने लगे कि चीनी मिलों का टेक ओवर करना आवश्यक था और उसका पूरा-पूरा जस्टिफिकेशन रहेगा वर्ना गलत इन्तजाम के कारण और चोरी के कारण चीनी मिलों में घाटा होता रहेगा जिसका कुप्रभाव हमारी नीतियों पर पड़ेगा, सरकार के बजट पर पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात का समर्थन करता हूं ।

*गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह बड़े ही महत्व का है । यह सही है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें अधिग्रहीत की गयी थीं वे सब घाटे में चल रही हैं और उसका मूल कारण हम काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं । एक तो कारण उनमें यह है कि पिछली सरकार बराबर राष्ट्रीयकरण की भाषा बोलती रही और मिल मालिकों ने उस भाषा को समझ कर उन मिलों में मरम्मत के नाम पर एक पैसा भी नहीं लगाया ।

इस तरह से एक आशंका तो यह रही और दूसरी यह रही कि उन लोगों से चन्दा भी लिया गया । जब एक आदमी को बेवकूफ बनाने के लिये दूसरा आदमी जब बेवकूफ बनाने को चला तो वह खेल हो गया । सरकार मिल मालिकों को बेवकूफ बना रही थी तो वह बेवकूफ बनाकर चली गई । जब मिलों का अधिग्रहण किया गया तो उसमें बहुत सी मशीनों के पुरजे भी उन लोगों ने हटा लिये थे और काफी बुरी हालत में मशीनों को छोड़ गये थे । एक बात ऐसी भी है कि हाई कोर्ट में उन्होंने अपना केस भी लगाया हुआ है और प्रदेश के सामने एक विकट समस्या बनकर खड़ी हो गयी है कि इसको कैसे सुधारा जाय । मैं जनता सरकार के सामने काफी दिनों से अपना यह विचार रख रही हूं और वह यह है कि जितनी भी मिलें ली गई हैं या तो उनको एक विशेष हाई कोर्ट की बेंच बिठाकर उनके केसेज निर्धारित कर दिये जायं और दूसरा रास्ता यह है कि सरकार उन मशीनों का मार्डेनाइजेशन करे और उनकी क्षमता बढ़ाये । उसमें रुपया लगाये । लेकिन पिछली सरकार ने ऐसी स्थिति कर ली है कि जहां इन मिलों पर इतना रुपया लगाने की बात है उसके लिये यह सरकार असमर्थ है । एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो इन मिलों के प्रबन्धक रहे हैं उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार फैलाया है ।

इस सम्बन्ध में एक ही बात से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जैसे मिल चलाने के लिये ईंधन का व्यय भार है वह इतना ज्यादा लगाया गया है और उसमें घुटाला है । स्पेयर पार्ट्स में कमीशन की दरें लगी हुई होती थीं । इतने चातुर्य ढंग से वह लगी होती थी कि जैसे समुद्र में खोजते-खोजते उसका निकलना बड़ा मुश्किल था । एक मिल सखौतीटांडा, सखौतीपुर के लिये एक कमेटी बिठाई गई थी । उसमें यह था कि उसका लेयिंग आउट खराब है । कुछ लोग उसको खरीदना भी चाहते थे किन्तु वह चीज वहीं की वहीं रह गई । इस विषय में अधिक नहीं कहूंगा लेकिन अपने विचार से यह सरकार के सामने वाकई में एक चिन्ता का प्रश्न है । किसानों की समस्या भी है और सरकारी मिलों की भी समस्या है । इन मिलों की पिराई की क्षमता क्षीण हो रही है । सरकार के पास लगाने के लिये इतना रुपया नहीं है और लगाये भी कैसे ? स्थिति अव्यवस्थित है । मिल्कियत का पता नहीं है । मिल्कियत का निर्णय हो जाय तब सरकार सोच सकती है । मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार के सामने यह महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार जल्द से जल्द इसको टेक ओवर कर लेगी । या तो हाई कोर्ट से निश्चय करा ले जिनके केसेज चल रहे हैं, वह निर्णय के रूप में आ जाय तब इसके बारे में सोचा जा सकता है । तब सरकार इसको नीलाम कराकर इस बीमारी से छुट्टी पा सकती है क्योंकि यह इतना विकृत हो चुका है कि सरकार इसे सम्भाल नहीं सकती है । यूनियन, जिनके ड्यूज बाकी हैं, नीलाम कराकर उनके माध्यम से दिलाया जा सकता है । जहां तक घाटे का कारण है, वह मैं कह चुकी हूं और वह सर्वविदित है । कुछ तो कमीशन की दर बढ़ी हुई है लेकिन मूल कारण यह है कि भ्रष्टाचार भी इन मिलों के द्वारा बहुत किया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार की भी बात कही गई है उसमें काफी तथ्य है। अन्त में मैं यही कहूंगी कि यह सरकार के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि सरकार को सोचना है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरी निश्चित सूचना है कि घाटे के जो कारण दर्शाये गये हैं वह सत्य नहीं हैं। पब्लिक सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर को बदनाम करने के लिए नौकर शाही और मिल मालिकों का यह एक सुनियोजित षड़यन्त्र है। क्या मन्त्री जी इस तथ्य की जांच करवाकर कार्यवाही करेंगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, ऐसा प्रतीत होता है मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह कंप्लीट टेकओवर के पक्ष में है।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जब सब लोग बोल लेंगे तो मैं प्रस्तावक को जिसने प्रश्न उठाया है उसको अवसर दूंगा उसके बाद अन्त में मंत्री जी बोलेंगी।

श्री रियासत हुसैन—

ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कंपलीट टेकओवर के हक में हैं। सरकार तभी उसमें रुपया लगायेगी जब पोजीशन साफ हो जाय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसा कमीशन एपोइंट करने पर विचार करेंगी जिसमें इस सदन के सदस्य भी हों और उसके टर्म आफ रेफरेंस में यह भी हो कि जिन अधिकारियों के कारण यह नुकसान हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, नियम ४९ में है कि जो विषय को इनिशियेट करता है वह बोलता है और मंत्री जी बोलते हैं उसके बाद दूसरे लोग स्पष्टीकरण मांगते हैं और आधे घंटे बाद यह समाप्त हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

यह स्पष्टीकरण ही तो है।

*श्री विक्रमाराय (जिला आजमगढ़)—

अपने स्पष्टीकरण में मंत्री जी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि पुरानी सरकार की नीतियों के कारण जो चीनी मिल मालिक थे वह मशीनों की रिपेयर नहीं कर रहे थे जिससे घाटे की नौबत आ गई। दूसरा हमारे जो चीनी मेगनेट राजनीति पर असर डाले हुए थे और जब चाहते थे सरकार की नीतियों को बदल देते थे और राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाये हुए थे। तो क्या हमारी सरकार इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई नई नीति निर्धारित करने जा रही है जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विक्रमा राय—]

चीनी मिलों का ब्लैक मनी जो है वह राजनीति को भ्रष्ट न करे और उसे रोका जा सके और सही माने में किसानों का भला हो सके और जो अभी तक लूट हो रही है वह रुक जाय। ऐसी मिलों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले। तीसरा सवाल यह है कि क्या जनता सरकार यह नीति स्पष्ट करने जा रही है कि सरकार उनका टेकओवर करेगी या नहीं करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगे ?

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, माननीय गन्ना विकास मन्त्री जी ने जो समस्यायें अभी रखी हैं उससे मालूम होता है कि उन्हें कठिनाई इस मिलों को सरकारी नियन्त्रण में लेने में उनके घाटे की समस्या को लेकर है। इसके लिए वह चाहें तो मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं जिससे हमारी सरकार निपट सकती है। एक तो सरकार जांच कराये कि जितनी चीनी मिलें सरकारी नियन्त्रण में हैं उनका हर साल सेल परसेन्टेज क्या है। रस जो छोजन में जा रहा है वह घट रहा है या बढ़ रहा है। जिस चीनी मिल में रस को छोजन में दिखाया जा रहा है उसके माने हैं कि चीनी ब्लेक में जा रही है। चीनी मिल में खोई और रस का अन्तर देखा जाय। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि यह जो आपका शीरा है, यह बेहिसाब सस्ते दाम पर वहीं नीलाम किया जाता है—५० पैसे क्वींटल। इससे शराब बनती है और आगे रंग और तारकोल भी बनता है तो नीलाम ओपेन मार्केट में करवाइये। यह रिसीवर के बीच में ही न रह जाए, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें और उसका अधिक दाम वसूल हो सके, जिससे आप चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। जो आपके रिसीवर्स हैं उनको पर्सनल जिम्मेदार लास के लिए किया जाए कि यदि पिछले वर्ष के मुकाबले लास हुआ है, तो. . .।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कर दें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मंत्री जी और सदस्य ने सवाल किया है कि पिछली सरकार के कुकर्मों से यह घाटा हुआ है तो पिछली सरकार के कुकर्म हो गए और वह इधर बैठ गई, तो क्या वह बताएंगी कि पिछली सरकार जब गई थी, तो उस समय घाटा कितना था और अब कितना रह गया है ? नम्बर दो, कहा जाता है कि मशीनें खराब हैं, इसलिए घाटा है, तो किच्छा में नई मशीनें लगी हैं, फिर वहां क्यों घाटा हो रहा है ? तीसरी चीज, क्या वह बताएंगी कि मौजूदा सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाये हैं, जो पिछली सरकार ने नहीं उठाए थे समस्या के हल के लिए।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है, किन्तु आप बोलना चाहते हैं तो आप चाहें तो मंत्री जी उत्तर न दें और मैं सबको समय दे दूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

इनके वक्तव्य से स्पष्ट है कि यह बीमार मिलों से पिण्ड छुड़ाना चाहती हैं। सत्य यह है कि बीमार मिलों को पिछली सरकार ने इसलिए लिया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें किसानों का गन्ना पहुंच सके। क्या उस सिद्धान्त को अपने सामने रखकर इस पर आप विचार करेंगी कि उनसे पिण्ड न छुड़ाएं, जिससे किसानों को लाभ हो। जो घाटे की बात है, उसमें क्या यह बताएंगी कि किच्छा में जो घाटा दिखाया गया है, उसमें सरकार को ब्याज कितना मिलता है और इसमें कास्ट आफ प्रोडक्शन प्रति क्वींटल कितना है और रिकवरी इन मिलों की कितनी है ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि जो लुग्दी इनमें निकलती है, पहले वह जलाई जाती थी, किन्तु अब उससे कागज बनता है और जलाने के लिए कोयला सप्लाई होता है, तो क्या ये लुग्दी के कारखाने इन रिसीवर के किसी रिश्तेदार के हैं, इसको उन्होंने देखा है तथा शीरे से तारकोल बनता है, तो १७ साल से मिल चल रही है तो क्या उन्होंने हिसाब लगाया कि इन मिल का कितना घाटा है और इस समय में किसानों की जिन्दगी कितनी घटी है। तो जब आप इन मिलों के घाटे का हिसाब लगाएं तो इनका पूरा बैंक बैलेंस भी देखें वह चाहे देश का हो या विदेश का, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं एक सुझाव और दे देना चाहता हूं, इन बातों को देखते हुए कि माननीय सदस्यों की दिलचस्पी इस मामले में कितनी है, क्या मंत्री जी इन कारणों की जांच कराने हेतु कोई कमेटी बैठाकर उसकी जांच करेंगे ? और दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात का भी ध्यान रखेंगी इन मिलों पर पहले से ही सरकार का कर्ज के रूप में और टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा बकाया है, तो पिछले मिल मालिकों पर तो, उसकी वसूली का क्या इंतजाम होगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, जो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रश्न किए हैं, पहली मिलें तो वह हैं जो चीनी निगम की हैं। एक बात यह बतलाइये कि चीनी निगम की जो मिलें हैं, उनका जहां तक नुकसान है उसको कैसे ठीक करा सकते हैं। दूसरे जो किच्छा की मिल है, उसके बारे में हो सकता है कि कहें कि नवीनीकरण नहीं करा सकते। जो प्रश्न पूछे गए हैं ६–७ मिनट हैं, उसमें उसका कृपया उत्तर दीजिए।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, जो फैक्टरियों का लास है, स्पष्ट रूप से बात आ चुकी है। किच्छा वाले का विशेष रूप से है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। कोई नई मिल जब लेते हैं तो तीन वर्ष तक महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। पिछली सरकार के जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने पहले साल से ही महंगाई भत्ता दिलवाना शुरू किया। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि उसकी मशीन जो लगी थी वह शुरू से ही व्यवधान में रही, ठीक तरह से नहीं चली। उसमें जो कर्जा लिया गया वह इतना ज्यादा रेट आफ इंटरेस्ट बढ़ गया था। पहले ९ परसेंट था, १६–१७ परसेंट हो गया था। यह तीन मुख्य कारण हैं और घोटाला भी शामिल है। इसके अन्दर चार कारण हैं। यह स्पष्ट है। यह जो बातें माननीय सदस्यों ने कही कि ठीक ओवर किया जाय उसका सजेशन मैंने दे दिया। जितनी मिलें हैं

[श्रीमती चन्द्रावती---]

जो हाई कोर्ट में केस में हैं, उसका निर्णय दूसरे तरीके से हो सकता है। यह सवाल ऐसा नहीं है कि टेक ओवर करके हल कर लें। उत्तर प्रदेश में जो पुरानी मिलें हैं अगर मान ल कि वह सरकार के पास रह भी जायेगी तो उनम भी वही चीज चलेगी। मेरा विचार ऐसा है कि बजाय बड़ी मिलों के जिनम ८ करोड़ रुपया लगता है, उसमें मजदूरों की संख्या ७०० होती है। एक नई चीज जो हमारे सामने आई है, वह मिनी प्लांट की है जिसमें २५ लाख क इनवेस्टमेन्ट है और २०० मजदूर काम करते हैं। मैं सोचती हूं कि छोटे-छोटे मिनी प्लांट लगा दिए जायं जो ज्यादा मजदूरों को काम देंगे, ज्यादा क्षमता होगी, बजाय इसके कि जो बीमारी की हालत में हैं उनको इंजेक्शन दिया जाय, या पूरी तरह से रिप्लेसमेंट किया जाय।

श्री अध्यक्ष-- (श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

इस पर, रवीन्द्र सिंह जी, यह नियम नहीं है। आप बैठिए।

श्रीमती चन्द्रावती---

जांच के लिए एक कमेटी बैठाई गई है। उसकी बैठक नहीं हुई है। उसकी रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

११ अप्रैल, १९७८।

वत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८३ पर)

सरकारी कर्मचारियों को जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा १-१-७७ से ३०-५-७७ तक शस्त्रों के लाइसेंस स्वीकृति का माहवार विवरण

नाम माह	बारूदी	कारतूसी	रायफल	रिवाल्वर	पिस्टल	योग
१—जनवरी, १९७७	२	९	२	..	..	१३
२—फरवरी, १९७७	..	१०	..	..	१	११
३—मार्च, १९७७	..	८	..	..	..	८
४—अप्रैल, १९७७	..	१२	१	३	..	१६
५—मई, १९७७	..	२३	१	१	..	२५
योग ..	२	६२	४	४	१	७३

विधान सभा दर्शन

जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा १ जनवरी, १९७७ से

क्र०सं०	नाम थाना	जनवरी					फरवरी				
		बारुदी	कारतूसी	रायफल	रिवा/पि०	बा०का०	राय०	रि०/पि०			
१	फतेहगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२	राजपुर	..	१	..	..	..	..	..	..	..	..
३	छिबरामऊ	..	..	..	१	..	..	१	..	..	..
४	शमसाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
५	फर्रुखाबाद	..	१	..	..	..	..	..	..	..	..
६	कन्नौज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
७	सौरिख	..	..	..	..	..	..	२	..	..	..
८	कमालगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
९	कायमगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१
१०	मऊदरवाजा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
११	नवाबगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१२	गुरसहायगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१
१३	ठठिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१४	इन्द्रगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१५	मोहम्मदाबाद	..	३	..	..	..	..	..	..	..	..
१६	कम्पिल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१७	तालग्राम	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..	..	५	..	१	..	..	३	..	..	२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

३० मई, १९७७ तक स्वीकृत लाइसेंसों की थानावार सूची :

मार्च				अप्रैल				मई				योग
बा०	का०	राय०	रि०/पि०	बा०	का०	रा०	रि०/पि०	बा०	का०	रा०	रि० / पि०	
..	..	..	..	..	..	१	..	..	..	१	..	२
..	..	१	..	..	१	१	१	..	..	..	..	५
..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	..	१	५
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	..	१
..	१	१	१	१	..	..	..	१	..	१	१	..	..	८
..	१	..	१	..	..	१	१	..	..	..	..	..	..	४
..	..	..	..	..	..	१	..	..	..	१	..	..	..	४
..	२	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	२
..	१	..	..	..	..	५	१	..	३	..	४	१	१	..	१७
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	२	..	..	..	२
..	..	..	..	..	..	..	१	..	..	..	२	..	..	..	३
..	१	..	१	..	..	..	१	..	..	..	२	..	१	..	७
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	३
..	..	..	..	..	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१
..	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१
..	८	२	३	१	२	९	५	१	४	९	१२	३	३	१	६६

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९८ पर)

बांदा जिले के निम्नलिखित सम्पादकों को शासकीय सुविधायें (प्रेस नोट आदि) दी जा रही हैं :—

१—सर्वश्री बद्री विशाल माधव निगम, सम्पादक, साप्ताहिक "प्रदेश पथ"

२—तमन्ना सरमदी, सम्पादक, साप्ताहिक "चित्रकूट समाचार"

३—रामपाल सिंह, सम्पादक, साप्ताहिक "विश्व प्रभाकर"

४—बी० के० निगम, सम्पादक, साप्ताहिक "नाशक"

५—एस० सी० गुप्त, सम्पादक, साप्ताहिक "मध्ययुग"

६—शालिगराम मिश्र, सम्पादक, साप्ताहिक "कैन लहर"

७—द्वारिका प्रसाद, सम्पादक, साप्ताहिक "जन मशाल"

८—एस० के० सिंह चौधरी, सम्पादक, साप्ताहिक "कैंची"

९—पुरुषोत्तम प्रसाद खरे, सम्पादक, साप्ताहिक "बांदा कृषक"

१०—बद्री प्रसाद अवस्थी, सम्पादक, साप्ताहिक "बांदा दर्पण"

११—सन्तोष कुमार, सम्पादक, साप्ताहिक "रीडर"

निम्नांकित संवाददाताओं को उत्तर प्रदेश प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियम ४०-४१ के अन्तर्गत शासकीय सुविधायें (प्रेस नोट आदि) दी जा रही है :—

१—सर्वश्री महादेव प्रसाद शाहपुरिया, संवाददाता "विश्वमित्र"

२—रामेश्वर प्रसाद गुप्त, संवाददाता "दैनिक जागरण", कानपुर

३—भगवानदास गुप्त, संवाददाता "दैनिक टाइम्स आफ इन्डिया"

४—वीरेन्द्र कुमार, संवाददाता "दैनिक वीर अर्जुन"

५—मूल चन्द्र बाजपेई, संवाददाता "दैनिक कौमी आवाज"

६—जे० एन० शास्त्री, संवाददाता "दैनिक आज"

७—श्रीमती मृदुबाला श्रीवास्तव, संवाददाता "दैनिक स्वतन्त्र भारत"

८—एम० के० निगम, संवाददाता "दैनिक कर्मयुग प्रकाश"

९—जयनारायण मिश्र, संवाददाता दैनिक "जागरण", झांसी

१०—दिनेश कुमार सुमन मिश्र, संवाददाता दैनिक "भारत"

११—विद्यासागर द्विवेदी, संवाददाता दैनिक "जन उत्साह"

१२—कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, संवाददाता दैनिक "पायनियर"

१३—गोपाल गोयल, संवाददाता, दैनिक "जनयुग"

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर)

क्र०सं०	किरायेदार का नाम (पत्रकार)	कक्ष संख्या	अध्यासन की तिथि	मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या नहीं	३०-११-७७ को बकाया की तिथि		१५-३-७८ तक वसूली की स्थिति	
					धनराशि (सब-सिडी की धन-राशि छोड़ कर)	अवधि	धनराशि	अवधि
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	श्री एच० सी० चौधरी	३४	३०-१०-७४	श्रमजीवी पत्र-कार	४३५०.००	३० माह	..	..
२	श्री रमा शंकर	३७	२५-११-७४ से ३-९-७७	मान्यता प्राप्त	३९२९.५०	२७ माह ३ दिन	..	..
३	श्री एम० एम० अग्रवाल	४०	११-११-७४	सूचना विभाग द्वारा जांच की जा रही है।	४६४०.००	३२ माह	२६१०.००	१८ माह
४	श्री रजनी कान्त वर्मा	५३	१७-६-७४		३१९५.००	१६ माह १२ दिन	३९०.००	२ माह
५	श्री के० के० किदवई	५५	१५-२-७४	मान्यता प्राप्त	६५२५.००	४५ माह	१७२५.००	११ माह २७ दिन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
६	श्री आर० आर० श्रीवास्तव	५६	२७–३–७४	मान्यता प्राप्त	६३८०.००	४४ माह	१४३५.००	९ माह २७ दिन
७	श्री पी० एस० सेठी	५७	१८–३–७४	मान्यता प्राप्त	६३८०.००	४४ माह	११४५.००	७ माह २७ दिन
८	श्री एस० गाजीपुरी	५८	२७–३–७४	मान्यता प्राप्त	५६००.००	३८ माह १८ दिन	२००.००	१ माह ११ दिन
९	श्री एस० एन० श्रीवास्तव	५९	२३–३–७४ से २५–४–७५	श्रमजीवी पत्रकार	२५०२.५०	१२ माह २५ दिन	..	..
१०	श्री एन० के० पाण्डे	५९	२६–४–७५	श्रमजीवी पत्रकार	३१३०.००	२१ माह १७ दिन	११४५.००	७ माह २७ दिन
११	श्री डी० एस० विष्ट	६०	१८–३–७४ से ३१–८–७५	श्रमजीवी पत्रकार	३३१५.००	१७ माह	..	..
१२	श्री आर० एन० द्विवेदी	६०	१–९–७५	मान्यता प्राप्त	३९१५.००	२७ माह	१०९०.००	७ माह १५ दिन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर)

१-७-७७ से ३०-११-७७ का विवरण

रुहेल खंड मंडल के जिले	बन्दूकों एवं पिस्तौलों के स्वीकृत लाइसेंसों की संख्या	बन्दूकों एवं पिस्तौलों के अस्वीकृत लाइसेंसों की संख्या	आयुक्त द्वारा स्वीकृत अपीलों की संख्या	आयुक्त द्वारा खारिज अपीलों की संख्या
बरेली	६१७	२१९७	८	१९
बदायूं	१६८	२७९	..	३
मुरादाबाद	४२८	१०४३	..	..
पीलीभीत	१४२	२२१	..	..
रामपुर	२३८	४१५	२	..
शाहजहांपुर	२२८	२१०	१	..

पी० एस० यू० पी०—१७ वि० सभा—२१-७-७८—८४३ (पी० डी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा